सामान्य अध्ययन (प्रश्नपत्र-II)

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

2024

प्रश्नः "कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणामस्वरूप व्यावहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिये पर चली गई है।" स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"The gowth of cabinet system has practicallly resulted in the marginalisation of the parliamentary supremacy." Elucidate

उत्तर: भारत में कैबिनेट प्रणाली में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया है, जिसमें सामूहिक उत्तरदायित्व पर ज़ोर दिया गया है और प्रधानमंत्री को "सभी में प्रथम" माना गया है। हालाँकि संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख न किये जाने के बावजूद इस बदलाव ने कतिपय रूप से संसदीय सर्वोच्चता को हाशिये पर डाल दिया है।

- **कार्यपालिका में शक्ति का संकेंद्रण:** कैबिनेट प्रधानमंत्री और प्रमुख मंत्रियों के हाथों में शक्ति को केंद्रीकृत करती है। न्यायमूर्ति नागरत्ना की 2023 की असहमति ने संसद की मंजूरी के बिना विमुद्रीकरण की अवैधता को उजागर किया।
- **संसदीय संवीक्षा में कमी:** कैबिनेट अक्सर विधायी एजेंडे को नियंत्रित करती है, जिससे संसदीय निगरानी कम हो जाती है, जैसा कि वर्ष 2020 के कृषि कानूनों की उचित परिचर्चा के अभाव की समालोचना के रूप में देखा गया है।
- **अध्यादेश:** कैबिनेट अध्यादेशों के माध्यम से विधायी निरीक्षण को दरकिनार कर सकता है, जैसे कि दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण पर 2023 का अध्यादेश, जिसे शुरू में बिना परिचर्चा के लागू किया गया था।
- **संसदीय समिति की सीमाएँ:** समितियों की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं, जिससे कैबिनेट उन्हें नज़रअंदाज कर सकती है। 16वीं लोकसभा में केवल 25% विधेयक समितियों को भेजे गए, जबकि 15वीं में यह संख्या 71% थी।

निष्कर्षः कैबिनेट प्रणाली ने सत्ता की गतिशीलता को बदल दिया है, संसदीय सर्वोच्चता संवैधानिक रूप से संरक्षित है, जिसमें संसद के पास अविश्वास प्रस्ताव (अनुच्छेद 75) जैसी आवश्यक शक्तियाँ हैं। वर्ष 2021 में कृषि कानूनों को निरस्त करने से ज्ञात होता है कि संसद कार्यकारी शक्ति की प्रभावी रूप से जाँच कर सकती है, जो शासन और निगरानी के बीच संतुलन की आवश्यकता को उजागर करती है।

प्रश्नः लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिये तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिये। क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

Explain and distinguish between Lok Adalats and Arbitration Tribunals, Whether they intertain civil as well as criminal cases?

उत्तर: लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित वैधानिक मंच हैं, जो वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र के एक भाग के रूप में कार्य करती हैं।

- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा स्थापित मध्यस्थता अधिकरण न्यायालयों के बाहर विवादों का समाधान करते हैं।

लोक अदालतों और मध्यस्थता अधिकरणों के मध्य अंतर

	लोक अदालत	मध्यस्थता अधिकरण
विवाद समाधान की प्रकृति	आपसी समझौते के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।	कानूनी निर्णय के आधार पर विवादों का समाधान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बाध्यकारी निर्णय दिया जाता है।
बाध्यकारी प्रकृति	निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होते हैं, साथ ही उन्हें सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त होता है, जहाँ अपील नहीं की जा सकती।	निर्णय, जिन्हें मध्यस्थ आदेश के रूप में जाना जाता है, बाध्यकारी और लागू करने योग्य होते हैं, जिन्हें सीमित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है।
मामलों का हस्तांतरण	मामलों को न्यायालयों द्वारा या पक्षकारों के आवेदन पर संदर्भित किया जा सकता है।	पक्षकार अनुबंध के तहत मध्यस्थता के लिये सहमत होते हैं या जब पक्षकार ऐसा करने में असफल होते हैं तो संस्थाएँ मध्यस्थों की नियुक्ति करती हैं।

विवादों के प्रकार

लोक अदालत

इसके क्षेत्राधिकार में सिविल और आपराधिक दोनों मामलें शामिल हैं। गैर-समझौता योग्य अपराधों पर इसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

मध्यस्थता अधिकरण

इसके क्षेत्राधिकार में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों सहित दीवानी मामलें भी शामिल हैं, हालाँकि इन्हें आपराधिक मामलों से संबंधित अधिकार भी प्राप्त हैं।

निष्कर्ष: लोक अदालतें सिविल और समझौता योग्य आपराधिक मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जबकि मध्यस्थता अधिकरण का क्षेत्राधिकार वाणिज्यिक विवादों जैसे सिविल मामलों तक सीमित है। दोनों ही समय पर न्याय प्रदान कर न्यायिक भार को कम कर सकते हैं। हालाँकि उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये बेहतर संस्थागत समर्थन और संसाधनों की आवश्यकता है।

प्रश्न: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्त्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं है, बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है? (150 शब्द, 10 अंक)

"The duty of the Comptroller and Auditor General is not merely to ensure the legality of expenditure but also its propriety." Comment.

उत्तर: भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत एक संवैधानिक प्राधिकरण है, जिसका कार्य संघ और राज्य सरकारों के खातों की लेखापरीक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का कुशलतापूर्वक एवं कानूनी रूप से उपयोग किया जाए।

व्यय की वैधता सुनिश्चित करने में कैग की भूमिका

- इसमें यह परीक्षण शामिल है कि वित्तीय हस्तांतरण कानून, नियमों और विनियमों के अनुरूप है या नहीं।
- कैग यह सुनिश्चित करता है कि कोष का उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिये किया जाए तथा उसका दुरुपयोग न हो।
- कैग केंद्र और राज्य सरकारों के खातों को प्रामाणित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे वित्तीय स्थिति का सही तथा निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं। वित्तीय विवरणों की वैधता और सटीकता बनाए रखने के लिये यह प्रमाणन महत्त्वपूर्ण है।

औचित्य सुनिश्चित करने में कैग की भूमिका

- कैग सरकारी व्यय की विवेकशीलता, ईमानदारी और औचित्य का आकलन करने के लिये ऑडिट करता है।
  - **व्यय का औचित्य:** क्या व्यय का उद्देश्य सार्वजनिक हित में है या यह अधिक है।
  - **दक्षता:** क्या आवंटित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया है या क्या कोई फिजूलखर्ची हुई है।
  - **सार्वजनिक हित:** क्या व्यय व्यापक सामाजिक लक्ष्यों, निष्पक्षता और समानता के अनुरूप है।
- राष्ट्रमंडल खेलों और कोयला ब्लॉक आवंटन के संबंध में कैग की लेखापरीक्षा के दौरान महत्त्वपूर्ण विसंगतियाँ तथा घाटा पाया गया, जिससे वाद, चर्चा एवं कानूनी कार्रवाई आरंभ हुई।

निष्कर्ष: कैग सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करता है, जिससे सरकार की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने तथा संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में जनता का विश्वास बनाने में सहायता मिलती है।

प्रश्न: स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिये और ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों के साथ विलय करने के फायदे तथा नुकसान को स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Analyse the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies.

उत्तर: भारतीय संविधान 73 वें और 74 वें संशोधन (1992) के माध्यम से स्थानीय स्वशासन की स्थापना करता है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पंचायतों तथा शहरी क्षेत्रों के लिये नगर पालिकाओं का गठन किया गया है, जिनमें ग्राम, मध्यवर्ती एवं ज़िला पंचायतों के साथ-साथ नगर निगम और नगर पालिकाएँ भी शामिल हैं।

- **ग्यारहवीं अनुसूची:** पंचायत को शक्तियां, प्राधिकार व ज़िम्मेदारियां। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।
- **बारहवीं अनुसूची:** नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार व ज़िम्मेदारियां। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।

सुशासन में स्थानीय निकायों की भूमिका

- स्थानीय निकाय, जैसे कि बलवंत राय मेहता (1957) और अशोक मेहता (1977) जैसी समितियों द्वारा अनुशंसित किया गया है, विकास परियोजनाओं की योजना बनाने तथा उन्हें लागू करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं जो स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं एवं विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा देते हैं।
- वे स्थानीय 'सार्वजनिक उपयोगिताओं' के रूप में कार्य करते हुए, जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिये 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के माध्यम से आवंटित वित्तीय संसाधनों से भी लाभान्वित होते हैं।
- स्थानीय निकाय आरक्षित सीटों के साथ वंचित समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं तथा ग्रामसभाओं और वार्ड समितियों के माध्यम से भागीदारी लोकतंत्र को प्रोत्साहित करते हैं।

ग्रामीण स्थानीय निकायों का शहरी स्थानीय निकायों के साथ विलय	
फायदे	**नुकसान**
शहरी क्षेत्रों में समेकित विकास को बढ़ावा देता है।	शहरी प्राथमिकताओं के पक्ष में ग्रामीण मुद्दों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। शहरी आबादी के अधिक होने पर ग्रामीण प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
शहरीकरण के कारण समाप्त हो रहे ग्रामीण-शहरी विभाजन पर नियंत्रण को बढ़ाता है।	ग्रामीण क्षेत्रों की विशिष्ट सामाजिक विशेषताएँ शासन को जटिल बना सकती हैं।

एकीकृत प्रणाली में बड़ी इकाइयाँ बड़ी विकास परियोजनाएँ आरंभ कर सकती हैं।	ग्रामीणों को चिंता है कि शहरी स्थानीय निकायों के साथ विलय से करों में वृद्धि होगी तथा मनरेगा लाभ में कमी आएगी, जैसा कि तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शनों में देखा गया है।

निष्कर्ष: स्थानीय निकायों के विलय से कार्यकुशलता में सुधार हो सकता है, लेकिन इससे स्थानीय पहचान समाप्त होने का खतरा है। संतुलित प्रशासन के लिये निर्णय लेने में सभी हितधारकों को शामिल करना महत्त्वपूर्ण है।

प्रश्न: निजता का अधिकार प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आतंरिक भाग के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या कीजिये। इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिये डी. एन.ए.परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.

उत्तर: निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की अवधारणाओं में अंतर्निहित है।

निजता का अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्राता का अभिन्न अंग है

- निजता का अधिकार (अनुच्छेद 21), व्यक्तियों को राज्य के हस्तक्षेप के बिना व्यक्तिगत विकल्प चुनने का अधिकार देता है, जिससे स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बढ़ावा मिलता है।
  - इसमें किसी व्यक्ति के शरीर, स्वास्थ्य और प्रजनन संबंधी मामलों के बारे में बिना किसी दबाव के निर्णय लेने की क्षमता, साथ ही अनधिकृत संग्रहण या उपयोग को रोकने के लिये व्यक्तिगत डाटा को प्रबंधित करने का अधिकार भी शामिल है।
- यह व्यक्तिगत संचार, जैसे फोन कॉल, ईमेल और पत्र की निजता की भी रक्षा करता है तथा व्यक्तियों को अनुचित निगरानी से संरक्षित करता है।
  - यह बहुआयामी अधिकार व्यक्तिगत गरिमा और स्वायत्तता के महत्त्व को रेखांकित करता है।

पितृत्व के लिये डी.एन.ए.परीक्षण हेतु कानून

- **निजता का अधिकार:** 'पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ' (वर्ष 2017) निर्णय ने स्थापित किया कि डी.एन.ए.परीक्षण सहित निजता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, महिला और अजन्मे बच्चे की निजता का सम्मान करते हुए, वैधता, आवश्यकता तथा आनुपातिकता के मानदंडों को पूरा करना चाहिये।
- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (धारा 116):** यह माना जाता है कि विवाह संबंध से जन्मा शिशु वैध है। जब प्रथम दृष्टया साक्ष्य पितृत्व पर संदेह पैदा करता है, तो डी.एन.ए. परीक्षण का आदेश दिया जा सकता है, जैसा कि नंदलाल वासुदेव मामला, 2014 में देखा गया था, जहाँ डी.एन.ए. इस संदेह को समाप्त कर पितृत्व को सिद्ध कर सकता है।
- **गर्भधारण पूर्व एवं प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994:** यह वैध चिकित्सा कारणों को छोड़कर, दुरुपयोग एवं लिंग आधारित भेदभाव को रोकने के लिये डी.एन.ए. परीक्षण समेत प्रसव पूर्व निदान परीक्षणों को विनियमित करता है।
- **डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक- 2019:** डी.एन.ए.परीक्षण के लिये सहमति की आवश्यकता है, जो कानूनी विवादों के लिये न्यायालय के हस्तक्षेप की अनुमति देता है। विधेयक निजता को संरक्षण प्रदान करने के साथ डी.एन.ए. डाटा के दुरुपयोग पर दंड का प्रावधान भी करता है।
- **न्यायिक टिप्पणी:** अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया बनाम अजिंक्य अरुण फिरोदिया, 2023 बच्चों पर संभावित प्रभाव को देखते हुए, तलाक के विवादों में डी.एन.ए. परीक्षण का आदेश केवल तभी दिया जाना चाहिये,जब प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हों।

निष्कर्ष: पितृत्व के लिये डी.एन.ए. परीक्षण की अनुमति तो दी जा सकती है, लेकिन इसमें निजता का अधिकार, विधिक संरक्षण और नैतिक चिकित्सा का पालन करना होगा। न्यायालयों को परिस्थितियों के आधार पर इन प्रतिस्पर्द्धी अधिकारों को सावधानीपूर्वक संतुलित करना चाहिये, ताकि निजता और न्याय सुनिश्चित हो सके।

प्रश्न: भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिये। इसके परिणामस्वरूप, क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है?

(150 शब्द, 10 अंक)

Explain the reasons for the growth of public interest litigation in India. As a result of it, has the Indian Supreme Court emerged as the world's most powerful judiciary?

उत्तर: जनहित याचिका (PIL) एक कानूनी कार्रवाई है जो व्यक्तिगत अधिकारों के स्थान पर जनता या किसी विशिष्ट समूह के हितों की रक्षा के लिये न्यायालय में प्रारंभ की जाती है।

- न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई (1976) मामले में भारत में जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत की।
- इसे किसी वैधानिक कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि इसकी उत्पत्ति भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति से प्रारंभ हुई।

जनहित याचिकाओं की वृद्धि के कारण

- **संवैधानिक ढाँचा:** मौलिक अधिकार तथा नीति-निर्देशक सिद्धांत जनहित याचिकाओं के लिये आधार प्रदान करते हैं तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं।

- **लोकस स्टैंडी को आसान बनाना:** न्यायालयों ने जनहित याचिकाओं के लिये इस सिद्धांत में ढील प्रदान की है, जिससे संबंधित नागरिकों या संगठनों को हाशिए पर पड़े समूहों की ओर से याचिकाएँ दायर करने की अनुमति प्राप्त हुई।
- **न्यायिक सक्रियता:** न्यायपालिका ने जनहित याचिकाओं के दायरे को बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है, विशेष रूप से जहाँ कार्यपालिका न्याय देने में विफल रही है।
  - बँधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984) ने सामाजिक न्याय के लिये न्यायालयों तक पहुँच को उदार बनाने की मिसाल कायम की।
- **सरकारी प्राधिकारियों की निष्क्रियता:** जनहित याचिकाओं (PIL) में वृद्धि का कारण सार्वजनिक मुद्दों (जैसे- नौकरशाही संबंधी रुकावटें और भ्रष्टाचार) के समाधान में सरकारी निकायों की अपर्याप्तता को माना जा सकता है, जिसके कारण नागरिक न्यायालयों में जनहित याचिकाएँ दायर करने के लिये प्रेरित होते हैं।

जनहित याचिकाओं की वृद्धि ने सर्वोच्च न्यायालय को विश्व की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका बना दिया है।

- **कानूनों को रद्द करने की शक्ति:**
  - वर्ष 2021 में, सर्वोच्च न्यायालय ने NJAC अधिनियम और 99 वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया (NJAC अधिनियम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका वर्ष 2015 में दायर की गई थी)।
- **न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सरकारी निष्क्रियता को संबोधित करना:**
  - एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ (वर्ष 1988) मामले में न्यायालय ने प्रदूषण को नियंत्रित करने और गंगा के जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश जारी किये।
  - NEET 2024 पेपर लीक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा की अखंडता से समझौता करने के अपर्याप्त साक्ष्य के कारण पुन: परीक्षा कराने से इनकार कर दिया और NTA की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और सुधारों की सिफारिश करने के लिये केंद्र द्वारा नियुक्त पैनल के दायरे का विस्तार किया।
- **अधिकारों की व्यापक व्याख्या:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का आंतरिक हिस्सा माना (पुट्टास्वामी केस 2017)।
  - पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य घटक है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने यौनकर्मियों के सम्मान के अधिकार को मान्यता दी और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और सम्मान के अधिकार की व्याख्या का विस्तार किया (बुद्धदेव कर्मसकर मामला, 2022)।
- **स्वत: संज्ञान शक्तियाँ:**
  - कोलकाता हत्या-बलात्कार मामले (वर्ष 2024) में राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त तरीके करवाई न करने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया।
- **न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण:**
  - समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर औपनिवेशिक काल के कानून को पलटना (नवतेज सिंह जौहर मामला) और तीन तलाक को असंवैधानिक और अमान्य घोषित करना, लैंगिक समानता और व्यक्तिगत अधिकारों को बरकरार रखना (शायरा बानो मामला वर्ष 2017)।
  - सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया (वर्ष 2017)।

हालाँकि जनहित याचिकाओं ने न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार किया है और सर्वोच्च न्यायालय को दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से एक बनाने में योगदान दिया है, लेकिन न्यायिक अतिक्रमण की प्राय: विभिन्न हितधारकों द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्रों में अत्यधिक हस्तक्षेप के रूप में आलोचना की जाती है, एक ऐसी प्रथा जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में असामान्य है, जहाँ भारत के समान संवैधानिक व्यवस्थाएँ मौजूद हैं। लोकतंत्र की भावना को कायम रखने के लिये 'शक्तियों के पृथक्करण' का सम्मान किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष: अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया जैसी तुलनीय व्यवस्था होने के बावजूद, भारत में उपर्युक्त तत्त्वों की विशिष्ट अंतर्क्रिया यह धारणा बनाती है कि सर्वोच्च न्यायालय अत्यधिक शक्तिशाली है, विशेष रूप से उभरते लोकतंत्रों में। लेकिन न्यायिक समीक्षा एवं अतिक्रमण के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना आवश्यक है; लोकतंत्रों में "शक्तियों के पृथक्करण" को बनाए रखना प्रभावी रूप से लाभकारी है।

प्रश्न: भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचना कीजिये और अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ तुलना कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Discuss India as a secular state and compare with the secular principles of the US constituion.

उत्तर: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों में अत्यंत भिन्नता है।

- भारत धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है, जो सभी धर्मों को उनके आकार या प्रभाव की परवाह किये बिना समान सम्मान देता है।
- इसके विपरीत, पश्चिमी अवधारणा, जिसका उदाहरण अमेरिका है, धर्म और राज्य के बीच पूर्ण पृथक्करण का संकेत देती है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता

- राज्य में धर्म की अनुपस्थिति (अनु. 28)
- धार्मिक भेदभाव का निषेध (अनु. 15)

- अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण (अनु. 29)
- धार्मिक आचरण में सुधार (तीन तलाक निर्णय)
- संविधान की मूल संरचना के रूप में धर्मनिरपेक्षता (एस.आर. बोम्मई मामला)
- धार्मिक सहिष्णुता (सर्व धर्म सभाव) को बढ़ावा देना
- पूजा स्थलों का संरक्षण (पूजा स्थल अधिनियम, 1991)
- समान नागरिक संहिता एक उद्देश्य के रूप में (अनु. 44)

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में धर्मनिरपेक्षता का तुलनात्मक विश्लेषण

पहलू	भारत	संयुक्त राज्य अमेरिका
संवैधानिक आधार	प्रस्तावना (42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976), अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25-28	प्रथम संशोधन, "स्थापना खंड"
धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा	सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान	चर्च और राज्य का पृथक्करण
धर्म में राज्य की भागीदारी	सक्रिय (जैसे- मंदिरों का प्रबंधन, तीर्थयात्राओं को सब्सिडी प्रदान करना)	न्यूनतम (समर्थन या हस्तक्षेप से निषिद्ध)
धार्मिक शिक्षा	पूर्णतः राज्य वित्तपोषित विद्यालयों में इसकी अनुमति नहीं है	सरकारी विद्यालयों में प्रतिबंधित, निजी संस्थानों में अनुमति
व्यक्तिगत कानून	विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिये अलग-अलग (जैसे- हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ)	राज्य-विशिष्ट परिवार कानून नागरिकों पर लागू होता है
धार्मिक गतिविधियों के लिये राज्य वित्तपोषण	धर्मनिरपेक्ष पहलुओं के लिये अनुमति दी गई जैसे: शिक्षा (मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान) स्वास्थ्य सेवा (क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज)	सामान्यत: निषिद्ध, कुछ अपवाद (जैसे- आस्था-आधारित पहल)
हालिया कानूनी चुनौतियाँ	सीएए 2019, शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध (कर्नाटक, 2022)	विद्यालय प्रार्थना पर बहस, सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रतीक

निष्कर्ष: भारत और अमेरिका दोनों ही देशों को राजनीति में धार्मिक प्रभाव तथा व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के बीच परस्पर क्रिया को प्रबंधित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अंतत: सद्भाव और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धर्मनिरपेक्षता की सफलता दोनों देशों में संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने की दृढ़ प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है।

प्रश्न: विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए, एवं "एक राष्ट्र-एक चुनाव" के विशिष्ट संदर्भ में, चुनावी सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण कीजिये।

उत्तर: "एक राष्ट्र-एक चुनाव (ONOE)" शासन में सुधार लाने और बार-बार होने वाले चुनावों के कारण उत्पन्न होने वाले व्यवधानों को कम करने के लिये संपूर्ण देश में एक साथ चुनाव कराने की पहल का समर्थन करता है।

ONOE को निम्नलिखित द्वारा समर्थन प्राप्त था

- चुनाव आयोग ने अपनी प्रथम वार्षिक रिपोर्ट (1983) में विभिन्न कारणों को व्यक्त करते हुए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा था:
  - सरकार, पार्टियों और उम्मीदवारों के आधिकारिक व्यय में कमी आएगी।
  - बार-बार होने वाले चुनाव कार्यों को कम करके प्रशासनिक मशीनरी और सुरक्षा बलों पर बोझ कम किया गया जा सकता है।
  - अल्पकालिक राजनीतिक एजेंडा से उत्पन्न होने वाले शासन संबंधी मुद्दों का शमन जा सकेगा।
- विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में इस विचार का समर्थन करते हुए प्रत्येक पाँच वर्ष में एक चुनाव की सिफारिश की।
- वर्ष 2015 में संसदीय स्थायी समिति ने "दीर्घकालिक सुशासन" का हवाला देते हुए ONOE का समर्थन किया था।

ONOE के विरुद्ध उठाई गई चिंताएँ

- लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से राष्ट्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय तथा राज्य विशेष के मुद्दों की अनदेखी सकती है।
- राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को संघवाद को कमज़ोर करने वाले क्षेत्रीय दलों पर महत्त्वपूर्ण लाभ होगा।
- इसके लिये संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यविधि नियमों में भी बड़े संशोधन की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष: "ONOE" विभिन्न लाभ प्रदान करता है, इसके कार्यान्वयन के लिये संवैधानिक संशोधनों और प्रक्रियात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता होगी। कोविंद पैनल रिपोर्ट (2023) द्वारा सुझाए गए चरणबद्ध दृष्टिकोण से एक व्यावहारिक समाधान मिलता है, लेकिन इसकी सफलता आम सहमति और सावधानीपूर्वक क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

प्रश्न: अभी हाल ही में पारित तथा लागू किये गए लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं? क्या विश्वविद्यालय/राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएँ भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं?

उत्तर: लोक परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र लीक और कदाचार की बढ़ती घटनाओं से निपटने और पूरे भारत में परीक्षा प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता

तथा विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिये संसद द्वारा लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 पारित किया गया है।

अधिनियम लक्ष्य तथा उद्देश्य

- इस अधिनियम का उद्देश्य लोक परीक्षाओं में संगठित अपराध एवं कदाचार तथा अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना है।
  - इसमें लाभ के लिये अनुचित साधनों को परिभाषित किया गया है, जैसे प्रश्न-पत्र या उत्तर कुंजी (आंसर की) तक अनाधिकृत पहुँच या उन्हें लीक करना,
- यह अधिनियम परीक्षा प्रणाली में जनता का विश्वास बनाने के लिये दिशा-निर्देश और कठोर दंड का प्रावधान करता है।
  - अनुचित साधनों में डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करना तथा फर्जी परीक्षा आयोजित करना शामिल है। बिल के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती हैं।
- सख्त उपायों को लागू कर, यह अधिनियम निष्पक्ष परिणामों में उम्मीदवारों का विश्वास बढ़ाता है।
  - उपरोक्त अपराधों के लिये तीन से पाँच वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है तथा अपराधों की जाँच उप अधीक्षक या सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
- यह कानून परीक्षा में निष्पक्षता संबंधी अपराधों से निपटने के लिये एक रूपरेखा स्थापित करता है।
  - एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति डिजिटल प्लेटफॉर्मों और मज़बूत सूचना संचार प्रणालियों को सुरक्षित करने के लिये प्रोटोकॉल विकसित करेगी।

शामिल परीक्षाएँ

- **लोक परीक्षा की व्यापक परिभाषा:** लोक परीक्षाएँ अधिनियम के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा आयोजित की जाती हैं, जिनमें UPSC, SSC आदि परीक्षाएँ शामिल हैं।
  - अधिनियम में "संस्था" को किसी भी ऐसी एजेंसी या संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण और उनके सेवा प्रदाता शामिल नहीं हैं।
- **विश्वविद्यालयों और राज्य परिषदों का समावेश:** यद्यपि विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया है, फिर भी केंद्र सरकार विधेयक के अंतर्गत अतिरिक्त प्राधिकारियों को अधिसूचित कर सकती है।
  - हालाँकि यह विधेयक राज्यों के लिये भी एक आदर्श के रूप में कार्य करता है, जिससे राज्य स्तरीय सार्वजनिक परीक्षाओं में आपराधिक व्यवधानों को रोकने में सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष: लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देकर, भ्रष्टाचार का समाधान कर सभी उम्मीदवारों के लिये निष्पक्षता सुनिश्चित करके भारत में लोक परीक्षाओं की अखंडता को मज़बूत करता है।

प्रश्न: केंद्र सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों के क्षेत्र में हाल ही में क्या बदलाव किये हैं? संघवाद को मज़बूत करने के लिये केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के लिये उपाय सुझाइये।

उत्तर: भारत में केंद्र-राज्य संबंधों में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों एवं उत्तरदायित्व का वितरण शामिल है, जो भारतीय लोकतंत्र का मूल है। इस ढाँचे को संविधान के भाग XI में रेखांकित किया गया है।

केंद्र-राज्य संबंधों में हालिया परिवर्तन

- **प्रशासनिक स्तर पर:** वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने सहकारी संघवाद को बढ़ाने के लिये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की।
- **विधायी स्तर पर:** वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू-कश्मीर का भारत संघ में पूर्ण एकीकरण संभव हो गया।
  - वर्ष 2024 में कैबिनेट ने "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की रिपोर्ट को स्वीकृति दी, जिसमें समन्वित चुनाव की सिफारिश की गई।
- **वित्तीय स्तर पर:** वस्तु एवं सेवा कर (GST) राजकोषीय संघवाद में एक प्रमुख सुधार का प्रतिनिधित्व करता है, हालाँकि इससे राजकोषीय स्वायत्तता की हानि हुई है क्योंकि इसकी दरें GST काउंसिल द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

चिंताएँ

- **प्रशासनिक चिंताएँ:** अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग (राज्य की सहमति के बिना केंद्रीय बलों की तैनाती और राज्यपाल की भूमिका)।
  - केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिये आवंटन में काफी वृद्धि हुई है, जिससे राज्यों की अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने की क्षमता सीमित हो गई है।
- **विधायी:** राज्य सूची के विषयों में केंद्र का अतिक्रमण और राज्य विधेयकों पर सहमति प्राप्त करने में विलंब।
  - उदाहरण: कोविड-19 महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को लागू करके राज्यों पर केंद्रीय दिशा-निर्देश लागू कर दिये गए, जबकि लोक स्वास्थ्य राज्य का विषय है।
- **वित्तीय मुद्दे:** संसाधन जुटाने, आवंटन और आर्थिक निर्णय लेने में शक्तियों का केंद्रीकरण।

केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के लिये उपाय

- केंद्र और राज्यों के बीच संवाद तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया को विशेषकर अंतर्राज्य परिषद (1983 में सरकारिया आयोग) को सशक्त बनाकर सुदृढ़ करना आवश्यक है।

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट (1969) सहकारी संघवाद के लिये सिफारिशें:
  - अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना।
  - राज्यों को अधिकतम सीमा तक शक्तियों का प्रत्यायोजन।
  - केंद्र से राजकोषीय हस्तांतरण के माध्यम से राज्यों के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना।
  - सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में दीर्घकालीन अनुभव रखने वाले गैर-पक्षपातपूर्ण व्यक्ति की किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति।
- केंद्र को राज्य की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिये अनुच्छेद 355 और 356 के उपयोग को सीमित करना चाहिये।

निष्कर्ष: संघवाद को मज़बूत करने के लिये अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से बेहतर संवाद, समय पर कानून बनाना और राज्यों के लिये वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाना आवश्यक है।

संघवाद को मज़बूत करने के लिये राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता, शीघ्र कानून अधिनियमन तथा अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से बेहतर संचार आवश्यक है।

2023

प्रश्न: "संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है।" टिप्पणी कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

"Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy." Comment.

उत्तर: न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के स्तंभ हैं जो आपस में शक्तियाँ साझा करते हैं। इसमें कार्यपालिका एवं विधायिका के आदेशों तथा अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त न्यायपालिका, संविधान के मूल्यों को बनाए रखने एवं उनका पालन करने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

न्यायिक स्वतंत्रता क्यों?

- कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाना चाहिये ताकि न्यायालयों को राजनीतिक पूर्वाग्रह से राहत मिल सके, जो न्याय में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- न्यायालय का फैसला पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित होना चाहिये, न कि निष्पक्ष फैसले सुनिश्चित करने वाले न्यायाधीश की कथित वास्तविकता या पक्षपात पर।

संवैधानिक रूप से समर्थित न्यायिक स्वतंत्रता क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- न्याय व्यवस्था संविधान के तहत कार्य करती है। इसे संविधान के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। इसकी व्याख्या पर अंतिम अधिकार के रूप में इसकी शक्ति है।
- जब तक न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संवैधानिक रूप से समर्थन नहीं मिलता, इसे विधायिका या कार्यकारी आदेश द्वारा आसानी से कम किया जा सकता है।

संविधान के तहत प्रावधान

- न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका द्वारा हस्तक्षेप न करना।
- न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल।
- मौजूदा न्यायाधीश को हटाने के लिये महाभियोग की उचित प्रक्रिया।
- संसद न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती।
- भारत की संचित निधि पर वेतन और भत्ते का भार, जिसे विधायी अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है।
- संविधान के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से भारत एक अप्रतिबंधित, लेकिन अनुशासित न्यायपालिका को बरकरार रखता है जिस पर पूरा देश सम्मान के साथ भरोसा करता है।

प्रश्न: नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? नि:शुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की भूमिका का आकलन कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Who are entitled to receive free legal aid? Assess the role of the National Legal Services Authority (NALSA) in rendering free legal aid in India.

उत्तर: वॉल्टेयर ने ठीक ही कहा है, 'किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराने से बेहतर है कि किसी दोषी व्यक्ति को बचाया जाए।' न्यायिक न्याय एक मज़बूत लोकतांत्रिक राष्ट्र का आधार बनता है। अनुच्छेद-39A के तहत परिकल्पित सभी नागरिकों को न्यायिक न्याय की उचित और न्यायसंगत उपलब्धता राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा प्रदान की जाती है।

नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ सहायता कौन प्राप्त कर सकता है?

- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य।
- महिला अथवा बच्चे।
- अनुच्छेद-23 के अनुसार, तस्करी या बेगार का शिकार।
- मानसिक रूप से बीमार या विकलांग व्यक्ति।
- किसी सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा का शिकार।
- औद्योगिक कामगार।
- वे लोग जो वार्षिक निर्धारित आय से कम राशि अर्जित करते हैं, जो अलग-अलग राज्यों में भिन्न बने हुए हैं।

भारत में नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने में NALSA की भूमिका

- ज़िलों में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में 'लोक अदालत' का आयोजन करना, जो किसी विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने में सहायता करता है।
- NALSA स्कूल, कानूनी साक्षरता क्लबों, न्यायदीप न्यूज़लेटर (Nyaydeep Newsletter) और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता बढ़ाने पर कार्य करता है।
- लोक अदालत, कानूनी सेवा ऐप और कानूनी सहायता क्लीनिक के माध्यम से पहुँच बढ़ाना।

- विचाराधीन और अन्य कैदियों के लिये आउटरीच कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, उदाहरण के लिये, 'हक हमारा अभियान' द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और उन्हें जागरूक किया जाता है।

NALSA ने समाज के सबसे वंचित वर्गों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने में बहुत अच्छा कार्य किया है। हालाँकि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण समाज में सभी को समान रूप से न्याय प्रदान करने हेतु अभी भी एक लंबा मार्ग तय करना बाकी है।

प्रश्नः "भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं।" टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"The states in India seem reluctant to empower urban local bodies both functionally as well as financially." Comment.

उत्तर: नगरपालिकाओं की तरह शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के खराब प्रदर्शन के बारे में प्रायः चर्चा होती रहती है। 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा प्रदान किये गए संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद इन निकायों को मुख्य रूप से धन और पदाधिकारियों की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

अनिच्छुक राज्य

- **वित्त की कमी:** शहरी स्थानीय निकाय अनुदान के लिये राज्य सरकारों पर निर्भर हैं, क्योंकि उनकी आय के स्रोत अपर्याप्त हैं और उनके द्वारा एकत्र किया जाने वाला कर पर्याप्त नहीं है।
- हालाँकि शहरी स्थानीय निकायों को कर एकत्र करने की अनुमति है लेकिन वे मतदाताओं को नाराज़ न करने के लिये इससे बचते हैं।
- पूंजी जुटाने के उपकरण, जैसे- नगरपालिका बॉण्ड, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और मौजूदा बुनियादी ढाँचे का मुद्रीकरण आदि सभी वर्तमान में अप्रयुक्त बने हुए हैं।
- **कार्यात्मक नियंत्रण:** अनुच्छेद-243P से 243ZG के तहत संवैधानिक जनादेश होने के बावजूद राज्य सरकारें ULB को शक्तियाँ सौंपने में अनिच्छा प्रदर्शित करती हैं।
- **समानांतर संरचनाएँ:** जल बोर्ड और विकास प्राधिकरण जैसे निकाय ULB से उत्तरदायित्व और शक्तियाँ छीन लेते हैं।
- **नौकरशाही का प्रभुत्व:** राज्य द्वारा नियुक्त नौकरशाही के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों की निर्णय लेने की शक्ति में भारी कटौती की जाती है।
- इसलिये शहरी स्थानीय निकायों के उदारीकरण और शक्तियों के उचित हस्तांतरण के लिये अभी एक लंबा मार्ग तय करना है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें।

प्रश्नः संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें तथा अंतर बताएँ। (150 शब्द, 10 अंक)

Compare and contrast the British and Indian approaches to Parliamentary sovereignty.

उत्तर: संसदीय संप्रभुता एक अवधारणा है जो न्यायपालिका सहित सभी सरकारी संस्थानों से ऊपर, देश की संसद या विधायी निकाय की पूर्ण सर्वोच्चता में विश्वास करती है।

ब्रिटिश बनाम भारतीय संसद

- ब्रिटेन संसदीय सर्वोच्चता की अवधारणा का पालन करता है, उसकी विधायी संस्था राष्ट्र पर पूर्ण संप्रभुता का प्रयोग करती है, भारत संवैधानिक संप्रभुता की प्रणाली का पालन करता है जिसमें संविधान सर्वोपरि है, यहाँ तक कि संसद से भी ऊपर है।
- ब्रिटेन की संसद द्वारा किसी विधेयक के पारित होने पर सम्राट की स्वीकृति केवल एक औपचारिकता के रूप में ली जाती है। भारत के मामले में राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिये वापस भेजने या सहमति को रोकने की शक्ति है।
- यूनाइटेड किंगडम, प्रधानमंत्री को केवल हाउस ऑफ कॉमन्स से चुने जाने की अनुमति देता है जिससे लोगों की पसंद का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री को किसी भी सदन से चुना जा सकता है, जिसका राज्यसभा के मामले में देश की चुनावी पसंद का सही प्रतिनिधित्व नहीं होगा।
- ब्रिटेन के भीतर स्कॉटलैंड की एक अलग संसद के अस्तित्व में संसदीय संप्रभुता की कमी स्पष्ट है। इसके विपरीत भारत में जब जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति मौजूद थी, तब भी एक ही संसद थी।
- प्रायः यह माना जाता है कि भारत में वेस्टमिंस्टर मॉडल के अनुरूप प्रणाली है, लेकिन करीब से देखने पर दोनों के बीच स्पष्ट अंतर का पता चलता है, जैसा कि संसदीय संप्रभुता के मामले में देखा गया है।

प्रश्नः विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.

उत्तर: विधानसभा अध्यक्ष और विधानपरिषद् अध्यक्ष, अनुच्छेद-178 एवं 182 के अनुसार अपने संबंधित सदनों के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। वे प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अपने सदनों के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करते हैं।

पीठासीन अधिकारियों की भूमिका

- **व्यवस्था बनाए रखना:** पीठासीन अधिकारियों के पास यह सुनिश्चित करने के लिये कि सदन की मर्यादा बनी रहे, सदस्यों को निष्कासित करने, आदेश मंगवाने और बैठकें स्थगित करने के अधिकार हैं।
- यदि असंसदीय भाषा का प्रयोग किया जाता है या व्यक्तिगत हमले किये जाते हैं तो वे हस्तक्षेप कर सकते हैं।
- वे महाराष्ट्र में सदस्यों को अयोग्य ठहराते हुए उन्हें दंडित कर सकते हैं।

निष्पक्षता बनाए रखना

- पीठासीन अधिकारी सभी सदस्यों और सभी दलों के लिये समान भागीदारी के अवसर सुनिश्चित करते हैं।
- जबकि पीठासीन अधिकारी पहली बार में किसी मामले पर मतदान नहीं करते हैं, मतों के बराबर होने की स्थिति में वे निर्णायक मत दे सकते हैं।
- लोकतांत्रिक प्रथाओं को सुविधाजनक बनाना।
- वे विपरीत विचारों के साथ संवाद के लिये एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं।
- वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने और चर्चा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
- वे इस प्रक्रिया में संवैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।
- अपने कर्त्तव्यों की पूर्ति सुनिश्चित करके राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी सदनों के लोकतांत्रिक और संवैधानिक रूप से अनुपालन वाले सत्र सुनिश्चित करते हैं।

प्रश्न: "भारत का संविधान अत्यधिक गतिशील क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह एक प्रगतिशील समाज के लिये बनाया गया एक संविधान है।" जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये।

(250 शब्द, 15 अंक)

"The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society." Illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty.

उत्तर: समाज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए समय-समय पर संविधान में संशोधन और उसे उन्नत करने का प्रावधान संविधान को एक जीवंत दस्तावेज़ बनाता है। अनुच्छेद-21 के तहत जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहा निरंतर विस्तार इसका एक प्रमुख उदाहरण है, समय के साथ इसके नए पहलुओं की खोज की गई है।

भारतीय संविधान की गतिशीलता

- **प्रिवी पर्स की समाप्ति:** 26वें संशोधन द्वारा संविधान ने सामाजिक रूप से प्रगतिशील कदम उठाया और समानता में सुधार के कदम के रूप में राजा/महाराजाओं के विशेषाधिकारों को छीन लिया।
- **लोकसभा सीटों में वृद्धि:** जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है, उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये क्रमशः सीटों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता होती है।
- **मूल संरचना सिद्धांत:** प्रतिष्ठित केशवानंद भारती मामला और 'बुनियादी संरचना सिद्धांत' के बाद का विकास संविधान की गतिशीलता को दर्शाता है।

अनुच्छेद-21 के तहत नए क्षितिज (Horizon)

- **निजता का अधिकार:** 'न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ' मामले (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को अनुच्छेद-21 का अंतर्निहित अधिकार घोषित किया।
- **आश्रय का अधिकार:** इसे 'राजेश यादव बनाम यू.पी. राज्य' मामले में एक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी, जहाँ न्यायालय ने कहा था कि निवासियों को घर देना राज्य का कर्त्तव्य है।
- **ट्रांसजेंडरों के अधिकार:** इस अधिकार को 'NALSA बनाम भारत संघ' मामले (2014) में पेश किया गया, इसने स्वतंत्रता, सम्मान और भेदभाव से मुक्ति के उनके अधिकारों की पुष्टि की।
- **गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार:** 'कॉमन कॉज बनाम भारत संघ' के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सक-सहायता आत्महत्या (PAS), जिसे अक्सर निष्क्रिय इच्छामृत्यु के रूप में जाना जाता है, को यह कहते हुए वैध कर दिया कि यह अनुच्छेद-21 में शामिल है।

संविधान समय-समय पर किये गए विभिन्न संशोधनों के माध्यम से विकसित हुआ है। अनुच्छेद-21 के तहत खुला 'जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार' में हो रहा निरंतर विस्तार भारतीय संविधान की प्रगतिशील प्रकृति का प्रमाण है।

प्रश्न: प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की सहायता से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.

उत्तर: 18वीं सदी के अंत में नारीवाद आंदोलन के उद्भव के बाद से हमारे समाज में लैंगिक संवेदनशीलता तथा इसके महत्त्व के बारे में सामान्य जागरूकता ने अत्यधिक प्रगति की है। भारत का इतिहास लैंगिक संवेदनशीलता के प्रति गहन चेतना को दर्शाता है जिसका ज़िक्र संविधान में भी हुआ है।

सवैंधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद-14 नागरिकों को कानून के समक्ष समान दर्जे का मानता है।
- अनुच्छेद-15 'लिंग' सहित विभिन्न आधारों पर भेदभाव पर रोक लगाता है।
- अनुच्छेद-16 रोज़गार के मामलों में नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है।
- अनुच्छेद-39 में महिलाओं के लिये वेतन की समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का उल्लेख है।
- अनुच्छेद-42 राज्य से काम और मातृत्व लाभ की उचित एवं मानवीय स्थितियाँ सुनिश्चित करने को कार्य करने के लिये कहता है।

निर्णय विधि

- **'मैरी रॉय बनाम केरल राज्य':** न्यायालय ने पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार पर महिलाओं एवं पुरुषों का समान अधिकार सुनिश्चित किया।

- **'लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य':** न्यायालय ने कहा कि लड़की को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का पूरा अधिकार है।
- **'लक्ष्मी बनाम भारत संघ':** एक एसिड अटैक सर्वाइवर (एसिड हमले की पीड़िता) की यह जनहित याचिका एसिड को ज़हर घोषित करने और उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के साथ समाप्त हुई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि कोई भी अस्पताल एसिड अटैक पीड़िता का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकता।
- **'शायरा बानो बनाम भारत संघ':** इस ऐतिहासिक निर्णय ने तीन तलाक की प्रथा को संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत समानता के अधिकार के खिलाफ घोषित किया, क्योंकि इसमें महिलाओं को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है।

भारतीय कानूनी एवं न्यायिक परिप्रेक्ष्य वह है जो समान अवसर के लिये लैंगिक परिदृश्य को समान करने तथा अपनी आबादी में लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने को महत्त्व देता है।

प्रश्न: संघीय सरकार द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद-356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिये ज़िम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Account for the legal and political factors responsible for the reduced frequency of using Article 356 by the Union Governments since mid 1990s.

उत्तर: अनुच्छेद-356, जिसे बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, संघ को कुछ मामलों में राज्य मशीनरी पर सीधे नियंत्रण लेने की शक्ति प्रदान करता है, जहाँ उसका मानना है कि राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार सामान्य कामकाज जारी करने में असमर्थ है। हालाँकि यह माना जाता था कि यह एक 'मृत पत्र' है जिसका उपयोग शायद ही कभी किया जाएगा। अतीत में इसका उपयोग 100 से अधिक बार किया गया है, लेकिन हाल के दिनों में विभिन्न राजनीतिक एवं कानूनी कारकों के कारण इसका उपयोग काफी कम हो गया है।

कम आवृत्ति के कारक

- **एस.आर. बोम्मई मामला:** इस प्रतिष्ठित मामले ने अनुच्छेद-356 के उपयोग को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया।
- इसने अनुच्छेद को लागू करने के निर्णय को न्यायिक समीक्षा का विषय बना दिया तथा राष्ट्रपति शासन को उचित ठहराने के लिये 'भौतिक साक्ष्य को आवश्यक' बना दिया।
- अंत में इसने न्यायालय को राज्य विधायिका को बहाल करने की शक्ति प्रदान की, यदि वह किसी राज्य में अनुच्छेद के आवेदन के तर्क से संतुष्ट नहीं है।
- **अंतर-राज्यीय परिषदें:** इनके गठन से राज्य एवं केंद्र के बीच संबंधों में सुधार हुआ।
- **गठबंधन की राजनीति:** इसके उद्भव के साथ केंद्र में पक्षकारों को उन क्षेत्रीय पार्टियों के प्रति अधिक उदार होना पड़ा जो केंद्र में विभिन्न पार्टियों को सशक्त बना रही थीं।
- **क्षेत्रीय दलों का उदय:** मज़बूत क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय के साथ, केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद-356 का दुरुपयोग कठिन होता गया।

विभिन्न राजनीतिक एवं कानूनी मामलों में अनुच्छेद-356 के कम उपयोग ने भारत को एक स्वस्थ, अधिक संघीय लोकतंत्र बना दिया है।

प्रश्न: भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिये नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India.

उत्तर: नागरिक समाज उन समुदायों एवं समूहों को संदर्भित करता है जो समाज में कुछ लोगों या मुद्दों को समर्थन प्रदान करने के लिये सरकार के बाहर कार्य करते हैं। वे नीति निर्धारण को प्रभावित करने के लिये गुप्त रूप से कार्य करते हैं। भारत जैसे बड़े देश में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिये स्वैच्छिक नागरिक समूह आवश्यक हैं।

योगदान

- **जागरूकता बढ़ाना:** नागरिक समाज समूहों ने ज़मीनी स्तर पर आवश्यक जागरूकता उत्पन्न करने के लिये छोटे बेंचों के रूप में जनता को शिक्षित किया है। इस संबंध में दबाव समूहों द्वारा '50% आरक्षण' जैसी कई पहलें की गई हैं।
- **नीति परिवर्तन:** ये संगठन विधायिका द्वारा नीति निर्माण को प्रभावित करने के लिये दबाव समूहों के माध्यम से विधायी प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। ये प्रमुख समस्या क्षेत्रों की पहचान करने तथा उन पर विशेष रूप से काम करने के लिये अनुसंधान एवं डेटा संग्रह में भी शामिल हैं।
- **क्षमता निर्माण:** ये समूह महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं और उन्हें विधायी प्रक्रिया में भाग लेने के लिये आवश्यक कौशल विकसित करने में सहायता कर रहे हैं। नागरिक समूह महिला नेताओं के आने तथा सामूहिक रूप से अधिक राजनीतिक भागीदारी के लिये रणनीति बनाने के लिये भी मंच तैयार करते हैं।
- इसलिये भारत की विधायी प्रक्रिया पर नागरिक समाज समूहों के प्रभाव को कम करके नहीं आँका जा सकता। 'महिला आरक्षण विधेयक, 2023' का पारित होना देश पर नागरिक समूहों के सकारात्मक प्रभावों का प्रमाण है।

प्रश्न: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्त्व समझाइये। यह किस सीमा तक संघवाद की समावेशी भावना को दर्शाता है? (250 शब्द, 15 अंक)

Explain the significance of the 101st Constitutional Amendment Act. To what extent does it reflect the accommodative spirit of federalism?

उत्तर: 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की प्रक्रिया हासिल की गई। GST ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया।

अधिनियम का महत्त्व

- **सम्मिलित विभिन्न अप्रत्यक्ष कर:** सेवा कर, उत्पाद शुल्क जैसे सभी करों को GST के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है जिससे भारत में कराधान एकीकृत हो गया है।
- **कम अनुपालन बोझ:** GST व्यवस्था के तहत करों की गणना आसान हो गई है जिससे अनुपालन का बोझ कम हो गया है।
- **कर प्रशासन को सरल बनाना:** कर संबंधी प्रयासों के अतिरेक और दोहराव को बहुत कम कर दिया गया है जिससे कराधान सरल हो गया है।
- **व्यापार सुगमता में वृद्धि:** कुछ राज्यों और प्रकारों में कराधान एक बोझिल प्रक्रिया हुआ करती थी जिसे अब ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया गया है।
- **करों का व्यापक प्रभाव:** उत्पादन के प्रत्येक चरण पर कर लगाने तथा इस प्रकार कर पर कर लगाने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया।
- **गंतव्य-आधारित कराधान:** मूल्यवर्द्धित कर (VAT) के विपरीत, जो विनिर्माण या बिक्री के समय लगाया जाता था, GST एक गंतव्य-आधारित कराधान प्रणाली है।

अधिनियम और संघवाद

- अधिनियम एक प्रावधान के साथ आया था जिसमें राज्यों को GST के कार्यान्वयन के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिये मुआवज़ा दिया गया था।
- GST परिषद में केंद्र और राज्य दोनों के सदस्य शामिल हैं तथा निर्णय आम सहमति पर आधारित होते हैं, इसलिये सहकारी संघवाद को मज़बूत किया जाता है।
- GST के कारण बढ़े हुए राजस्व ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिये अधिक वित्त सुनिश्चित किया है जिससे बुनियादी ढाँचे के विकास में मदद मिली है।
- GST से व्यापार में अंतर-राज्यीय बाधाएँ बहुत कम हो गई हैं जिससे देश भर में व्यापार आसानी से संचालित हो रहा है।

101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने वस्तु एवं सेवा कर को लागू करके राज्यों में व्यापार को सरल बनाने में पर्याप्त सहायता की है। राज्यों और केंद्र सरकारों के लिये बढ़ा हुआ राजस्व एक राष्ट्र, एक कर के उद्देश्य के साथ देश में संघवाद को मज़बूत करने की अनुमति देता है।

प्रश्न: संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइये। भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहाँ तक मदद की? (250 शब्द, 15 अंक)

Explain the structure of the Parliamentary Committee system. How far have the financial committees helped in the institutionalisation of Indian Parliament?

उत्तर: संसदीय समितियाँ संसद के पटल पर समय बचाने और विशेषज्ञों की राय लेकर तथा राष्ट्रीय हित के मामलों पर समर्पित समय खर्च करके सर्वोत्तम नीति निर्माण सुनिश्चित करने के लिये तैयार किया गया एक प्रमुख उपकरण है।

संसदीय समितियों के प्रकार

- **स्थायी समितियाँ:** ये वार्षिक रूप से गठित स्थायी निकाय हैं।
  - स्थायी समितियों को निम्नलिखित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
  - वित्तीय समितियाँ
  - विभागीय स्थायी समितियाँ
  - पूछताछ हेतु समितियाँ
  - जाँच और नियंत्रण हेतु समितियाँ
  - सदन के दिन-प्रतिदिन के कार्य से संबंधित समितियाँ
  - हाउस-कीपिंग समितियाँ या सेवा समितियाँ
- **तदर्थ समितियाँ:** ये विशेष कार्यों के लिये बनाई गई अस्थायी समितियाँ हैं।
  - इसके अंतर्गत दो श्रेणियाँ शामिल हैं 'जाँच समितियाँ' और 'सलाहकार समितियाँ'।
  - वित्तीय समितियों और संसद का संस्थागतकरण
- तीन विशिष्ट वित्तीय समितियाँ हैं जो विशिष्ट कार्य करती हैं। ये समितियाँ हैं:

प्राक्कलन समिति

- ये समितियाँ व्यय की दक्षता का आकलन करती हैं और नीतिगत बदलावों का सुझाव देती हैं, इसलिये इन्हें सतत अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है।
- यह सुनिश्चित करती हैं कि पॉलिसी की आवश्यकताओं के अनुसार पैसा अच्छी तरह से रखा गया है अथवा नहीं तथा यह सुझाव देती हैं कि अनुमानों को संसद में किस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

सार्वजनिक उपक्रम समितियाँ

- ये अनिवार्य रूप से सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन का आकलन करती हैं तथा सार्वजनिक उपक्रमों की दक्षता और स्वायत्तता सुनिश्चित करती हैं।
- समिति की भूमिका केवल सलाहकार की है और वह रोज़मर्रा के तकनीकी मामलों की जाँच या निरीक्षण नहीं करती है।

लोक लेखा समिति (PAC)

- यह सार्वजनिक व्यय की जाँच तकनीकी दृष्टिकोण के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी करती है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट को ऑडिट करते है।
- यह कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करती है तथा सरकारी योजनाओं व परियोजनाओं की जाँच करती है। उदाहरण के लिये, 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन।

पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय समितियाँ संसद के समुचित कामकाज और संस्थागतकरण के लिये महत्त्वपूर्ण साबित हुई हैं। तीन वित्तीय समितियाँ सरकार के वित्तीय मामलों में वित्तीय विवेक, जवाबदेही तथा पारदर्शिता स्थापित करने में मदद करती हैं।

2022

प्रश्न: आदर्श आचार-संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की विवेचना कीजिये?

(250 शब्द, 15 अंक)

Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.

उत्तर: भारत का चुनाव आयोग (ECI), भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिये ज़िम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संदर्भ में, आदर्श आचार संहिता (MCC) एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आदर्श आचार संहिता चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिये चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का एक समूह है। MCC चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा तक लागू रहती है।

आदर्श आचार संहिता का विकास

- आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी।
- केरल प्रशासन द्वारा तैयार की गई इस संहिता में चुनावी सभाओं, भाषणों और नारों आदि के बारे में राजनीतिक दलों को निर्देश दिये गए थे।

- 1962 के लोकसभा में निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को फीडबैक के लिये आचार संहिता का प्रारूप भेजा, जिसके बाद से देश भर के सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है।

- वर्ष 1991 में चुनाव आयोग ने चुनावी मानदंडों के बार-बार उल्लंघन और निरंतर भ्रष्टाचार के कारण आदर्श आचार संहिता को और अधिक सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया।

आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में चुनाव आयोग की भूमिका

- संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के अपने जनादेश के हिस्से के रूप में चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ दल संहिता का पालन करें।
- चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के कुशल प्रवर्तन के लिये कई तंत्र स्थापित किये हैं।
- सी-विजिल मोबाइल ऐप की शुरुआत, जिसके माध्यम से कदाचार के ऑडियो-विजुअल साक्ष्य की सूचना दी जा सकती है।
- प्रवर्तन अभिकरणों और उड़नदस्तों की संयुक्त टास्क फोर्स।
- चुनावी अपराधों, कदाचारों और मतदाताओं को प्रलोभन देने, रिश्वतखोरी, धमकी या किसी अनुचित प्रभाव जैसे भ्रष्ट आचरण के मामले में चुनाव आयोग आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई करता है।

आदर्श आचार संहिता का कोई वैधानिक समर्थन नहीं है, चुनाव आयोग द्वारा इसे सख्ती से लागू किये जाने के कारण पिछले एक दशक में इसे मज़बूती मिली है। विभिन्न तकनीकी प्रगति ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के रास्ते में नई चुनौतियाँ पेश की हैं, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू करने के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा की गई पहल सार्थक प्रतीत होती है।

प्रश्न: राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उप-राष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Discuss the role of the Vice-President of India as the Chairman of the Rajya Sabha.

उत्तर: भारत में उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारत के संविधान के भाग-V में अनुच्छेद 63-71 उप-राष्ट्रपति से संबंधित है।

राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उप-राष्ट्रपति की भूमिका

- वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सदन की कार्यवाही प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों तथा परंपराओं के अनुसार संचालित हो।
- उसे गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करने या उसकी बैठक को स्थगित करने का अधिकार है।
- राष्ट्रपति में समन्वय सभापति के माध्यम से किया जाता है एवं वह सदन के निर्णय से संबंधित प्राधिकारियों को भी सूचित करता है।
- वोटों की समानता के मामले में वह केवल निर्णायक वोट का प्रयोग करेगा।
- वह पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन को छोड़कर सदन की चर्चा में भाग नहीं लेता है।
- कोई विधेयक, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जाना होता है, सभापति उसे पहले प्रमाणित करता है।
- वह सदन और उसके सदस्यों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का संवाहक और संरक्षक है।
- वह दल-बदल के आधार पर राज्यसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण करता है।
- राज्यसभा का सचिवालय सभापति के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करता है।

भारत के उप-राष्ट्रपति को कार्यपालिका के दूसरे प्रमुख और संसद के उच्च सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दोहरी क्षमता प्रदान की गई है।

प्रश्न: भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में हैं, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य-स्वायत्तता के पक्ष में। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

"While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of State autonomy." Comment.

उत्तर: केंद्रीकरण से तात्पर्य निर्णयन तथा नियोजन को एक ही इकाई पर केंद्रित करना है जिससे प्रक्रिया में एकरूपता लाई जा सके। जबकि राज्य स्वयत्तता से तात्पर्य संसाधनों पर किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण से स्वतंत्र नियंत्रण के स्तर से है।

चूँकि भारत में राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। इसी कारण विकास, वित्त एवं विभिन्न मंचों पर प्रतिनिधित्व आदि मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों के मध्य खींचतान चलती रहती है।

राष्ट्रीय दलों द्वारा केंद्रीकरण का पक्ष लेने के कारण

- व्यापक मतदाता आधार तथा राष्ट्रीय उपस्थिति। उदाहरण-BJP, INC
- राष्ट्रीय दलों का एजेंडा तथा प्राथमिकताएँ क्षेत्रीय दलों से भिन्न, इसी कारण से (लोकसभा + विधानसभा) एक साथ चुनाव जैसे मुद्दों का समर्थन करते हैं।

वित्तीय कारण

- वार्षिक केंद्रीय बजट, वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा अधिक वित्तीय नियंत्रण
- राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति के कारण कॉरपोरेट्स से अधिक राजनीतिक धन आकर्षित करते हैं।

प्रशासनिक कारण

- भारत की राजव्यवस्था शक्तिशाली केंद्र के साथ राज्य की स्वतंत्रता का समर्थन करती है।
- राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है तथा राज्य में कानून एवं व्यवस्था सहित असंवैधानिक विकास को नियंत्रित करता है।

क्षेत्रीय दलों द्वारा राज्य स्वायत्तता का पक्ष लेने के कारण

राजनीतिक कारण

- क्षेत्रीय उपस्थिति। उदाहरण- SP, RJD
- भाषा, जाति या अन्य मुद्दों से संबंधित सीमित मतदाता आधार

उदाहरण- शिव सेना द्वारा महाराष्ट्र में मराठी मानुष का मुद्दा तथा JDU व RJD द्वारा जातिगत जनगणना की मांग

वित्तीय कारण

- केंद्र द्वारा वित्त का हस्तांतरण शर्तों से बंधा हुआ
- केंद्र प्रायोजित योजनाएँ व्यय के हिस्से को राज्यों द्वारा भी अनिवार्य बनाती हैं, किंतु स्वायत्तता छीन लेती हैं।

उदाहरण- पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना जैसे राज्यों ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने से मना कर दिया।

- पहाड़ी व पिछड़े राज्यों के विकास हेतु क्षेत्रीय दलों द्वारा विशेष दर्जे की मांग (उदाहरण- बिहार)

प्रशासनिक कारण

- केंद्र में राष्ट्रीय दलों द्वारा केंद्र की ओर झुके कानून बनाकर समवर्ती सूची का दुरुपयोग
- सीबीआई, ई.डी. आयकर विभाग आदि केंद्रीय संस्थाओं का केंद्र द्वारा दुरुपयोग

उदाहरण- बंगाल तथा महाराष्ट्र

- राज्यपाल के कार्यालय का राजनीतीकरण

उदाहरण- केरल

भारत के संदर्भ में 2014 के पश्चात् शक्ति का केंद्रीकरण केंद्र की ओर देखने को मिला है। भारत की अर्द्धसंघीय प्रकृति को देखते हुए केंद्र का यह कर्त्तव्य है कि वह राज्यों के साथ संतुलन बनाने तथा देश में सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

प्रश्न: भारत और फ्राँस के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Critically examine the procedures through which the Presidents of India and France are elected.

उत्तर: फ्राँस आधुनिक विश्व के आरंभिक गणराज्यों में से एक है। भारत ने गणराज्य शब्द फ्राँस के संविधान से ही ग्रहण किया है। भारत तथा फ्राँस दोनों देशों में राष्ट्रपति राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में दोनों अपने-अपने सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ के तौर पर कुछ औपचारिक पदों का निर्वहन करते हैं।

निर्वाचन की प्रक्रिया

भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन	फ्राँस के राष्ट्रपति का निर्वाचन
❑ अप्रत्यक्ष निर्वाचन।	❑ प्रत्यक्ष निर्वाचन।
❑ अनुच्छेद-54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।	❑ दो राउंड में सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर।
❑ सभी राज्यों व केंद्र-शासित प्रदेशों पुदुच्चेरी दिल्ली, जम्मू-कश्मीर एवं पुदुच्चेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।	❑ उम्मीदवार बनाने हेतु कम-से-कम 500 निर्वाचित प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता।
❑ नामांकन हेतु 50 प्रस्तावकों तथा 50 समर्थकों की आवश्यकता।	❑ पहले राउंड में मतदाता 500 हस्ताक्षर वाले किसी भी उम्मीदवार को मत दे सकते हैं।
❑ अनुच्छेद-55(3) के तहत एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन।	❑ यदि किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं होते हैं तो दूसरा राउंड आयोजित किया जाता है।
❑ राष्ट्रपति चुनाव जीतने हेतु उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 50% + 1 मत प्राप्त करना आवश्यक।	❑ सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले शीर्ष 2 उम्मीदवार दूसरे राउंड हेतु योग्य होते हैं।
	❑ दूसरे राउंड में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है।

आलोचनात्मक पक्ष

भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन	फ्राँस के राष्ट्रपति का निर्वाचन
❑ विधानसभाओं के सदस्य के मत का मूल्य भिन्न, क्योंकि यह जनसंख्या पर आधारित।	❑ 500 निर्वाचित प्रतिनिधियों के अनुमोदन का अभाव, किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनने हेतु नामांकन करने से रोकता है।
❑ अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा भंग होने पर भी चुनाव कराया जा सकता है।	❑ यदि किसी उम्मीदवार ने अधिकतम मत प्राप्त किये, किंतु वे मत 50% से कम हैं तो दूसरा राउंड आयोजित किया जाता है जो उम्मीदवार की जीत के अवसर को कम करता है।
❑ उम्मीदवार तथा निर्वाचक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती।	

इस प्रकार भारत तथा फ्राँस के राष्ट्रपति के चुनाव में अलग-अलग प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं। इसके बावजूद भी राष्ट्र के विकास एवं संवृद्धि के लिये राष्ट्र प्रमुख के रूप में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही भारत तथा फ्राँस दोनों को सफल गणराज्य बनाने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

प्रश्न: राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिये। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुन: प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the Governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by the Governor without placing them before the Legislature.

उत्तर: संविधान के अनुच्छेद-153 में प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल का प्रावधान है। एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल कार्यकारिणी का हिस्सा है तथा उसे संविधान के भाग VI में विभिन्न विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

राज्यपाल अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग विभिन्न आवश्यक शर्तों के तहत करता है, जो निम्न हैं-

- **विधायी शक्तियाँ**
  - ◆ राज्यपाल द्वारा विधानसभा के किसी विधेयक (धन विधेयक को छोड़कर) को राष्ट्रपति के लिये सुरक्षित करना।
  - ◆ हर नए वर्ष में राज्य विधान मण्डल के पहले सत्र को राज्यपाल द्वारा संबोधित करना।
  - ◆ राज्य विधानसभा की अध्यक्षता के लिये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पदरिक्ति की स्थिति में राज्यपाल द्वारा बैठक अध्यक्षता हेतु विधानसभा से किसी भी सदस्य को नियुक्त करना।
  - ◆ राज्य विधानसभा सदस्य की अयोग्यता पर राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श बाद निर्णय करना।

राज्यपाल की सबसे महत्त्वपूर्ण शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की है-

राज्यपाल अध्यादेश शक्ति

राज्यपाल तभी अध्यादेश ला सकता है जब वह इस तथ्य से संतुष्ट हो, जब विशिष्ट मुद्दे पर कार्रवाई आवश्यक हो	राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अध्यादेश प्रख्यापित/वापस ले सकता है।	अध्यादेश उन्हीं विषयों पर ला सकता है जिन पर विधानमंडल विधि पारित/बना सकता है।

- राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुन: प्रख्यापन की वैधता को हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों द्वारा समझ सकते हैं।
  - ◆ **कूपर मामला (1970):** सुप्रीम कोर्ट द्वारा अध्यादेशों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया।
  - ◆ **डी.सी. वाधवा (1987):** न्यायालय ने कहा कि कार्यपालिका द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिये न कि विधायिका की विधि बनाने की शक्ति के विकल्प रूप में।
  - ◆ **कृष्ण कुमार (2017):** सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय में कहा गया कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रकृति में पूर्ण नहीं सशर्त है। अत: मौजूद परिस्थितियों में तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तभी प्रयोग होना चाहिये।

निष्कर्ष: भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के लिये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करने की शक्ति विशेष परिस्थिति से निपटने हेतु दी जाती है। अत: इसका उचित प्रयोग संविधान की मूल भावना के अनुकूल है।

2021

प्रश्न: संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में समता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिये? (250 शब्द, 15 अंक)

Analyze the distinguishing features of the notion of Right to Equality in the Constitutions of the USA and India.

उत्तर: संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत अपने राजनीतिक ढाँचे में संघवाद पर आधारित दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र तभी पनप और फल-फूल सकता है। जब समाज में व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए इस प्रकार मौजूदा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं की बाधाओं को दूर करने और संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों और स्वतंत्रताओं का आनंद लेने के लिये विविध समुदायों को सक्षम करने के लिये संविधान में मौलिक अधिकारों सहित अनेक प्रावधानों को शामिल किया गया।

समानता के अधिकार का अर्थ है कि जाति, नस्ल, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कानूनी भेदभाव का अभाव तथा सभी नागरिकों के लिये समान अधिकार सुनिश्चित करना।

भारत और अमेरिका के संदर्भ में

भारत	अमेरिका
❑ भारत में संविधानसभा द्वारा संविधान के अध्याय III को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था।	❑ अमेरिका के अधिकारों की घोषणा और अधिकारों के विधेयक से समानता का अधिकार प्राप्त किया।
❑ संविधान 'कानून के समक्ष समानता' के ब्रिटिश मॉडल और 'कानून के समान संरक्षण' के अमेरिकी मॉडल (अनुच्छेद-14) दोनों का पालन करता है।	❑ वर्ष 1868 में चौदहवें संविधान संशोधन के माध्यम से अधिकारों के विधेयक में डाला गया था।
❑ यह नागरिक कानून के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक समानता दोनों के लिये भी प्रदान करता है। यह वास्तविक समानता पर भी प्रकाश डालता है।	❑ अमेरिका 'कानून के समान संरक्षण' की अवधारणा का अनुसरण करता है जो समान परिस्थितियों में समान उपचार पर प्रकाश डालता है।
❑ संविधान समानता सुनिश्चित करने के लिये सकारात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान करता है। अनु. 16	❑ अधिकार प्रमुख रूप से नागरिक और कानूनी समानता पर ज़ोर देता है।
❑ यह अवसर की समानता के साथ-साथ परिणामों की समानता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।	❑ 1776 में अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल नहीं किया गया बल्कि उन्हें बाद में संवैधानिक संशोधनों द्वारा, जिन्हें सामूहिक रूप से 'बिल ऑफ राइट्स' की संज्ञा दी जाती है, के माध्यम से शामिल किया गया था।
❑ समानता का अधिकार भेदभाव को रोकता है और अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अनु. 17 ❑ उपाधियों का अंत अनु. 18	❑ मूल संविधान ने भेदभाव को नहीं रोका। अतः इसको अधिकारों की घोषणा द्वारा लाया गया।

समानता के अधिकार को दोनों संविधानों की एक बुनियादी विशेषता माना जाता है और हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ हमारे देश के विकास के लिये कुछ वर्गों का उत्थान आवश्यक माना जाता है। सभी को समान अवसर और उपचार प्रदान करके व्यक्तियों की मौलिक एकता पर ज़ोर दिया गया है।

प्रश्नः विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिये उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)
Discuss the desirability of greater representation to women in the higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness.

उत्तर : जनवरी 2023 के एक आँकड़े के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश पदों पर केवल 3 महिलाओं की नियुक्ति है जबकि देश के उच्च न्यायालयों के जजों के स्तर पर मात्र 11.5% महिलाएँ जज हैं। ये आँकड़े निश्चय ही देश की आधी आबादी के संदर्भ में उच्चतर न्यायपालिका में विविधता, समता तथा समावेशिता स्थापित करने में बाधक है–

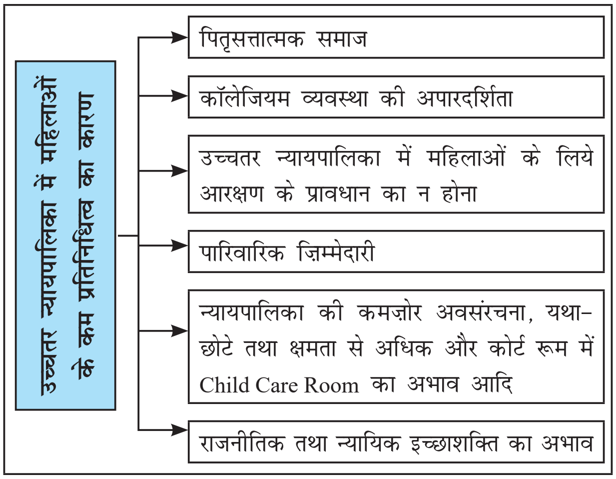

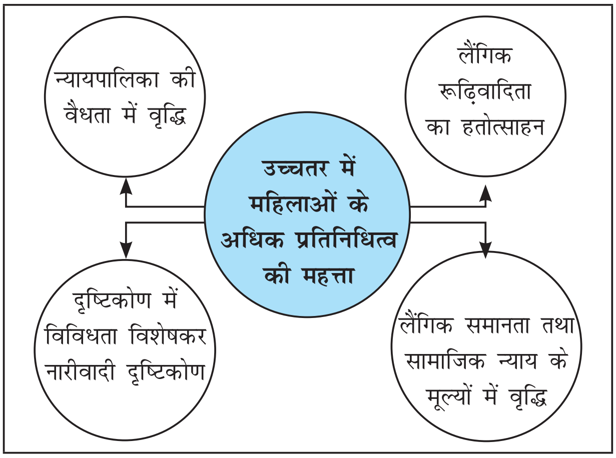

अपेक्षित सुधार

- विभिन्न स्तरीय प्रयासों द्वारा अदालतों की अवसंरचना, लैंगिक रूढ़िवादिता और सामाजिक दृष्टिकोण से महिलाओं को कानूनी पेशे में लाने के समर्थन में जागरूकता अभियान।
- न्यायिक क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान।
- वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था को अधिक पारदर्शी तथा लैंगिक समानता के प्रति समावेशी व अनुकूल बनाना।

प्रश्नः भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम किया है? (150 शब्द, 10 अंक)

How have the recommendations of the 14th Finance Commission of India enabled the States to improve their fiscal position?

उत्तर : देश के आर्थिक संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अनु. 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया। इसी शृंखला में वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में 2013 में 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया जिसने 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

राज्यों की राजकोषीय स्थिति सुधारने में 14वें वित्त आयोग की संस्तुति

- राज्यों के केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़कर 42% किया गया।
- राज्यों के मध्य वितरित होने वाले संसाधनों के लिये नए तार्किक क्षैतिज सूत्र का सुझाव
- स्थानीय स्वशासन को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिये ग्रामीण/शहरी स्थानीय निकायों का अनुदान आदि की संस्तुति
- राज्यों में सृजनात्मक संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शन आधारित मानकों पर संसाधन का आवंटन
- राज्यों के Confidential Grant-in अनुदान में कटौती का सुझाव
- केंद्र प्रायोजित 8 अनुदानित योजनाओं (CSS) को आर्थिक सहायता समाप्त कर राज्यों को इसके स्थान पर अधिक संसाधन आवंटित करने का सुझाव दिया।

यद्यपि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति को सुधारने में सहायक है, परंतु GST जैसे मुद्दों को सरल तथा स्पष्ट कर राजकोषीय संघवाद को और मज़बूत किया जा सकता है। इसमें 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाएँ भी सहायक हो सकेंगी।

2020

प्रश्नः हाल के समय में भारत और यू.के. की न्यायिक व्यवस्थाएँ अभिसारणी एवं अपसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं। दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्यप्रणालियों के आलोक में अभिसरण तथा मुख्य बिंदुओं को आलोकित कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

The Judicial Systems in India and UK seem to be converging as well as diverging in recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices.

उत्तर : भारत की आधुनिक न्यायिक प्रणाली का उदय ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ है जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों की न्यायिक व्यवस्था का कई बिंदुओं पर अभिसरण होता है, किंतु भारतीय संविधान में नवाचारों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा की कुछ न्यायिक विशेषताओं को भी शामिल किया गया है जिस कारण कई बिंदुओं पर दोनों में अपसरण भी दृष्टिगोचर होता है।

भारत और यू.के. की न्यायिक प्रणाली में अभिसरण के बिंदु निम्नलिखित हैं–

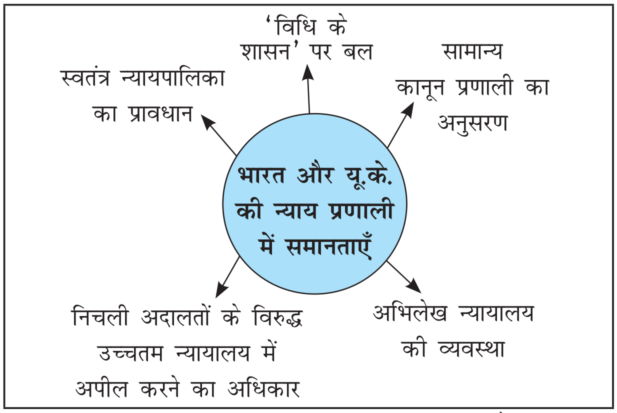

उपर्युक्त अभिसरण के बिंदुओं के बावजूद भारत और यू.के. की न्यायिक प्रणालियों में निम्नलिखित अपसरण के बिंदु भी हैं–

अपसरण के बिंदु

यू.के.	भारत
❑ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कमज़ोर है।	❑ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मज़बूत है।
❑ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर बल।	❑ यथोचित विधि प्रक्रिया पर बल।
❑ न्यायिक पुनर्विलोकन की सीमित शक्ति।	❑ न्यायिक पुनर्विलोकन की विस्तृत शक्ति।
❑ नैसर्गिक विधि के सिद्धांत के अनुसार संसद की शक्ति को नियंत्रित करने का अधिकार।	❑ भारतीय न्यायपालिका पर ऐसी कोई सीमा आरोपित नहीं।
❑ पृथक् न्यायिक प्रणाली व्यवस्था।	❑ 'एकीकृत न्यायिक प्रणाली' व्यवस्था।

भारतीय न्यायिक व्यवस्था में कई व्यवस्थाओं को 'भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिया गया है, जिस कारण दोनों देशों में न्याय प्रणाली अभिसरित हुई है, किंतु भारत में यू.के. की तरह 'संसदीय सर्वोच्चता' की अपेक्षा 'संविधान की सर्वोच्चता' स्थापित की गई है जो भारतीय न्यायपालिका प्रणाली को यू.के. से अपसरित करके शक्तिशाली बनाता है।

प्रश्नः 'एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर'! क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिये इस कार्यप्रणाली को स्वीकारना चाहिये? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिये इसके क्या परिणाम हो सकते हैं?

(150 शब्द, 10 अंक)

'Once a Speaker, Always a Speaker'! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India?

उत्तर: 'एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर' की अवधारणा ब्रिटेन से संबंधित है जहाँ लोकसभा अध्यक्ष राजनीतिक रूप से निष्पक्ष कार्य करने हेतु अपने दल से त्यागपत्र दे देता है। इस कारण वह पुन: अनेक बार अध्यक्ष के रूप में चुना जा सकता है। वहीं भारतीय परंपरा में लोकसभा अध्यक्ष सामान्यत: सत्तारूढ़ दल से चुना जाता है व उससे अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्षता एवं तटस्थता से अपने कार्यों का निर्वहन करेगा।

वस्तुत: भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष को सदन की गरिमा बनाए रखने हेतु निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं–

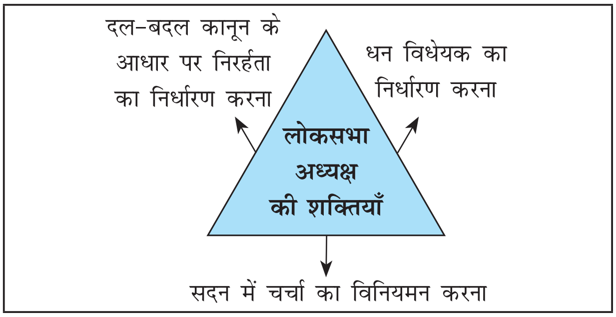

अत: इस पद हेतु स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता अनिवार्य हो जाती है।

परंतु राजस्थान, कर्नाटक और मणिपुर विधानसभा में पिछले वर्षों में अध्यक्ष द्वारा हुए पक्षपातपूर्ण निर्णय के कारण 'एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर' जैसी कार्यप्रणाली को स्वीकारना आवश्यक हो जाता है।

किंतु यह आवश्यक नहीं है कि उपर्युक्त ब्रिटिश प्रणाली भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में सुदृढ़ कार्यशैली को विकसित करेगी। यदि लोकसभा अध्यक्ष राजनीतिक दल की सदस्यता त्यागते हुए पुन: अध्यक्ष पद पर चुना जाएगा तो निम्नलिखित समस्याएँ पैदा होने की संभावनाएँ हैं–

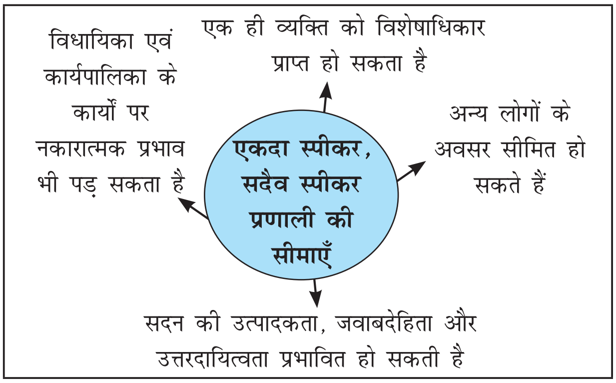

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 'एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर' की अवधारणा अध्यक्ष पद की स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं तटस्थता बनाए रखने का एकमात्र समाधान नहीं है।

नवीनतम 'लोकतंत्र सूचकांक' में भारत में रैंकिंग में गिरावट नीति निर्माताओं के लिये चिंता का सबब बना हुआ है। इस संदर्भ में 'वी.एस. पेज समिति' की सिफारिशों पर विचार करते हुए और सुधार करने की आवश्यकता है। हालाँकि आई.आर. कोहले वाद के बाद से अब अध्यक्ष के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है।

प्रश्न: राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिये भारतीय संविधान केंद्रीयकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। महामारी अधिनियम, 1897ए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा हाल में पारित किये गए कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिये।

(250 शब्द, 15 अंक)

Indian Constitution exhibits centralising tendencies to maintain unity and integrity of the nation. Elucidate in the perspective of the Epidemic Diseases Act, 1897; The Disaster Management Act, 2005 and recently passed Farm Acts.

उत्तर: राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिये भारतीय संविधान कुछ प्रमुख प्रावधानों के कारण केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। इनमें एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएँ तथा आपातकालीन प्रावधान प्रमुख हैं। इन्हीं प्रावधानों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने महामारी अधिनियम, 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा कृषि कानूनों के माध्यम से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है।

'महामारी अधिनियम, 1897' की केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उसके निम्नलिखित प्रावधानों के माध्यम से समझा जा सकता है–

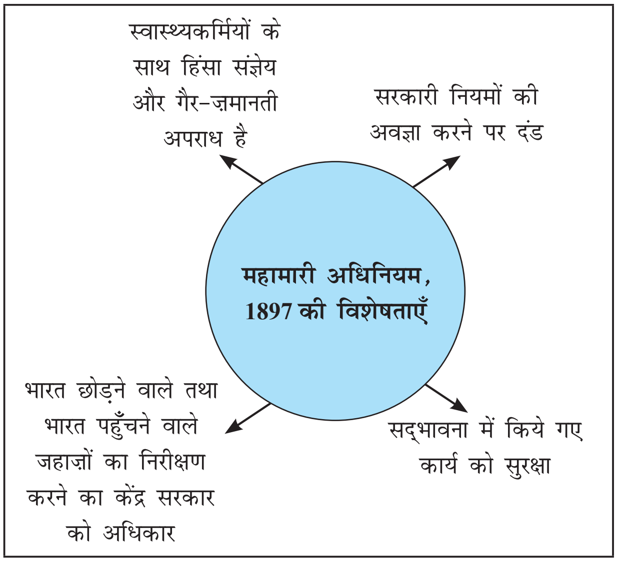

इसी प्रकार आपदा प्रबंधन अधि. 2005 के निम्नलिखित प्रावधान भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं–

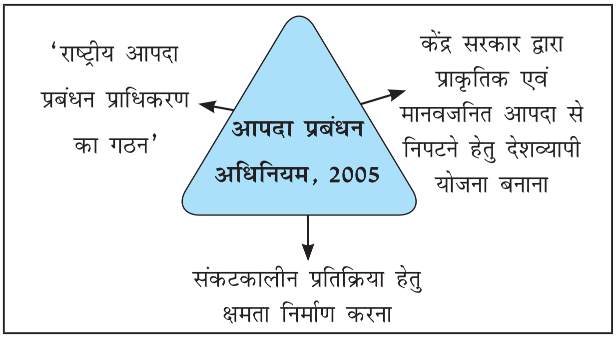

किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य अधि. 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधि. 2020 के द्वारा भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है–

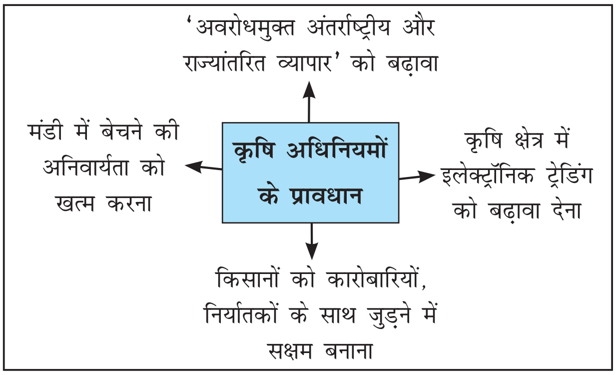

उपर्युक्त अधिनियम कहीं न कहीं राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को बढ़ावा देने वाले प्रतीत होते हैं। देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिये भारतीय संविधान केंद्रीकरण अथवा एकात्मकता की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। इस प्रकार भारतीय परिसंघ की प्रवृत्ति विशिष्ट है अर्थात् यह 'एक केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला परिसंघ' है और इसे देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित किया गया है।

प्रश्न: आपके विचार में सहयोग, स्पर्द्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिये कुछ हालिया उदाहरण उद्धत कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

How far do you think cooperation, competition and confrontation have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer.

उत्तर: संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य होता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद-1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है तथा केंद्र व राज्यों को संवैधानिक अस्तित्व प्रदान किया गया है।

भारतीय शासन प्रणाली में केंद्र व राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग, स्पर्द्धा एवं संघर्ष की भावना देखी जाती है जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं–

1. **'सहकारी संघवाद:** इसके तहत केंद्र एवं राज्य नीतियों व कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन में सहयोग करते हैं जिसके निम्नलिखित उदाहरण हैं–

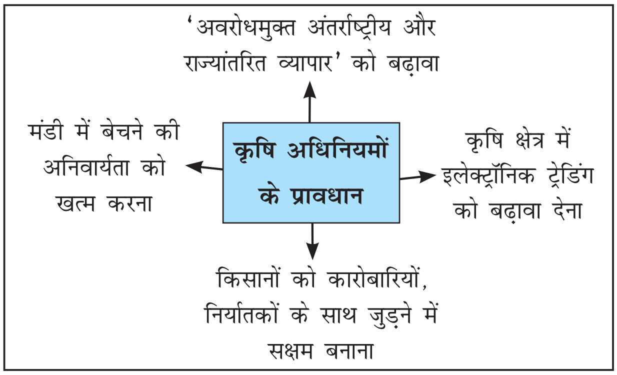

2. **प्रतिस्पर्द्धी संघवाद:** यह केंद्र व राज्यों तथा राज्य-राज्य के बीच प्रतिस्पर्द्धा की परिकल्पना करता है। इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं–

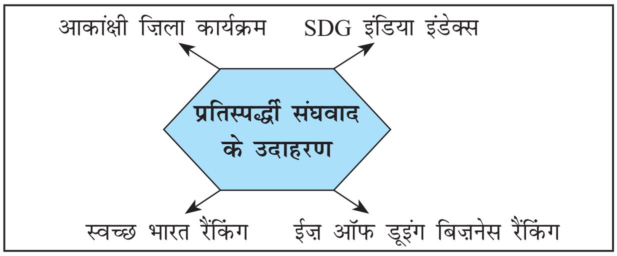

3. **संघर्षशील संघवाद:** यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की शक्तियों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जैसे–

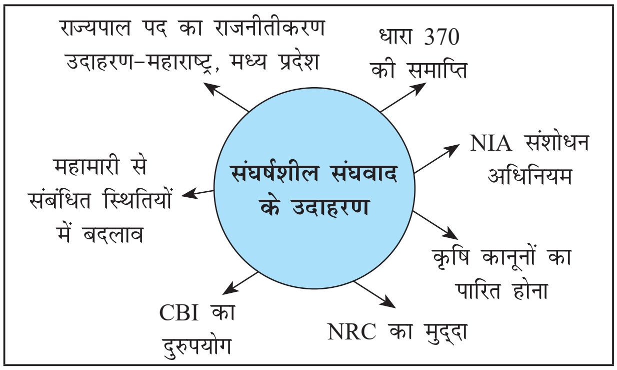

'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संघवाद को संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा बताया। हालाँकि 'एकात्मकता' की ओर अत्यधिक झुकाव के कारण कई विशेषज्ञ भारतीय संघवाद का वर्णन 'संघवाद के बिना संघ', 'असमान राज्यों का संघ', के रूप में करते हैं। किंतु देश की एकता, अखंडता और विकास के लिये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद को बढ़ाने की आवश्यकता है।

प्रश्न: "लोक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है।" टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of Peoples Act". Comment.

उत्तर: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की सदस्यता के लिये अर्हता एवं निरर्हता से संबंधित नियमों का तथा ऐसे चुनाव के संबंध में उत्पन्न विवादों के उपचारों का प्रावधान करता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति को निम्नलिखित आधारों पर निरर्हित किया जा सकता है-

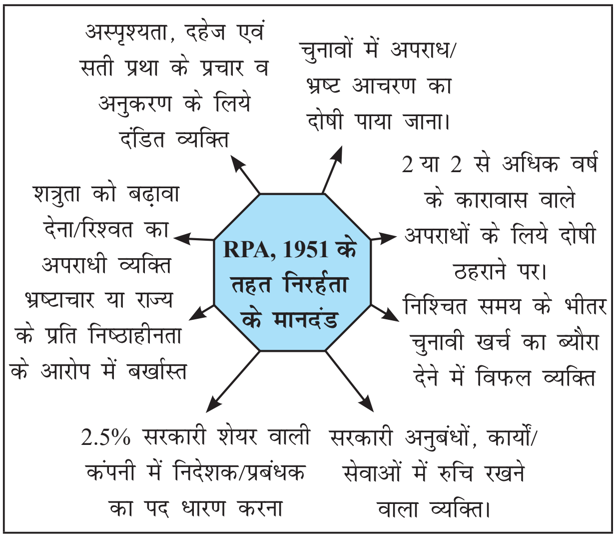

उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद भी निम्नलिखित समस्याओं के कारण दोषी व्यक्ति को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है-

(i) अधिनियम की धारा 123(3) में वर्णित धर्म, नस्ल और जाति के आधार पर घृणा एवं दुश्मनी पैदा करने पर रोक के बावजूद चुनाव आयोग के पास ऐसी घटनाओं की जाँच का अधिकार नहीं है।

(ii) अधिनियम की धारा 8 के तहत मुकदमे का सामना करने वाले चुनाव लड़ने के लिये स्वतंत्र हैं।

(iii) चुनाव आयोग द्वारा सिफारिश की गई कि धारा 123 के तहत झूठा हलफनामा दायर करने को भ्रष्ट आचरण माना जाए।

स्पष्टत: कहा जा सकता है, उपर्युक्त समस्याओं का समाधान करने से निश्चित ही जातिवाद, संप्रदायवाद जैसी विसंगतियों को दूर करने में मदद मिलेगी, साथ ही स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में राष्ट्र को मज़बूती प्रदान की जा सकती है।

प्रश्न: विगत कुछ दशकों में राज्यसभा एक 'उपयोगहीन स्टैपनी टायर' से सर्वाधिक उपयोगी, सहायक अंग से रूपांतरित हुआ है। उन कारकों तथा क्षेत्रों को आलोकित, जहाँ यह रूपांतरण दृष्टिगत हो सकता है। (250 शब्द, 15 अंक)

Rajya Sabha has been transformed from a 'useless stepney tyre' to the most useful supporting organ in past few decades. Highlight the factors as well as the areas in which this transformation could be visible.

उत्तर: भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा को 'राज्यसभा' कहा जाता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिये चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। कई आलोचक इसके गठन को अपराधियों, हारे हुए लोगों की शरणस्थली तथा 'उपयोगहीन स्टैपनी टायर' जैसी संज्ञाओं से नवाजते हैं। इस संदर्भ में राज्यसभा की निम्नलिखित सीमाएँ हैं-

राज्यसभा की सीमाएँ

- संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा करना
- धन विधेयक को पुर:स्थापित करने और संशोधन करने की शक्ति न होना
- मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार न होना

किंतु राज्यसभा के संबंध में यह संज्ञा उचित नहीं है, क्योंकि राज्यसभा को निम्नलिखित विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं-

राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ

- उप-राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार
- संसद को विधि बनाने हेतु अधिकृत करना (अनु.-249)
- नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने हेतु संसद को अधिकृत करना

उपर्युक्त के अतिरिक्त विगत कुछ दशकों में राज्यसभा ने निम्नलिखित रूप से उपयोगी सहायक अंग के रूप में भूमिका निभाई है-

राज्यसभा की बढ़ती भूमिका

- महत्त्वपूर्ण विषयों पर व्यापक व सार्थक चर्चा। उदा.- कृषि कानून
- अनु.-370 की समाप्ति का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ
- 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे
- जनहित से संबंधित विधेयकों में संशोधन हेतु सरकार को मजबूर करना
- राज्यसभा व विभागीय समितियों में बढ़ती उत्पादकता
- वर्तमान में वित्तमंत्री, रेलमंत्री भी राज्यसभा के सदस्य हैं।

1952 में अपने प्रथम सत्र से गत वर्ष बजट सत्र तक राज्यसभा ने 5472 बैठकों में 3857 विधेयकों को पारित किया, साथ ही धन विधेयक पर सीमित शक्तियों के बावजूद राज्यसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक-1957 और आयकर विधेयक-1961 में महत्त्वपूर्ण संशोधन कराए। इस प्रकार राज्यसभा को लोकतंत्र की विघटनकारी शाखा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये बल्कि राज्यसभा को और सक्षम बनाने के प्रयास किये जाने चाहिये।

प्रश्न: एक आयोग के संवैधानीकरण के लिये कौन-कौन से चरण आवश्यक हैं? क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को सांविधानिकता प्रदान करना भारत में लैंगिक न्याय एवं सशक्तीकरण को और अधिक सुनिश्चित करेगा? कारण बताइये। (250 शब्द, 15 अंक)

Which steps are required for constitutionalization of a Commission? Do you think imparting constitutionality to the National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment in India? Give reasons.

उत्तर: भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी आयोग के संविधानीकरण हेतु संविधान संशोधन आवश्यक होता है। संविधान में संसद के विशेष बहुमत द्वारा अनुच्छेद को स्थापित या संशोधित कर आयोग से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित आवश्यक चरण होते हैं–

- संबंधित विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत करना
- दोनों सदनों द्वारा विधेयक को विशेष बहुमत से पारित करना
- राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को सहमति प्रदान करना
- अनुच्छेद के माध्यम से आयोग को संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित करना

राष्ट्रीय महिला आयोग 'राष्ट्रीय महिला आयोग अधि. 1990' के द्वारा स्थापित एक महत्त्वपूर्ण वैधानिक निकाय है। यह महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर विचार करता है, परंतु वैधानिक निकाय होने के कारण इसकी कार्यप्रणाली निम्नलिखित रूप से प्रभावित हो रही है–

आयोग की वर्तमान में सीमाएँ
- अधिनियम में सुपरिभाषित एवं स्पष्ट दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति
- इसकी शक्तियाँ सिफारिश करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक ही सीमित हैं।
- सत्ताधारी दल आयोग पर नियंत्रण रखता है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर निर्भरता
- नौकरशाही के अधीनस्थ है।

उपर्युक्त चुनौतियों के संदर्भ में 'राष्ट्रीय महिला आयोग' का संविधानीकरण करने की बात की जा रही है जिससे महिला अधिकारों की प्राप्ति एवं लैंगिक न्याय प्रदान करने में सकारात्मक भूमिका अदा की जा सके। परंतु इस कदम से महिलाओं को संवैधानिक सशक्तीकरण तो प्राप्त होगा लेकिन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण भी पूर्णतः प्राप्त होगा, इसमें संदेह है। इसलिये हमें निम्नलिखित अन्य उपाय करने की आवश्यकता है–

लैंगिक न्याय एवं सशक्तीकरण के अन्य उपाय
- स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार व महिला जागरूकता को बढ़ाना
- रूढ़िवादी परंपराओं एवं पितृसत्तात्मक व्यवस्था का त्याग करना
- महिलाओं को स्वयं अग्रसर होने की आवश्यकता है

स्पष्ट है कि किसी भी देश में महिला सशक्तीकरण एवं लैंगिक न्याय को बढ़ाने के लिये संबंधित संस्थाओं का संवैधानीकरण एक महत्त्वपूर्ण उपाय है, किंतु एकमात्र उपाय नहीं है। इसके साथ ही सामाजिक, धार्मिक, मानसिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर भी कार्य करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में 'राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति, 2001' एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

प्रश्न: भारत में स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता एवं संपोषिता प्रकार्य, कार्यकर्त्ता व कोष की अपनी रचनात्मक प्रावस्था से प्रकार्यात्मकता की समकालिक अवस्था की ओर स्थानांतरित हुई है। हाल के समय में प्रकार्यात्मकता की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही अहम चुनौतियों को आलोकित कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

The strength and sustenance of local institutions in India has shifted from their formative phase of 'Functions, Functionaries and Funds' to the contemporary stage of 'Functionality'. Highlight the critical challenges faced by local institutions in terms of their functionality in recent times.

उत्तर: राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अनुच्छेद 40 को व्यावहारिक रूप प्रदान करने हेतु 73वें संविधान संशोधन अधि., 1992 द्वारा स्थानीय शासन के भाग के रूप में पंचयाती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया खंड-IX (पंचायत) तथा 11वीं अनुसूची (29 विषय) जोड़े गए। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देना है।

भारत में स्थानीय निकायों की स्थापना के माध्यम से शासन के विकेंद्रीकरण को संस्थागत करने के बाद स्थानीय निकायों का मुख्य फोकस इन संस्थाओं के प्रकार्यों, कार्यकत्ताओं की नियुक्ति और वित्त की उपलब्धता पर था जिसे निम्नवत् रूप में समझा जा सकता है–

- केरल, कर्नाटक व महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने प्रकार्यों के अंतर्गत स्वास्थ्य, परिवहन, पेयजल एवं स्वच्छता तथा न्याय पंचायत के प्रावधानों को सम्मिलित किया।
- कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति को लेकर कर्नाटक में काडर आधारित मॉडल और मध्य प्रदेश में ज़िला सरकार मॉडल जैसे कुछ नवोन्मेषी उपाय किये गए।
- वित्तीय उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु राज्य वित्त आयोग व अनुदान का प्रावधान किया गया।

इन सबके बावजूद स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता और संपोषिता समकालिक दौर में इनकी कार्यक्षमता की ओर स्थानांतरित हुई है, जिसमें निम्नलिखित चुनौतियाँ विद्यमान हैं–

स्थानीय निकायों की प्रमुख चुनौतियाँ

- भ्रष्टाचार व आपसी गठजोड़
- राज्य वित्त आयोग के समयबद्ध गठन संबंधी समस्याएँ
- राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को वित्त मुहैया कराने में देरी
- निकायों/संस्थाओं का दोहराव व कार्यक्षेत्र का अतिव्यापन
- संरचनात्मक समस्याएँ, जैसे- स्टाफ की कमी, कर्मचारियों में कौशल का अभाव।
- राजनीतिक हस्तक्षेप एवं प्रतिद्वंद्विता
- स्थानीय निकायों की वित्तीय शक्तियों का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं
- महिला प्रतिनिधियों का कार्यभार पुरुष-संबंधी संभालते हैं।

स्थानीय निकायों में अतिव्यापक की समस्या से निजात पाने तथा एक्टिविटी मैंपिंग को निर्धारित करने हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं को अमल में लाया जाना चाहिये। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण संबंधी समस्याओं से निपटने हेतु सुमित बोस समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहिये। राजस्व संबंधी समस्याओं से निपटने हेतु स्थानीय सरकारों के लिये भी 'बजट' का प्रावधान होना चाहिये। इन सभी सुझावों को अपनाकर सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा एवं आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार किया जा सकता है।

प्रश्न: न्यायिक विधायन, भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालिका का अधिकरणों को दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी, बड़ी संख्या में दायर होने वाली, लोक हित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिये? (250 शब्द, 15 अंक)

Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.

उत्तर: हमारे संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की परिकल्पना की गई है जिसके अंतर्गत शासन के तीनों अंगों यानी व्यवस्थाविका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कार्यों का निर्धारण किया जाता है। यह सिद्धांत संविधान की बुनियादी संरचनाओं में से एक है। संवैधानिक प्रावधान जैसे अनुच्छेद 50, 121, 211 आदि इस सिद्धांत की भावना का प्रतीक है।

- कार्यपालिका में नीतिगत निर्णय लेने और कानून को लागू करने की शक्ति निहित है।
- विधायिका को अधिनियम जारी करने और कार्यपालिका के कामकाज की समीक्षा करने का अधिकार है।
- न्यायपालिका विवादों के निपटारे के लिये ज़िम्मेदार है। न्यायपालिका कार्यकारी और विधायी कार्रवाई (अनुच्छेद 32 और 226) पर न्यायिक समीक्षा भी करती है।

न्यायिक विधान: कानून बनाना विधायिका का कार्यक्षेत्र है, लेकिन यदा-कदा न्यायपालिका ने विधायिका की शक्ति ग्रहण करते हुए निर्णयों के आवरण में दिशा-निर्देश जारी किये हैं और नीतियाँ बनाई हैं।

उदाहरण:

- अरुण गोपाल केस (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने का समय तय किया, हालाँकि इस आशय का कोई कानून नहीं है।
- एम.सी. मेहता मामले (2018) में अदालत ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 (21) को रद्द कर दिया, जब उसने निर्देश दिया कि 30 मार्च, 2020 के बाद केवल बी.एस.-VI वाहन बेचे जा सकते हैं।

जनहित याचिका और न्यायपालिका (PIL)

- जनहित याचिका 'जनहित' की सुरक्षा के लिये दायर की जाती है। जैसे- प्रदूषण, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरे आदि।
- न्यायपालिका को कई कारणों से विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने और अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करने के लिये मजबूर किया गया है।
- जब विधायिका बदलते समय के अनुरूप आवश्यक कानून बनाने में विफल रहती है।
- जब अधिकारी अपने प्रशासनिक कार्यों को ईमानदारी से करने में बुरी तरह विफल हो जाते हैं।
- जब राज्य द्वारा लोगों के मौलिक अधिकारों को खतरा हो।
- **उदाहरण:** के. पुट्टास्वामी मामले (2017) में न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार जीवन के अधिकार के लिये आंतरिक है और निजता का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून की संवैधानिकता पर निर्णय लेने के लिये तीन चरण कर परीक्षण प्रदान करता है।
- विशाखा मामले (1997) के फैसले ने यौन उत्पीड़न को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में मान्यता दी। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के लिये दिशा-निर्देश भी दिये।

निष्कर्षत: न्यायिक विधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है। कभी-कभी न्यायपालिका के लिये कार्यकारी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करना उचित हो जाता है, फिर भी यह देखने के लिये न्यायिक सक्रियता न्यायिक दुस्साहस न बन जाए अदालतों को सावधानी और उचित संयम के साथ काम करना चाहिये।

2019

प्रश्न: धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्राँस क्या सीख सकता है? (150 शब्द, 10 अंक)

What can France learn from the Indian Constitution's approach to secularism?

उत्तर: धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के अनुसार राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान दर्जा, मान्यता व समर्थन दिया जाता है। फ्राँस जैसे यूरोपीय

देश धर्मनिरपेक्षता और राज्य के धर्म के बीच के मध्यम मार्ग को अपनाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं, जिसे हाल ही में कार्टून विवाद, हलाला और बुर्के पर प्रतिबंध जैसे मुद्दों के रूप में देखा जा सकता है।

भारत के अनुभव फ्राँस में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता के कठोर रूप को एक प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं, जैसे–

1. भारत में राज्य सामान्यत: सभी धर्मों से एक 'सैद्धांतिक दूरी' बनाए रखता है, किंतु आवश्यकतानुसार (जैसे- सबरीमाला, ट्रिपल तलाक मामले) हस्तक्षेप भी करता है।
2. भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती बल्कि अंतर-धार्मिक समानता पर ज़ोर देती है।
3. जहाँ फ्राँसीसी अल्पसंख्यक स्वयं 'Laicite' को (धर्मनिरपेक्षता) के निशाने पर देखते हैं तो वहीं भारतीय अल्पसंख्यक धर्मनिरपेक्षता को अपनी सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा के रूप में देखते हैं।
4. भारत में शैक्षिक संस्थानों को राज्य से सहायता प्राप्त होती है जबकि फ्राँस में नहीं।
5. भारत में विभिन्न समुदायों को 'विशेष अधिकार' (व्यक्तिगत कानून, कृपाण रखना आदि) प्रदान किये गए हैं जबकि फ्राँस में धर्म निजी मामला है।

यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का विकास सापेक्षिक सद्भावना तथा 'सर्वधर्म समभाव' के दर्शन क आधार पर हुआ है इसलिये यहाँ अपेक्षाकृत कम कट्टरता देखने को मिलती है। इसके विपरीत, फ्राँस में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता की जड़ें धार्मिक युद्धों और असंतोष में विकसित हुई हैं जिनका प्रभाव आज भी देखा जा रहा है। अत: धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा विश्व में शांति व सद्भाव के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

प्रश्न: "संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे अत्यांतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है।" इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिये कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट कर सकती है

(250 शब्द, 15 अंक)

"Parliament's power to amend the Constitution is a limited power and it cannot be enlarged into absolute power". In light of this statement explain whether parliament under article 368 of the Constitution can destroy the Basic structure of the Constitution by expanding its amending power?

उत्तर: संविधान के भाग XX के अनुच्छेद-368 के अनुसार, 'संसद' विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्द्धन, रूपांतरण या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद-368 दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। ये हैं– संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों के साधारण बहुमत द्वारा।

इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने 24वें व 42वें संविधान संशोधन किये जिन्हें न्यायालय में चुनौती दी गई। इस पर 'केशवानंद भारती वाद 1973' में मूलभूत ढाँचे का सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान के मूल ढाँचे को छोड़कर किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अत: यह सिद्धांत संसद की संशोधनकारी शक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाता है।

मूलभूत ढाँचे के सिद्धांत का उद्भव

↓

पहला संविधान संशोधन अधिनियम, 1951

↓ न्यायपालिका

शंकरी प्रसाद मामला, 1951 – सरकार संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।

↓ सरकार

17वाँ संशोधन अधिनियम, 1964

↓

गोलकनाथ वाद, 1967 – संसद संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती।

↓

24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971

↓ न्यायपालिका

केशवानंद भारतीय वाद, 1973 – संसद संविधान के मूल ढाँचे को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।

इस मूलभूत ढाँचे की प्रतिक्रिया में संसद ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया कि संसद की विधायी शक्ति की कोई सीमा नहीं है।

हालाँकि मिनर्वा मिल्सवाद, 1980 में सर्वोच्च न्यायालय के 42वें संशोधन के इस भाग को अमान्य घोषित कर दिया क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिये कोई स्थान नहीं था।

अत: कहा जा सकता है कि संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति संविधान की मूलभूत विशेषता है। इसलिये न्यायपालिका द्वारा इस सीमाबद्धता को नष्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही, संसद भी अनुच्छेद-368 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग संविधान को रद्द करने या उसकी मूलभूत विशेषताओं को नष्ट करने हेतु नहीं कर सकती जिसे पुन: वामनराव मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है।

प्रश्नः किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निरर्हित किया जा सकता है? उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिये जो ऐसे निरर्हित व्यक्ति को अपनी निरर्हता के विरुद्ध उपलब्ध हैं।

(250 शब्द, 15 अंक)

On what grounds a people's representative can be disqualified under the Representation of Peoples Act, 1951? Also, mention the remedies available to such person against his disqualification.

उत्तर: संसद तथा विधानमंडल के चुनाव इन सदनों के लिये अर्हता एवं अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण तथा अन्य चुनाव संबंधी प्रावधान तथा चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय से संबंधित प्रावधानों के लिये 'जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' लाया गया।

1951 के अधिनियम ने निरर्हता के संबंध में कुछ मानदंड निर्धारित किये हैं। इस अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति को निम्नलिखित आधार पर निरर्हित किया जा सकता है, यदि वह–

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार निरर्हता के आधार

- निश्चित समय के भीतर चुनाव खर्च का ब्योरा देने में विफल व्यक्ति
- सरकारी अनुबंधों व सेवाओं में रुचि रखने वाला व्यक्ति
- 25% सरकारी हिस्से वाले किसी निगम में पद धारण करना
- भ्रष्टाचार निष्ठाहीनता हेतु सरकारी सेवा से बर्खास्त व्यक्ति
- विभिन्न समूहों के मध्य शत्रुता को बढ़ावा देने या रिश्वत के लिये दोषी ठहराया हुआ व्यक्ति।
- अस्पृश्यता, दहेज एवं सती प्रथा के प्रचार/अनुकरण के दोषी व्यक्ति
- दो या दो से अधिक वर्षों की सज़ा वाले मुकदमे में दोषी
- चुनावी अपराध या भ्रष्ट आचरण का दोषी व्यक्ति

हालाँकि 1951 का अधिनियम निरर्हता के विरुद्ध निम्नलिखित उपचारों का भी प्रावधान करता है–

1. एक 'चुनाव याचिका' के माध्यम से ही चुनाव को प्रश्न के घेरे में लाया जा सकता है, अन्यथा नहीं।
2. चुनाव याचिका के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में भी अपील की जा सकती है।
3. लोकप्रतिनिधि की निरर्हताओं पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा लिया जाएगा।
4. लोकप्रतिनिधि के निरर्हित होने के पश्चात् निर्वाचन आयोग कुछ आधारों पर किसी भी निरर्हता को हटा सकता है या उसकी अवधि कम कर सकता है।

अतः कहा जा सकता है कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 जहाँ एक ओर कुछ परिस्थितियों में राजनीति के लिये निरर्हता के आधारों की व्यवस्था करता है तो वहीं इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु उपचारों की व्यवस्था भी करता है जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिये बहुत ज़रूरी है।

प्रश्नः स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृतंत्रात्मक पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है। टिप्पणी कीजिये।

(250 शब्द, 15 अंक)

"The reservation of seats for women in the institution of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian political process". Comment.

उत्तर: ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना हेतु भारत में **73वाँ** व **74वाँ** संविधान संशोधन अधि., 1992 द्वारा त्रि-स्तरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अन्य बातों के अलावा इस अधिनियम में तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिये **1/3** आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

वर्तमान में लगभग **10 लाख महिलाएँ** स्थानीय स्तर पर निर्वाचित की गई हैं। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया ने उन्हें प्रतिनिधित्व तो प्रदान किया, किंतु प्रतिनिधित्व ने हमेशा भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी का नेतृत्व नहीं किया है।

स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है–

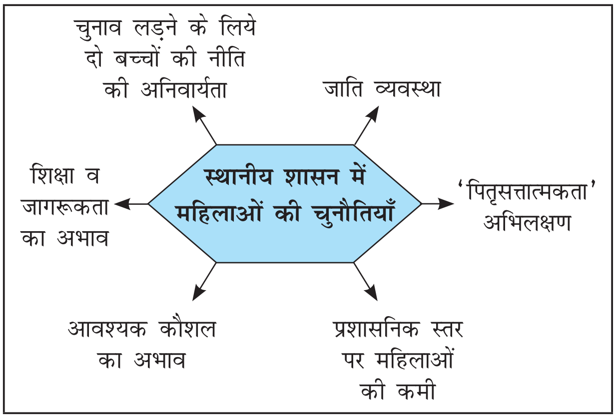

उपर्युक्त चुनौतियों में **'पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण'** एक प्रमुख समस्या है जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है–

(i) महिला सरपंच मात्र रबर स्टाम्प

निर्णय लेने का विकल्प निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों के पास होता है।

(ii) रूढ़िवादी अवधारणा तथा पारंपरिक मानदंड।

यह महिलाओं को सार्वजनिक मामलों में संलग्न होने से रोकता है।

उपर्युक्त चुनौतियों के बावजूद भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व के कई सकारात्मक प्रभावों को नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता है, जैसे–

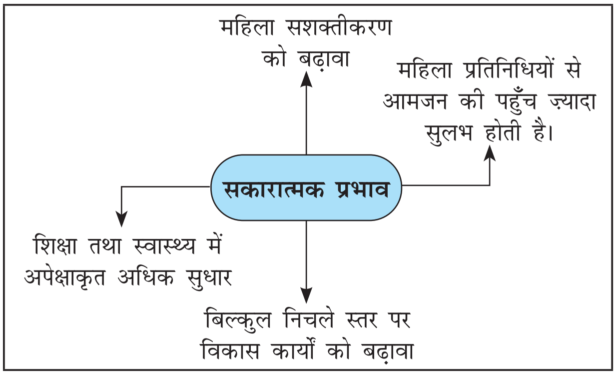

अत: स्पष्ट है कि केवल प्रतिनिधित्व देने से ही **समानता** व **SDG-5** के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिये महिला प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में **'यूएन वीमेन'** जैसे संगठनों को शामिल कर शिक्षा व जागरूकता को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिये। हालाँकि हरियाणा सरकार द्वारा स्थानीय शासन में महिलाओं को 50% आरक्षण की पहल एक सराहनीय कदम है।

प्रश्न: "महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है।" चर्चा कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

"The Attorney-General is the chief legal adviser and lawyer of the Government of India." Discuss.

उत्तर: संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इस पद पर राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो उच्चतम-न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करता है।

भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में महान्यायवादी के निम्नलिखित कर्त्तव्य होते हैं–

(i) राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी विषयों पर भारत सरकार को सलाह देना।

(ii) संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किये गए कृत्यों का निर्वहन करना।

(iii) राष्ट्रपति द्वारा विधिक स्वरूप में सौंपे गए अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना।

महान्यायवादी भारत सरकार के वकील के रूप में भी कार्य करता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्नलिखित कार्य सौंपता है–

(i) भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होना।

(ii) अनुच्छेद-143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना।

इन कर्त्तव्यों के साथ-साथ महान्यायवादी को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे-

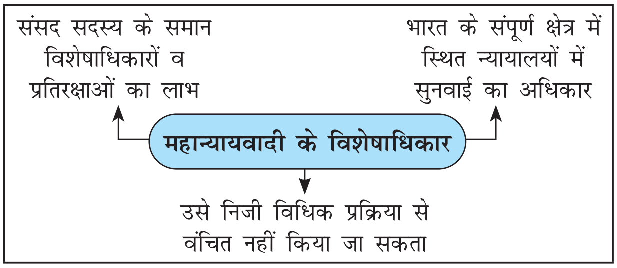

हालाँकि महान्यायवादी सरकार का **पूर्णकालिक अधिवक्ता नहीं** होता है इसलिये वह **सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं** आता है, परंतु वह भारत सरकार के विरुद्ध न तो सलाह दे सकता है और न ही सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मुकदमों में अभियुक्तों का बचाव कर सकता है।

इस प्रकार से महान्यायवादी के कर्त्तव्य तथा विशेषाधिकार उस पर लगाई गई कुछ सीमाओं के साथ उसे भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार तथा वकील बनाते हैं। फिर भी केंद्रीय स्तर पर पृथक् **विधि मंत्री** कुछ सीमा तक महान्यायवादी के कार्यों को एक अधीनस्थ स्थिति प्रदान करते हैं।

प्रश्न: क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है बल्कि यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Do you think that Constitution of India does not accept the principle of strict separation of powers rather it is based on the principle of 'checks and balance'? Explain.

उत्तर: शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग-अलग संस्थाओं के रूप में अलग-अलग कार्य करते हैं। संविधान का अनु.-50 न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है। यह सिद्धांत राज्य को सर्वाधिकारवादी होने से बचाता है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

भारत अमेरिकी संविधान के शक्ति के कठोर पृथक्करण की बजाय नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का पालन करता है जो तीनों अंगों से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों में स्पष्ट वर्णित है–

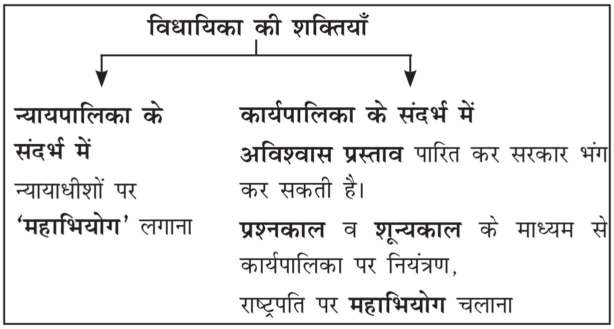

कार्यपालिका की शक्तियाँ

न्यायपालिका के संदर्भ में	विधायिका के संदर्भ में
मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना	कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक नियम बनाना

न्यायपालिका की शक्तियाँ

कार्यपालिका के संदर्भ में	विधायिका के संदर्भ में
'न्यायिक समीक्षा' करना, रिट जारी करना	संविधान के मूलभूत ढाँचे द्वारा संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को सीमित करना।

अत: कहा जा सकता है कि व्यावहारिक रूप से पूर्ण रूप में शक्ति का विभाजन संभव नहीं है, क्योंकि शक्ति पृथक्करण का अर्थ तीनों अंगों का एक-दूसरे से संबंध न रखना नहीं है बल्कि इसका आशय है कि सरकार के तीनों अंग एक-दूसरे के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप से बचते हुए देश में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय की स्थापना की ओर कदम बढ़ाएँ। इससे सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश और विधि के शासन के बनाए रखने में मदद मिलेगी।

प्रश्न: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध शिकायतों एवं परिवादों के निवारण हेतु की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। व्याख्या कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"The Central Administrative Tribunal which was established for redressal of grievances and complaints by or against central government employees, nowadays is exercising its powers as an independent judicial authority." Explain.

उत्तर : '42वें संविधान संशोधन अधि., 1976' द्वारा संविधान में एक नए भाग XIV-क के तहत 'अधिकरण' की व्यवस्था की गई। इसमें दो अनुच्छेद 323क, जो कि प्रशासनिक अधिकरण (कैट) का गठन किया। कैट आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है–

- कैट 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 व नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रक्रियात्मक बंधनों से स्वतंत्र है।
- कैट को अपने निर्णयों की समीक्षा सहित कुछ मामलों में सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है।
- कैट 'प्राकृतिक न्याय' के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार कैट को उच्च न्यायालय के समक्ष 'अवमानना कार्यवाही' करने का अधिकार है।

स्पष्ट है कि भर्ती व सेवा शर्तों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिये गठित अधिकरण न्यायिक निकाय के रूप में विकसित हुआ है लेकिन इसे पूरी तरह स्वतंत्र निकाय नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अधिकरण के सदस्य संवैधानिक पदों पर आसीन अन्य न्यायाधीशों की तरह शक्तियों का उपभोग नहीं करते हैं और सदस्यों की नियुक्ति तथा वित्तपोषण के लिये अधिकरण कार्यपालिका पर निर्भर है।

प्रश्न: न्यायालयों के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने से 'परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत' और 'समरस अर्थान्वयन' उभरकर आये हैं। स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

From the resolution of contentious issues regarding distribution of legislative powers by the courts, 'Principle of Federal Supremacy' and 'Harmonious Construction' have emerged. Explain.

उत्तर : शक्ति का विभाजन संघवाद की एक बुनियादी विशेषता है। संविधान सातवीं अनुसूची में शामिल संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बीच विधायी विषयों के वितरण का प्रावधान करता है। हालाँकि इन तीनों सूचियों की प्रविष्टियों में विषयों के वर्गीकरण से संघर्ष उत्पन्न होते हैं। इन संघर्षों के समाधान के लिये न्यायालयों ने विभिन्न सिद्धांतों को विकसित किया है–

सामंजस्यपूर्ण संरचना का सिद्धांत

इस सिद्धांत को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है–

- प्रत्येक विधान एक उद्देश्य व मंशा रखता है इसलिये विधान के प्रावधानों की समग्रता से पढ़कर व्यापक व्याख्या होनी चाहिये।
- न्यायालय को विवाद के समाधान के लिये विधान की भाषा की विसंगति को दूर करने में सहायता करनी चाहिये।
- राज्य को केंद्र के लिये आरक्षित विषयों के बाहर के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है बशर्ते इससे केंद्रीय कानून का खंडन न होता हो। उदा.- गुज़रात विश्वविद्यालय मामला, 1963

संघीय वर्चस्व का सिद्धांत

इस सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं–

- जब किसी विधान के प्रावधान राज्य व संघ सूची दोनों में आते हैं तब केंद्र के पास अधिभावी विधायी शक्ति होगी।
- राज्य और समवर्ती सूची संघ के अधीनस्थ हैं।
- यदि समाधान पाने के अन्य विकल्प समाप्त हो जाएँ तो सर्वोच्च न्यायालय इस सिद्धांत को अंतिम उपाय के रूप में लागू कर सकता है।

सहकारी और प्रतिस्पर्द्धी संघवाद के युग में संघर्ष को न्यूनतम करने हेतु मुख्यत: 'सामंजस्यपूर्ण संरचना के सिद्धांत' का पालन किया जाना चाहिये। 'संघीय वर्चस्व के सिद्धांत' का पालन अंतिम विकल्प के रूप में बिना राजनीतिक द्वेष की भावना से करना चाहिये। साथ ही राज्यों को पुलिस, कृषि विपणन आदि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में एकसमान विधायी रूपरेखा के निर्माण के लिये अन्य राज्यों और केंद्र के साथ समन्वय करना चाहिये।

प्रश्न: राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है, जिसके फलस्वरूप वाद-विवादों की गुणता और उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ चुका है। (250 शब्द, 15 अंक)

Individual Parliamentarian's role as the national lawmaker is on a decline, which in turn, has adversely impacted the quality of debates and their outcome. Discuss.

उत्तर: संसद में मतदाताओं का प्रतिनिधि 'सांसद' कहलाता है। इनका प्रमुख कार्य कानून बनाना, कार्यपालिका का नियंत्रण रखना तथा लोगों के विचारों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना है। इसके लिये ये सदस्य संसद का असंतोष व चर्चा के लिये एक मंच के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालाँकि हालिया समय में राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में व्यक्तिगत सांसद की भूमिका में कमी आई है जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं–

- 2014 से 2018 के मध्य लाए गए 900 निजी विधेयकों में से 2% विधेयकों पर भी चर्चा नहीं हुई।
- इस अवधि में लगभग आधे से अधिक अध्यादेश बिना स्वस्थ चर्चा के लाए गए।

संसद सदस्यों की गिरती इस भूमिका के लिये निम्नलिखित कारण उत्तरदायी **हैं–**

- राजनीतिक दल से जुड़े मंत्री या सदस्य चुनावी घोषणा पत्र व पार्टी की विचारधारा से बंधे होते हैं।
- निजी विधेयकों के पारित होने को सरकार अपनी अक्षमता व संबंधित मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप मानती है।
- सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थन के अभाव में निजी सदस्यों के विधेयक को पारित करना लगभग असंभव होता है।
- अध्यादेश द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया ने बहस व चर्चा के औपचारिक मार्ग को दरकिनार किया है।
- व्यक्तिगत सांसद पार्टी के भीतर दलबदल विरोधी कानून से बंधे हैं।
- निर्वाचित अधिकांश सांसद खुद आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं।

ऐसे में उनसे स्वस्थ चर्चा की उम्मीद नहीं का जा सकती।

संसद सदस्यों की गिरती इस भूमिका से निम्नलिखित प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हुए हैं–

- अध्यादेश की संस्कृति विकसित हो रही है।
- विधेयक बिना चर्चा के हड़बड़ी में अधिनियमित हो रहे हैं, जैसे- कृषि कानून
- प्रतिनिधि लोकतंत्र की भावना में गिरावट
- सरकार द्वारा जनता के हितों की उपेक्षा

स्पष्ट है कि सांसदों की विधि निर्माण में व्यक्तिगत भूमिका बढ़ाने के लिये उन्हें अभिव्यक्ति की अत्यधिक स्वतंत्रता, दल-बदल विरोधी आदि में संशोधन तथा अनुसंधान कर्मचारियों एवं संसाधनों को बढ़ाने जैसे कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही डी.सी. वाधवा केस में न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय के उचित क्रियान्वयन की भी आवश्यकता है जिसमें न्यायालय ने कहा था कि अध्यादेश विधि बनाने की शक्ति का विकल्प नहीं हो सकते।

2018

प्रश्न: आप यह क्यों सोचते हैं कि समितियाँ संसदीय कार्यों के लिये उपयोगी मानी जाती हैं? इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना करें। (150 शब्द, 10 अंक)

Why do you think the committees are considered to be useful for parliamentary work? Discuss, in this context, the role of the Estimates Committee.

उत्तर: संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित अथवा अध्यक्ष/सभापति द्वारा नामित किया जाता है। ये समितियाँ अध्यक्ष/सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती हैं और उन्हें अपना प्रतिवेदन सौंपती हैं। इनका एक सचिवालय भी होता है। ये समितियाँ अनु.-105 व 118 से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं।

संसदीय समितियों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं–

- संसद के जटिल, वृहद् व विविधतापूर्ण कार्यों के निष्पादन में मदद करना।
- संसदीय कार्यों को विषय विशेषज्ञता उपलब्ध कराना।
- विधायी मामलों की गहन छानबीन कर उपाय सुझाना।
- 'लघु संसद' के रूप में कार्य करना।

प्राक्कलन समिति एक वित्तीय स्थायी समिति है जिसकी स्थापना 1950 में 'जॉन मथाई' की सिफारिश पर की गई थी। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य (सभी लोकसभा से) होते हैं और इसका अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल का होता है। इस समिति के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं–

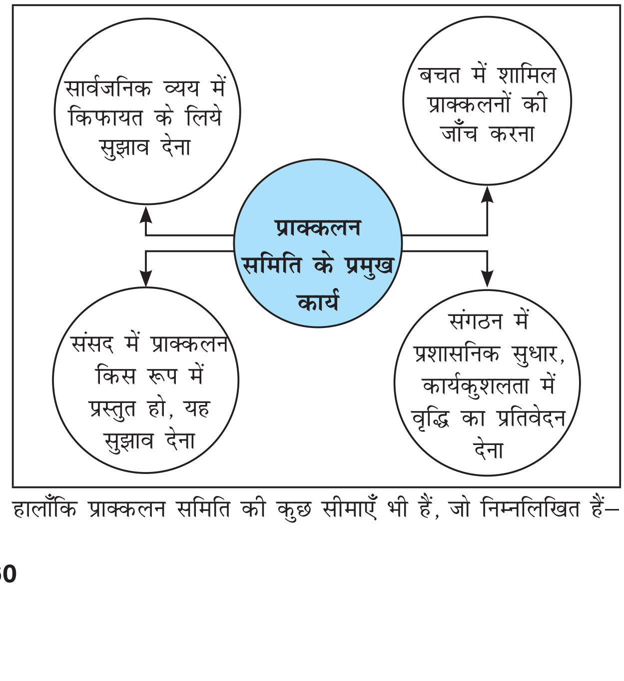

हालाँकि प्राक्कलन समिति की कुछ सीमाएँ भी हैं, जो निम्नलिखित हैं–

प्राक्कलन समिति की सीमाएँ

- संसद में मतदान के बाद ही प्राक्कलनों की जाँच कर सकती है।
- इसकी अनुशंसाएँ बाध्यकारी नहीं होतीं।
- इसका कार्य शव-परीक्षण की तरह है।
- CAG की विशेषज्ञतापूर्ण सहायता नहीं मिल पाती।
- यह कुछ चयनित विभागों/मंत्रालयों की ही जाँच करती है।
- संसद द्वारा निर्धारित नीतियों पर प्रश्न नहीं कर सकती।

अपने कार्य की प्रकृति के अनुसार इसे 'सतत् किफायत समिति' के रूप में भी जाना जाता है। समिति वर्ष भर कार्य करती है और अपनी रिपोर्ट समय-समय पर सदन के समक्ष रखती जाती है। उसके सुझावों का असली लाभ यह है कि सरकार संसद के आगामी वर्ष के बजट में बढ़ा-चढ़ाकर राशि की मांग नहीं कर पाती।

प्रश्नः किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने तक इसके अनुसरण के क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

Under what circumstances can the Financial Emergency be proclaimed by the President of India? What consequences follow when such a declaration remains in force?

उत्तरः भारतीय संविधान के भाग-18 में वर्णित अनुच्छेद-360 के तहत राष्ट्रपति भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल घोषणा को दो माह के अंदर सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित करना आवश्यक है। हालाँकि वित्तीय आपात को वापस लेने की घोषणा को किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

राष्ट्रपति ऐसी घोषणा तभी कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा साख खतरे में है।

वित्तीय आपातकाल के प्रभावों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है–

- राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों के पालन का निर्देश दे सकता है।
- राज्य अथवा केंद्र की सेवा में कार्यरत सेवकों के वेतन-भत्तों में कटौती की जा सकती है।
- राज्य द्वारा पारित वित्तीय विधेयक या धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है।
- उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के वेतन-भत्तों में कटौती की जा सकती है।

अतः कहा जा सकता है कि वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। इसलिये संविधानसभा के सदस्य एच.एन. कुंजरू ने कहा था, "वित्तीय आपात राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिये खतरा है।" यद्यपि 1991 में वित्तीय संकट आया था किंतु फिर भी अभी तक देश में एक भी बार वित्तीय आपात घोषित नहीं हुआ।

प्रश्नः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है। व्याख्या कीजिये कि यह किस प्रकार उसकी नियुक्ति की विधि एवं शर्तों और उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है, जिनका प्रयोग वह कर सकता है। (150 शब्द, 10 अंक)

"The Comptroller and Auditor General (CAG) has a very vital role to play". Explain how this is reflected in the method and terms of his appointment as well as the range of powers he can exercise.

उत्तरः संविधान के अनुच्छेद-148 में CAG के पद की व्यवस्था की गई है। CAG भारतीय लेखा परीक्षण और 'लेखा विभाग' का मुखिया होने के नाते लोक वित्त का संरक्षक व देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है।

CAG के कर्त्तव्य और शक्तियाँ

- प्रत्येक राज्य और विधानसभा वाले संघ-शासित प्रदेश की संचित निधि से होने वाले सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करना।
- संघ और राज्य की आकस्मिक निधि, लोक लेखा विधि से होने वाले व्यय की परीक्षा करता है।
- केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित निकायों एवं सभी सरकारी कंपनियों व निगमों का लेखा परीक्षण करना।
- राष्ट्रपति व राज्यपाल के निवेदन पर अन्य प्राधिकरणों का लेखापरीक्षण करना।
- वह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है

CAG के पद के महत्त्व को देखते हुए उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं–

CAG को स्वतंत्रता व सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रावधान

- राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण नहीं करता।
- 6 वर्ष या 65 वर्ष तक आयु के लिये नियुक्ति
- नियुक्ति के पश्चात् वेतन-भत्तों व सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- पद छोड़ने के पश्चात् केंद्र/राज्य के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता।
- वेतन-भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित है।
- उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति से ही हटाया जा सकता है।

अत: स्पष्ट है कि कैग लोक वित्त का संरक्षक व नियंत्रक है। डॉ. अंबेडकर के अनुसार, कैग भारत के संविधान का सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी है। किंतु यह ध्यान देने योग्य है कि कैग तभी ऑडिट कर सकता है, जब पैसा खर्च किया जा चुका हो तथा कैग कार्यपालिका द्वारा किये गए व्यय से संबंधित दस्तावेज़ों की मांग भी नहीं कर सकता। इससे कैग सरकारी पैसे के दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से नहीं रोक पाता। इस संदर्भ में CAG विनोद राय की सिफारिशों को लागू कर इस पद को और प्रभावी बनाया जा सकता है।

प्रश्न: भारत एवं यू.एस.ए. दो विशाल लोकतंत्र हैं। उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिये जिन पर ये दो राजनीतिक तंत्र आधारित हैं। (250 शब्द, 15 अंक)

India and USA are two large democracies. Examine the basic tenets on which the two political systems are based.

उत्तर: भारत जहाँ **विश्व का सबसे बड़ा,** वहीं अमेरिका **विश्व का सबसे पुराना** लोकतंत्र है। इन दोनों ही राज्यों ने उपनिवेशवादी ताकतों से लड़कर अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की तथा **स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व** जैसे सिद्धांतों के प्रसार पर बल दिया। यद्यपि दोनों ही देश एक-दूसरे से भौगोलिक व सांस्कृतिक रूप से कई स्तरों पर अलग हैं, लेकिन दोनों ही राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधारभूत सिद्धांत व्यापक समानताएँ परिलक्षित करते हैं।

दोनों लोकतांत्रिक देशों में निम्नलिखित राजनीतिक आधारभूत सिद्धांत देखने को मिलते हैं-

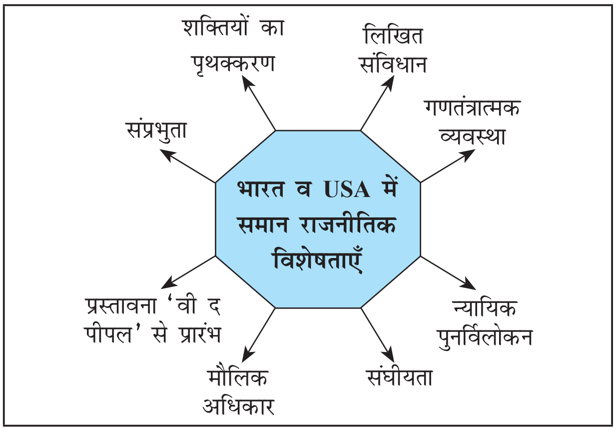

हालाँकि दोनों देशों की राजनीतिक प्रणालियों में कुछ भिन्नताएँ भी हैं जो निम्नलिखित हैं-

भारत	अमेरिका
❑ संसदीय प्रणाली	❑ अध्यक्षीय प्रणाली
❑ यूनियन ऑफ स्टेट्स	❑ फेडरल ऑफ स्टेट्स
❑ एकल नागरिकता	❑ दोहरी नागरिकता
❑ न्यायिक समन्वय पर बल	❑ न्यायिक सर्वोच्चता पर बल

निष्कर्षत: यहाँ कहा जा सकता है कि सिद्धांत के स्तर पर भारत व U.S.A की राजनीतिक प्रणालियों में कई समानताएँ हैं जिसका मुख्य कारण है भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के प्रावधानों को शामिल किया जाना। जहाँ तक राजनीतिक प्रणालियों में कुछ असमानताओं की बात करें तो इसका मुख्य कारण है, संविधान निर्माताओं द्वारा भारतीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ मौलिक तो कुछ संशोधित प्रावधानों को अपनाना। हालाँकि दोनों देशों की व्यवस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य अपने नागरिकों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है।

प्रश्न: आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं? उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अधिकरणों की संवैधानिक वैधता तथा सक्षमता की विवेचना कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

How far do you agree with the view that tribunals curtail the jurisdiction of ordinary courts? In view of the above, discuss the constitutional validity and competency of the tribunals in India.

उत्तर: अधिकरणों का प्रावधान हमारे मूल संविधान में नहीं था। **42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** द्वारा संविधान में एक नया भाग **'XIV-क'** जोड़ा, गया जिसे **'अधिकरण'** नाम दिया गया। इसमें दो अनुच्छेदों को जोड़ा गया-

अनुच्छेद 323 क जो प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है तथा **अनुच्छेद 323 ख** जो अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है। संविधान संसद तथा राज्य विधायिका को अधिकरण के गठन का अधिकार देता है।

अधिकरणों के गठन की व्यवस्था न्यायालय के अतिरिक्त भार को कम करने के उद्देश्य से की गई थी। अधिकरणों द्वारा सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करने के संदर्भ को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है-

(i) अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत गठित **'अंतर्राज्यीय जल अधिकरण'** द्वारा दिये गए निर्णय अंतिम और न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से परे होंगे।

(ii) **राष्ट्रीय हरित अधिकरण** के गठन के बाद हाई कोर्ट में पर्यावरण से संबंधित मामले अब इन अधिकरणों द्वारा संपादित किये जाएंगे।

(iii) दिवालिया व शोध-अक्षमता संहिता के तहत **नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल** के निर्णय में सामान्य न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

(iv) **'सैन्य अधिकरण'** उच्च न्यायालय की अधिकारिता एवं अधीक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं।

(v) मूल रूप से की गई व्यवस्था के अनुसार किसी अधिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई अपील **केवल उच्चतम न्यायालय** में ही की जा सकती है।

परंतु **चंद्रकुमार वाद** में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिकरणों के विनिश्चय उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के अधीन होंगे।

अतः यह कहा जा सकता है कि अधिकरण भारतीय न्याय व्यवस्था के स्तंभों में से एक है, किंतु कई मामलों में ये अधिकरण सामान्य न्यायालयों के अधिकारिता को कम करते हैं। अतः सरकार को चाहिये कि वह अधिकरण को सामान्य न्यायालय के पूरक के रूप में स्थापित करे, न कि न्यायालयों की अधिकारिता को कम करने के उपकरण के रूप में।

हालाँकि बड़ी संख्या में खाली पदों को भरकर, सीमित अपीलीय प्रावधान को अपनाकर अधिकरणों को और प्रभावी बनाया जा सकता है।

प्रश्नः भारत के वित्तीय आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है? हाल में गठित वित्तीय आयोग के विचारार्थ विषय (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) के बारे में आप क्या जानते हैं? विवेचना कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

How is the Finance Commission of India constituted? What do you know about the terms of reference of the recently constituted Finance Commission? Discuss.

उत्तर: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँचवे वर्ष या आवश्यकतानुसार पहले भी किया जाता है। इसका गठन संघ और राज्यों के बीच करों के वितरण तथा राज्यों के बीच उनके आवंटन की सिफारिशें करने के लिये किया जाता है।

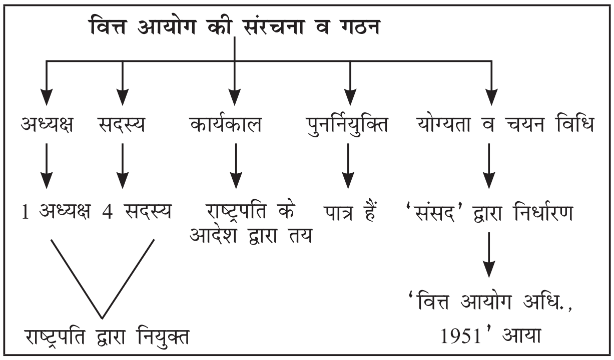

हाल ही में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है जो 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 (5 वर्ष) तक के लिये अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। 15वें वित्त आयोग के विचारधारा विषय (टर्म ऑफ रेफरेंस) निम्नलिखित हैं–

- संघ और राज्यों के बीच करों के ऊर्ध्वाधर बँटवारे को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत।
- राज्यों के बीच करों के क्षैतिज वितरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत।
- राज्यों को सहायता अनुदान तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को राज्यों की समेकित निधि से दिये जाने वाले पूरक अनुदान के सिद्धांत।
- राज्यों के लिये उनके निष्पादन पर आधारित प्रोत्साहन राशि का निर्धारण आदि।
- राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे- GST प्रसार, जनसंख्या नियंत्रण, गैर उत्पादक खर्चों में कमी आदि क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।
- निधियों के आवंटन की सिफारिश 2011 की जनगणना के आधार पर करना, न कि 1971 की जनगणना के आधार पर।

इसे लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों में रोष है, क्योंकि इससे उत्तर भारतीय राज्यों को फायदा होगा।

निष्कर्षतः वित्त आयोग केंद्र व राज्य के मध्य वित्तीय संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य करता है। 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों में होने वाले उपर्युक्त संशोधन वित्त आयोग के बोझ को और अधिक बढ़ाने का कार्य करेंगे, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वित्त आयोग का गठन ही इस कार्य हेतु किया जाता है। हालाँकि वित्त आयोग की सिफारिश सलाहकारी प्रकृति की होती है जो इसकी प्रभावशीलता को कम करती हुई प्रतीत होती है।

प्रश्नः भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन कीजिये। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिये पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती हैं? (250 शब्द, 15 अंक)

Assess the importance of the Panchayat system in India as a part of local government. Apart from government grants, what sources the Panchayats can look out for financing developmental projects?

उत्तर: DPSP के अनुच्छेद 40 को व्यावहारिक रूप प्रदान करते हेतु 73वें संविधान संशोधन अधि., 1992 द्वारा स्थानीय शासन के भाग के रूप में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया खंड-IX पंचायतें तथा 11वीं अनुसूची (29 विषय) जोड़ी गई। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देना है।

पंचायत प्रणाली के महत्त्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है–

स्थानीय स्वशासन का महत्त्व

- स्थानीय लोग स्थानीय मुद्दों के लिये स्वयं निर्णय लेते हैं।
- नीति निर्माण में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित
- विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन व निगरानी में स्थानीय भागीदारी संभव
- महिला सशक्तीकरण में भूमिका
- समावेशी विकास को बढ़ावा
- स्थानीय लोग अपने हकों व अधिकारों की सुरक्षा करते हैं।

उपर्युक्त महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं के बावजूद भी वित्त की कमी पंचायतों की मूलभूत समस्या रही है। सरकारी अनुदानों पर निर्भरता के अलावा पंचायतों के पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है। स्थानीय शासन को सफल बनाने हेतु विकास के साथ-साथ आय के अन्य साधन भी तैयार करने होंगे जैसे–

स्थानीय स्तर पर आय के अन्य साधन

- ग्रामीण हाट बाज़ारों का निर्माण
- मेलों का आयोजन
- ग्रामीण शासकीय भूमि पर बागवानी
- स्थानीय तीर्थ स्थानों पर कर लगाना
- 'पथ कर' की व्यवस्था
- जल, सिंचाई, प्रकाश व स्वच्छता जैसी सेवाओं पर कर लगाना

अत: कहा जा सकता है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पंचायतों के वित्त आवंटन में वृद्धि करने के साथ-साथ उन्हें कर लगाने के कुछ व्यापक अधिकार भी दिये जाने चाहिये। साथ ही, विश्वसनीय लेखा परीक्षण कराकर, रैंकिंग व्यवस्था अपनाकर भी पंचायतों की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाया जा सकता है। इस दिशा में सरकार द्वारा 'ई-ग्राम स्वराज पोर्टल' का शुभारंभ एक सराहनीय पहल है।

प्रश्न: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) के इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद के आलोक में, भारत में चुनावों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिये भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं?

(150 शब्द, 10 अंक)

In the light of recent controversy regarding the use of Electronic Voting Machines (EVM), what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India?

उत्तर: इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करते हुए वोट डालने या वोटों की गिनती करने का कार्य करने वाली मशीन ई.वी.एम. कहलाती है। इसे दो यूनिटों में मिलाकर तैयार किया गया है- कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट।

ई.वी.एम. की कार्यप्रणाली भारत में लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है, परंतु 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पश्चात् ई.वी.एम. हैक करके चुनाव परिणाम प्रभावित करने के आरोप केंद्र सरकार व चुनाव आयोग पर लगने लगे।

भारत में चुनावों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिये भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं-

- EVM को बदलने से बचाने के उपाय करना।
- EVM की त्रुटिहीनता को सिद्ध करना
- EVM मशीनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना
- ओपन सेमिनार के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों के समक्ष EVM की शुचिता सिद्ध करना।
- EVM से वोटों की गिनती का सत्यापन VVPAT से करना
- EVM को बदलने से बचाने के उपाय करना

हालाँकि VVPAT (वोटर वेरीफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल) का प्रावधान इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, परंतु इसकी तकनीकी समस्याएँ दूर करना तथा VVPAT युक्त मशीनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। हाल ही में बोत्सवाना चुनाव में भारतीय EVM को बैन करना निश्चित ही भारतीय लोकतंत्र की निष्पक्षता के समक्ष एक चुनौती है जिसे एक निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव आयोग के कार्यालय द्वारा ही दूर किया जा सकता है।

प्रश्न: क्या 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है?

(150 शब्द, 10 अंक)

Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSC) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine.

उत्तर: अनुसूचित जातियों का संवैधानिक संरक्षण से संबंधित मामलों का निरीक्षण करने हेतु अनु.-338 के तहत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) का गठन किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

NCSC धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण लागू कर सकता है या नहीं इसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- संविधान के अनु. 15(5) के अनुसार, 'राज्य' सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों/SC/STs के लिये शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों में विशेष प्रावधान कर सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनु.-15(5) के तहत आरक्षण अल्यसंख्यकों सहित उन सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होता है जो राज्य से सहायता या मान्यता प्राप्त करते हैं।
- 'अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम अब्दुल अज़ीज़' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि AMU अनु. 30 के उद्देश्यों के लिये अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है और यह आरक्षण नीति से बंधा हुआ है।

अत: NCSC राज्य से सहायता या मान्यता प्राप्त धार्मिक अल्पसंख्यकों संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के कार्यान्वयन को लागू कर सकता है और NCSC के पास अनु.-19(5) के तहत आरक्षण नीति की जाँच व निगरानी करने की शक्ति है तथा यह शक्ति अल्पसंख्यकों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू है।

2017

प्रश्न: भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधि., 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Critically examine the Supreme Court's judgement on 'National Judicial Appointments Commission Act, 2014' with reference to appointment of judges of higher judiciary in India.

उत्तर: अगस्त 2014 में संसद ने 'राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अधि., 2014' के साथ '99वाँ संविधान संशोधन अधि. 2014' पारित किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये कोलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक स्वतंत्र आयोग के गठन का प्रावधान था जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 4 : 1 के बहुमत से असंवैधानिक घोषित कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये–

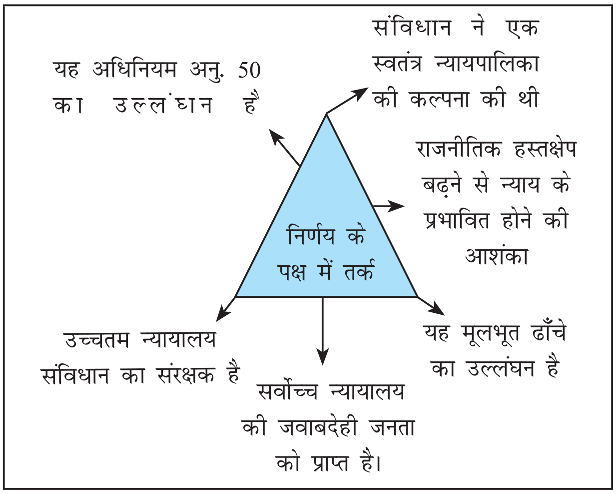

न्यायालय ने उपर्युक्त तर्कों के साथ NJAC Act, 2014 को निरस्त करते हुए कोलेजियम प्रणाली को ही फिर से बहाल कर दिया है, किंतु इस कोलेजियम प्रणाली की निम्नलिखित खामियाँ हैं–

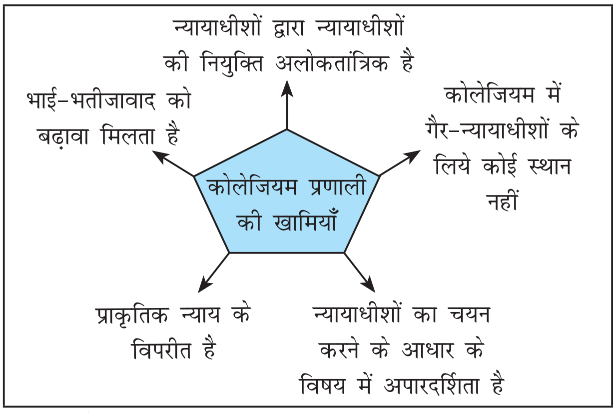

हालाँकि न्यायालयी कार्रवाई को ऑनलाइन करने, कोई अपडेट को डिजिटलाइज़्ड करने जैसे प्रयासों के माध्यम से न्यायपालिका में और अधिक पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है, किंतु न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया केवल भारत में प्रचलित है जो निश्चित ही 'प्राकृतिक न्याय' के सिद्धांत के खिलाफ है।

प्रश्न: "भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है।" इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा स्थिति में सुधार के लिये अपने विचार प्रस्तुत कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"The local self-government system in India has not proved to be effective instrument of governance". Critically examine the statement and give your views to improve the situation.

उत्तर: बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश पर '73वाँ व 74वाँ संविधान संशोधन अधि., 1992' द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान संविधान में 11वीं व 12वीं अनुसूची जोड़ी गईं। इन अनुसूचियों में क्रमश: 29 व 18 विषय शामिल किये गए।

इन संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी निम्नलिखित कारणों से अधिक समावेशी लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका–

(i) अधिकांश राज्यों ने केवल बाध्यकारी प्रावधानों को ही लागू किया।
(ii) पंचायतों/नगरपालिकाओं को पर्याप्त राजनीतिक व वित्तीय अधिकार नहीं दिये गए।
(iii) महिला प्रतिनिधियों की वास्तविक शक्ति का प्रयोग उनके पति/पिता (भाई द्वारा किया गया)
(iv) स्थानीय चुनावों में धन-बल व जातिवाद का प्रभाव बढ़ने लगा।
(v) बढ़ते भ्रष्टाचार व अपने प्रशासनिक गठजोड़ ने इसे और कमज़ोर बनाया।

उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद इसके कई सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं, जैसे–

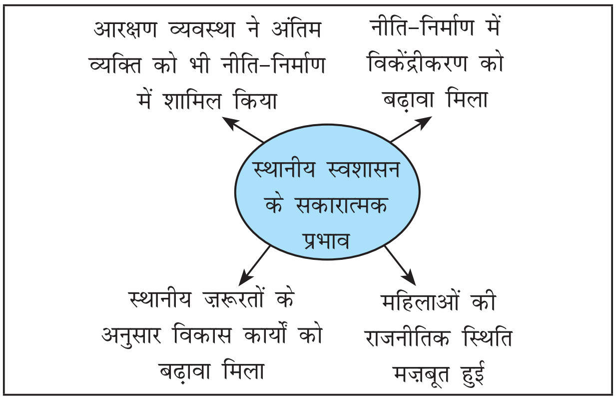

स्थानीय स्वशासन के वास्तविक परिणाम पाने हेतु हमें निम्नलिखित प्रयास करने होंगे–

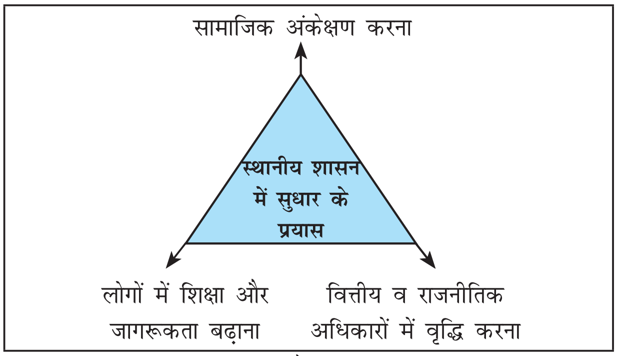

अत: यह कहा जा सकता है कि उपर्युक्त सुधारों के माध्यम से हम तृणमूल लोकतंत्र को और अधिक समावेशी, जवाबदेह व प्रासंगिक बना सकते हैं।

प्रश्न: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव, चुनाव प्रचार की अवधि और व्यय को सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। (200 शब्द, 10 अंक)

"Simultaneous election to the Lok Sabha and the State Assemblies will limit the amount of time and money spent in electioneering but it will reduce the government's accountability to the people." Discuss.

उत्तर: भारत में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनावी पर्व का आयोजन होता रहता है जिससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खज़ाने पर भी भारी बोझ पड़ता है। इन सीमाओं से बचाव हेतु कुछ नीति निर्माताओं द्वारा तथा विधि की 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार प्रस्तुत किया गया।

'एक देश एक चुनाव' की ज़रूरत को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

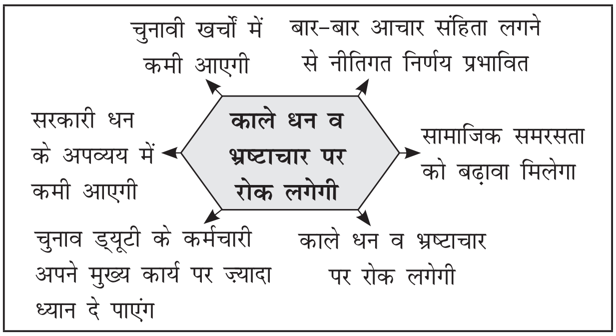

हालाँकि 'एक देश एक चुनाव' की व्यवस्था के रास्ते में कुछ बाधाएँ भी हैं, जो निम्नलिखित हैं-

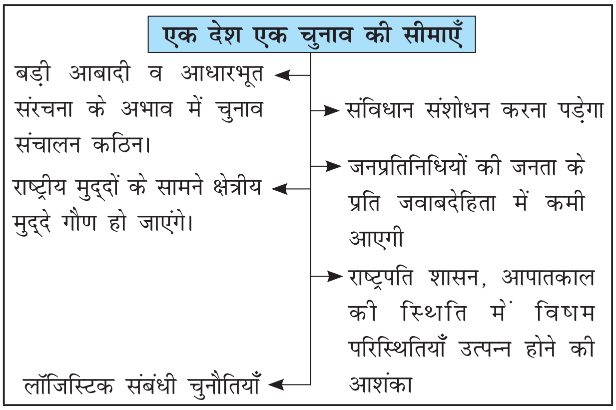

स्पष्टत: कहा जा सकता है कि एक देश एक चुनाव एक आदर्श विचार है, किंतु फिर भी नियत चुनाव न होने से जनप्रतिनिधियों की जवाबदेहिता में कमी आएगी जिससे लोकतंत्र की प्रवाहित धारा धीरे-धीरे सूख जाएगी।

प्रश्न: 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के प्रमुख अभिलक्षणों को समझाये। क्या आप समझते हैं कि यह करों के सोपानिक प्रभाव को समाप्त करने में और माल तथा सेवाओं के लिये साझा राष्ट्रीय बाज़ार उपलब्ध कराने में काफी प्रभावकारी है? (200 शब्द, 10 अंक)

Explain the salient features of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016. Do you think it is efficacious enough "to remove cascading effect of taxes and provide for common national market for goods and services"?

उत्तर: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 में 'वन नेशन वन टैक्स' के नारे के साथ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को पेश किया गया। इसे देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक माना जाता है, जिसे 1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में एक समान मूल्यवर्द्धित कर के रूप में लागू किया गया है।

जीएसटी अधिनियम, 2016 के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं-

- जीएसटी विषय पर संसद व राज्य विधायिका दोनों को कानून बनाने की शक्ति दी गई है।
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) तथा सेवा कर जैसे विभिन्न केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में शामिल हो गए।
- जीएसटी को सीजीएसटी (केंद्रीय), सीजीएसटी (राज्यस्तरीय) तथा आईसीजीएसटी (अंतर्राज्यीय कारोबार पर) में बाँटा गया।
- शराब को छोड़कर सभी वस्तुओं व सेवाओं पर जीएसटी लगाया जाएगा।
- 5 वर्षों तक राज्यों को जीएसटी लागू करने में हुए राजस्व नुकसान का मुआवज़ा दिया जाएगा।
- जीएसटी से संबंधित विषयों की जाँच तथा सिफारिशों के लिये जीएसटी परिषद् के गठन का प्रावधान है।

जीएसटी अधिनियम, 2016 से प्राप्त लाभों को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं-

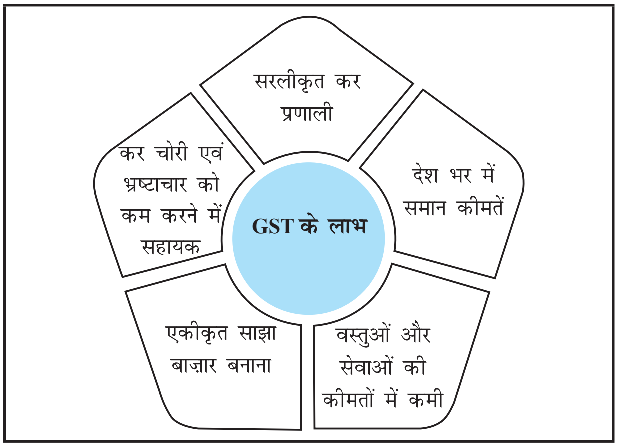

सबसे बढ़कर, पहले व्यवसायी उत्पाद शुल्क व सेवा कर के भुगतान में कर अधिव्यापन के कारण ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का लाभ प्राप्त नहीं कर पाता था जिससे टैक्स ऑन टैक्स की समस्या के कारण कैस्केडिंग प्रभाव (Cascading Effect) उत्पन्न हो जाता था और वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती थीं। इस समस्या का समाधान GST के आने से काफी हद तक हो जाएगा।

इस प्रकार, कहा जा सकता है कि GST से कैस्केडिंग प्रभाव की समस्या का समाधान करते हुए **'एक देश एक कर'** की संकल्पना को बढ़ावा मिला है। हालाँकि इससे व्यापार जटिलता टैक्स डिसएबिलिटी कर, जैसी समस्याओं ने जन्म लिया है। साथ ही पेट्रोलियम जैसे कुछ उत्पाद अभी भी GST के दायरे से बाहर है।

प्रश्न: जनता के प्रति सरकार की जवाबदेहिता स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की विवेचना कीजिये।

(200 शब्द, 10 अंक)

Discuss the role of Public Accounts Committee in establishing accountability of the government to the people.

उत्तर: लोक लेखा समिति की स्थापना भारत शासन अधिनियम, 1919 के तहत 1921 में की गई। वर्तमान में इसकी सदस्यता संख्या 22 है। परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्षी दल से होता है। इस समिति का प्रमुख कार्य CAG की वार्षिक रिपोर्ट की जाँच कर संसदीय उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है।

जनता के प्रति सरकार की जवाबदेहिता बढ़ाने हेतु लोक लेखा समिति निम्नलिखित प्रमुख कार्य करती है-

- केंद्र सरकार के विनियोग खातों व वित्त खातों की जाँच करना।
- यह जाँच करना कि संवितरित की गई राशि उसी सेवा या प्रयोजन में खर्च की गई जिस हेतु उसका आवंटन किया गया था।
- स्वायत्त व अर्द्ध-स्वायत्त निकायों के लेखाओं की जाँच करना।
- राज्य नियमों, व्यापार उद्यमों और विनिर्माण परियोजनाओं के लेखाओं की जाँच करना।

हाल ही में नोटबंदी जैसे मुद्दे पर भी लोक लेखा समिति ने स्वत: संज्ञान लेते हुए RBI गवर्नर को एक प्रश्नावली भेजी है।

उपर्युक्त शक्तियों के बावजूद इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं, जैसे-

लोक लेखा समिति की सीमाएँ

- विभागों द्वारा किये गए खर्चों पर रोक की शक्ति प्राप्त नहीं
- धनराशि खर्च होने के बाद निरीक्षण करती है
- अनुशंसाएँ बाध्यकारी नहीं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोक लेखा समिति को जनता के प्रति और अधिक जवाबदेह तथा प्रतिबद्ध बनाने हेतु संसद द्वारा इसकी शक्तियों में और वृद्धि करने की आवश्यकता है। हाल ही में 200 जाँच के विषयों का चयन कर समिति ने अपनी प्रतिबद्धता का उदाहरण पेश किया है।

प्रश्न: महिलाएँ जिन समस्याओं का सार्वजनिक एवं निजी स्थलों पर सामना कर रही हैं, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग उनका समाधान निकालने की रणनीति बनाने में सफल रहा? अपने उत्तर क समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Is the National Commission for Women able to strategize and tackle the problems that women face at both public and private spheres? Give reasons in support of your answer.

उत्तर: राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 'राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990' के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई। जिसका प्रमुख कार्य महिलाओं के लिये संवैधानिक, कानूनी और उपचारात्मक उपायों की समीक्षा व सिफारिश करना है। साथ ही यह महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण को भी सुगम बनाता है।

हाल के समय में महिलाओं को निजी व सार्वजनिक स्थलों पर निम्नलिखित प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है-

सार्वजनिक स्थल पर समस्याएँ	घरेलू स्तर पर समस्याएँ
❑ यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, ईव टीजिंग	❑ घर व कार्यालय की दोहरी ज़िम्मेदारी
❑ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम → महिलाएँ असहज महसूस करती हैं।	❑ घरेलू हिंसा का शिकार
	❑ 'संयुक्त परिवार' का ध्यान रखना एक बड़ी ज़िम्मेदारी
❑ पर्याप्त समय के लिये मातृत्व अवकाश न होना	❑ कामकाजी महिलाओं के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टि
❑ पुरुष सहकर्मी से पर्याप्त सम्मान न मिलना	

यद्यपि 'विशाखा 'दिशा-निर्देश 1997' तथा 'कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न अधिनियम, 2013 में उपर्युक्त समस्याओं के समाधान हेतु बेहतर निर्देश/प्रावधान किये गए हैं, किंतु फिर भी इनका पूर्ण रूप से समाधान नहीं हुआ है। इसके लिये 'राष्ट्रीय महिला आयोग' ने अपने स्तर पर निम्नलिखित प्रयास किये हैं-

राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रयास

- महिलाओं से संबंधित विनियमों/अधिनियमों के निर्माण/संशोधन की सरकार से सिफारिश करना
- सम्मेलनों, गोष्ठियों के माध्यम से महिला जागरूकता
- महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर शोध कार्य करना
- 10 वर्ष सज़ा काट चुकी महिलाओं की मुक्ति में सहायता।
- NGOs के साथ मिलकर संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करवाना
- देश के 9 राज्यों में 'राज्य महिला आयोग' की स्थापना में मदद'
- महिलाओं को समानता, न्याय व सम्मान दिलवाना

उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महिलाओं का अश्लील चित्रण, विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाने तथा बलात्कार से पीड़ित महिलाओं के राहत व पुनर्वास आदि के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग की सीमित भूमिका है। अत: इसे और बढ़ाने की आवश्कता है।

आगे की राह

- महिला न्यायालयों की स्थापना करना।
- महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु होस्टलों की स्थापना।

प्रश्न: भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। उन अवसरों को गिनाइये जब सामान्यत: यह होता है तथा उन अवसरों को भी, जब यह नहीं किया जा सकता है और इसके कारण भी बताइये।

(250 शब्द, 15 अंक)

The Indian Constitution has provisions for holding joint session of the two houses of the Parliament. Enumerate the occasions when this would normally happen and also the occasions when it cannot, with reasons thereof.

उत्तर : भारत में द्विसदनीय विधायिका होने के कारण विधेयकों को कानून बनाने में संसद के दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है। हालाँकि किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में अनुच्छेद-108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सामान्यत: लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।

निम्नलिखित तीन में से किसी एक परिस्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जब एक सदन द्वारा विधेयक पारित करके दूसरे को भेजा जाता है, तब–

1. यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो।
2. यदि सदन विधेयक में किये गए संशोधनों को मानने से असहमत हो।
3. दूसरे सदन द्वारा 6 माह से ज़्यादा समय तक विधेयक पर कोई निर्णय न किया गया हो।

उपर्युक्त तीन परिस्थितियों में विधेयक पर चर्चा करने और मतदान करने के लिये राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। ध्यातव्य है कि संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में ही बुलाई जा सकती है–

1. धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के मामले में, क्योंकि धन विधेयक के मामले में सभी शक्तियाँ लोकसभा के पास हैं, जबकि संविधान संशोधन विधेयक का दोनों सदनों में अलग-अलग पारित होना आवश्यक है।
2. यदि कोई विधेयक लोकसभा के विघटन के कारण व्यपगत हो गया हो।

स्पष्ट: कहा जा सकता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान विशेष स्थिति में गतिरोध को कम करने हेतु किया न कि सामान्य स्थिति में विधेयकों को पारित करने हेतु। ऐसी विशेष परिस्थितियाँ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1960, बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम, 1977 तथा आतंकवाद निवारण विधेयक, 2000 के समय देखी गईं।

प्रश्न: भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने हेतु भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाये गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं? (250 शब्द, 15 अंक)

To enhance the quality of democracy in India the Election Commission of India has proposed electoral reforms in 2016. What are the suggested reforms and how far are they significant to make democracy successful?

उत्तर : स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव जीवंत लोकतंत्र की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। भारत में इसकी ज़िम्मेदारी 'चुनाव आयोग' की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्यविधानमंडल, राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग को दी गई है।

चुनावी व्यवस्था में शुचिता को और बढ़ाने हेतु 2016 में चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव सुझाए गए–

1. जघन्य अपराधियों को चुनाव लड़ने के लिये निरर्ह घोषित किया जाए।

   ↓

   क्योंकि कभी-कभी विधि का उल्लंघन करने वाले ही विधि निर्माता बन जाते हैं तथा पुलिस संरक्षण में घूमते हैं जिससे जनता में नकारात्मक संदेश जाता है।
2. चुनावी शपथ-पत्र में गलत सूचनाएँ देने वाले उम्मीदवार पर अधिकतम दंड व जुर्माने का प्रावधान हो।

   ↓

   इससे जनता प्रतिनिधि चुनने से पहले उसकी पृष्ठभूमि से परिचित होगी जिससे लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा।
3. एक्ज़िट पोल, ओपीनियन पोल तथा पेड-न्यूज़ पर प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि इससे स्वतंत्र, निष्पक्ष निर्वाचन में बाधा उत्पन्न होती है।
4. चुनावी अभियान में स्टार प्रचारकों की संख्या सीमित करना, भारी-भरकम विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना।
5. चुनावी प्रचार में धार्मिक मुद्दों को नहीं उठाया जाए।
6. पार्टियों द्वारा चंदे का स्पष्ट ब्योरा दिया जाए।

   ↓

   इससे चुनावों में काला धन खपाने की समस्या का समाधान होगा।
7. कर में राहत उन्हीं पार्टियों को दी जाए जो चुनाव लड़े तथा विधानसभा अथवा संसद में सीटें जीतें।

   ↓

   इससे कर अपवंचन की समस्या का समाधान होगा।

हालाँकि इससे पहले तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति तथा इन्द्रजीत गुप्ता समिति ने भी स्वस्थ, निष्पक्ष व प्रभावी चुनाव संचालन हेतु सिफारिशें की थीं। जिन्हें अभी भी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। अत: कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग द्वारा प्रेषित सुझावों को लागू करके वित्तपोषण में पारदर्शिता, राजनीतिक में सांप्रदायिकता व अपराधीकरण की समस्या को न केवल रोका जा सकता है अपितु राजनीति में ऐसे लोगों की भागीदारी को भी बढ़ाया जा सकता है जो वास्तव में जनसेवा के लिये प्रतिबद्ध हैं। वस्तुत: जनता का राजनीतिक व्यवस्था पर विश्वास ही वास्तविक लोकतंत्र की नींव है।

2016

प्रश्न: अर्द्ध-न्यायिक निकायों से क्या तात्पर्य है? ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

What is a quasi-judicial body? Explain with the help of concrete examples.

उत्तर : अर्द्ध-न्यायिक निकाय ऐसे संगठन हैं जिनके पास न्यायालय के समान शक्तियाँ होती हैं, किंतु ये न्यायालय नहीं होते हैं। जहाँ न्यायालय सभी प्रकार के विवादों में निर्णय देने की क्षमता रखता है, वहीं अर्द्ध-न्यायिक निकाय की शक्तियाँ अक्सर एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती हैं। इनके द्वारा दिये गए दंड को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

भारत में प्रमुख अर्द्ध-न्यायिक निकायों के उदाहरण निम्नलिखित हैं–

- **राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण :** पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व क्षतिपूर्ति से संबंधित मामलों की देखरेख हेतु 2010 में गठन।
- **दूसंचार विवाद समाधान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TRAI) :** दूरसंचार क्षेत्र में उत्पन्न हुए विवादों की सुनवाई एवं उनका निराकरण करने हेतु 1997 में स्थापित।
- **भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग:** बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा के उल्लंघन पर पिछले 3 वर्षों के टर्नओवर का 10% तक जुर्माना लगा सकता है।
- **केंद्रीय सूचना आयोग:** आम नागरिकों को जरूरी सूचनाएँ उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करता है। इसकी स्थापना 2005 में की गई।

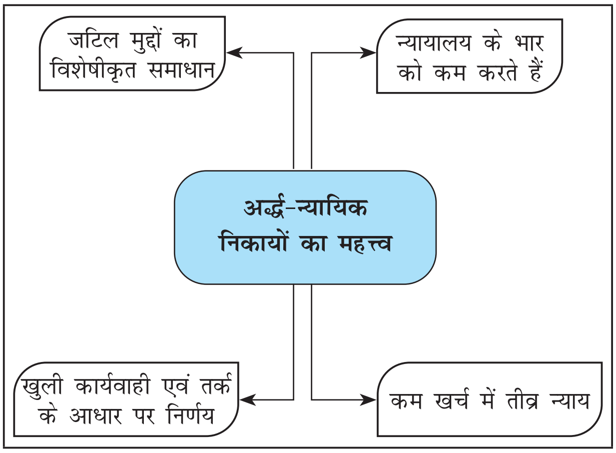

उपर्युक्त विशेषताओं के बावजूद अर्द्ध-न्यायिक निकायों की कुछ सीमाएँ भी हैं, जैसे–

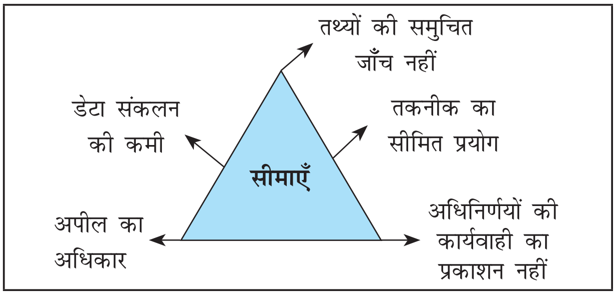

उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद भी कम खर्च में त्वरित न्याय दिलाने में अर्द्ध-न्यायिक निकायों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। निर्णयों को समय पर सुलभ और किफायती बनाने, लिखित तर्क प्रस्तुत करने जैसी **'विधि आयोग'** की सिफारिशों को अपनाना चाहिये।

प्रश्न: "भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर से गुज़र रही है जो अंतर्विरोधी और विरोधाभासों से भरा प्रतीत होता है।" (150 शब्द, 10 अंक)

"The Indian Party system is passing through a phase of transition which looks to be full of contradictions and paradoxes." Discuss.

उत्तर : 'लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता राजनीतिक दलों पर ही निर्भर करती है। राजनीतिक दलों के माध्यम से ही लोकतंत्र में सरकारों का गठन व संचालन किया जाता है वर्तमान में संपूर्ण विश्व में तीन तरह की राजनीतिक पार्टी प्रणालियाँ विद्यमान हैं–

- एकल दल प्रणाली (चीन, क्यूबा)
- द्विदलीय प्रणाली USA, UK
- बहुदलीय प्रणाली– भारत, फ्राँस, इटली
- भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर से गुज़र रही है, जिसमें नवीन प्रवृत्तियाँ देखी गई हैं। इन उभरती प्रवृत्तियों ने सरकार की कार्यप्रणाली एवं संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। ये प्रवृत्तियाँ जिनमें कुछ नकारात्मक थीं तो कुछ सकारात्मक–

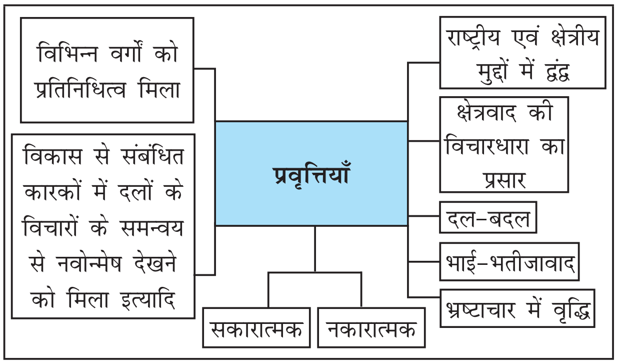

- भारतीय राजनीतिक दलों के अन्य पहलुओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए तो इनकी कार्यप्रणाली बाह्य एवं आंतरिक स्तर पर अंतर्विरोधी एवं विरोधाभासों से भरी प्रतीत होती है जिनको निम्न आधार पर समझा जा सकता है–

राजनीतिक दल

बाह्य स्तर	आंतरिक स्तर
❑ लोकतंत्र को बढ़ावा एवं मज़बूत करने की बात करती है।	❑ लोकतंत्र की भावना का पालन नहीं
❑ भ्रष्टाचार, कुशासन से मुक्ति, पारदर्शिता इत्यादि की मांग।	❑ स्वयं वित्तीय स्रोत नहीं कराते और RTI लागू करने की मांग का विरोध
❑ सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने तथा लोगों को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आधार पर एकीकरण की प्रबलता से मांग करते हैं।	❑ चुनाव के समय धर्म, जाति इत्यादि मुद्दों को लेकर शांति भंग करने का प्रयास करते हैं तथा इसके सहारे अपना मत प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं।
❑ महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा	❑ टिकट बँटवारे के समय ध्यान न देना, संसद में महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर मौन
❑ कार्यप्रणाली व एजेंडा चुनाव के समय जो होता है।	❑ चुनाव के बाद बदल जाता है।

राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों, लक्ष्यों एवं नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये सत्ता पर नियंत्रण करने का पूर्ण प्रयत्न करता है अर्थात् सत्ता एक साधन है, साध्य तक पहुँचने के लिये, परंतु दुर्भाग्यवश आज साधन ही साध्य बन गया है।

प्रश्न: उद्देशिका (प्रस्तावना) में शब्द 'गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिये। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं। (200 शब्द, 10 अंक)

Discuss each adjective attached to the word 'Republic' in the 'Preamble'. Are they defendable in the present circumstances?

उत्तर: भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के संपूर्ण दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। यह संविधान के आंतरिक भाग में निहित विविध आयामों एवं उपागमों को एक साथ प्रस्तुत कर संविधान के लक्ष्यों एवं आदर्शों को बताती है।

गणराज्य शब्द के साथ जुड़े विशेषण

संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
एक ऐसी सत्ता से है, जिस पर किसी अन्य का नियंत्रण न हो।

पंथनिरपेक्षता
किसी राष्ट्र में मौजूद विभिन्न धर्मों एवं पंथों से सरकार की तटस्थता या समरूपता को दर्शाती है

समाजवादी
आर्थिक आधार पर समानता लाने की बात की जाती है, पर इसके लिये जो तरीका है वह लोकतंत्रात्मक है न कि मार्क्सवाद।

लोकतंत्रात्मक गणराज्य
जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है।

वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिरक्षणीय

- आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने कॉमनवेल्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ, गुटनिरपेक्ष आदि कई संगठनों की सदस्यता ग्रहण की एवं कई संधियों पर हस्ताक्षर किये हैं, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत ने अपनी संप्रभुता से समझौता किया हैं। वैश्विक परिदृश्य में देश को विकास की आवश्यकता है, किंतु यह मजबूरी न होकर ऐच्छिक है।
- भारत धीरे-धीरे मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है फिर भी मनरेगा, नगर एवं ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, शिक्षा का अधिकार, मज़दूरी मूल्य आज भी दृढ़ता से भारत में लागू हो रहे हैं।
- भारत में पंथनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता या पंथनिरपेक्षता से अलग है। भारत में सभी धर्मों के मध्य सर्वधर्म समभाव और भाइचारे को बढ़ाना है। साथ ही राज्य का कोई धर्म नहीं माना गया है। धार्मिक, भेदभाव व धार्मिक सांप्रदायिक या पंथ टकराव का विरोध करती है।

दुनिया के बहुत से देशों में आज़ादी के बाद लोकतंत्रात्मक सरकारें बनीं, परंतु सेना तथा जनता के सशक्त विद्रोह के कारण वहाँ से लोकतंत्र की समाप्ति हो गई, जबकि भारत में सत्ता परिवर्तन का अब तक मात्र एक ही तरीका मत-पत्र (चुनाव) का प्रयोग अपनाया गया है।

प्रश्न: कोहिलो केस में क्या अभिनिर्धारित किया गया था? इस संदर्भ में क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्त्व क्या है? (200 शब्द, 12½ अंक)

What was held in the Coelho case? In this context, can you say that judicial review is of key importance amongst the basic features of the Constitution?

उत्तर: आई.आर. कोहिलो मामला केशवानंद भारती मामले में निर्धारित संविधान के मूल ढाँचे के सिद्धांत की व्याख्या पर ऐतिहासिक निर्णय में से एक है जिसे 9वीं अनुसूची केस भी कहा जाता है।

आई.आर. कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य

- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक मूलभूत विशेषता है और इसे 9वीं अनुसूची का उपयोग करके भी समाप्त नहीं किया जा सकता है।
- प्रत्येक कानून का अनुच्छेद-14, 19 और 21 के तहत परीक्षण किया जाना चाहिये, यदि वह कानून 24 अप्रैल, 1973 के बाद लागू हुआ है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद-31ख का उद्देश्य मतभेदों को कम करना है न कि न्यायिक समीक्षा को कम करना।
- अनुच्छेद-13 न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है एवं अन्य अनुच्छेद-373(1), 32, 226, 251, 254, 245, 131, 137 इत्यादि।

मूल संरचना का सिद्धांत

- SC ने पहली बार केशवानंद मामले में संविधान की मूलभूत विशेषता का सिद्धांत पारित किया।
- इसके अंतर्गत संघीय व्यवस्था, मूल अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि संविधान का मूलभूत ढाँचा है।
- 'इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण' के मामले (1975) में उच्चतम न्यायालय ने 'न्यायिक पुनर्विलोकन' की शक्ति को आधारभूत ढाँचे (मूलभूत ढाँचा) का आवश्यक तत्त्व माना था जिसको बाद के निर्णय में भी दोहराया गया।

संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में न्यायिक पुनर्विलोकन का महत्त्व

- मूल अधिकारों के संरक्षण में एक प्रभावी उपाय।
- आधारित ढाँचे के सभी अभिलक्षणों (न्यायिक पुनर्विलोकन सहित) को संरक्षित करता है।
- न्यायिक पुनर्विलोकन के बिना आधारित ढाँचा शक्तिहीन हो जाएगा जिसका किसी कानून के द्वारा आसानी से अतिक्रमण किया जा सकता है।
- संविधान की सर्वोच्चता को सुरक्षित रखने के लिये। (99वाँ संवैधानिक संशोधन INJAC को असंवैधानिक घोषित)
- एक साधन के रूप में है। ऐसे साधन की उपयोगिता आपातकाल के बुरे अनुभव के बाद और भी बढ़ गई।

अतः स्पष्ट है कि न्यायिक पुनर्विलोकन विधायिका और कार्यपालिका द्वारा सत्ता के संभावित दुरुपयोग की जाँच एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिये आवश्यक है।

प्रश्न: क्या भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? चर्चा कीजिये।

(200 शब्द, 12½ अंक)

Did the Government of India Act, 1935 lay down a federal constitution? Discuss.

उत्तर: भूमिका- संघात्मक व्यवस्था कई स्वतंत्र राज्यों के आपसी समझौते के तहत निर्मित होती है, किंतु इस समझौते में निर्णायक इकाइयों को कोई हक नहीं होता कि वे संघ से अलग होने का फैसला कर सकें। इसलिये संघात्मक व्यवस्था को 'शक्तिशाली राज्यों का अविनाशी संगठन' कहा जाता है।

आधुनिक युग में यू.एस.ए. प्रथम एवं आदर्श परिसंघ के रूप में माना जाता है, जबकि कनाडा एवं भारत को अर्द्ध-परिसंघीय की संज्ञा दी जाती है। किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था परिसंघीय है अथवा नहीं इसके निम्न आधार हैं–

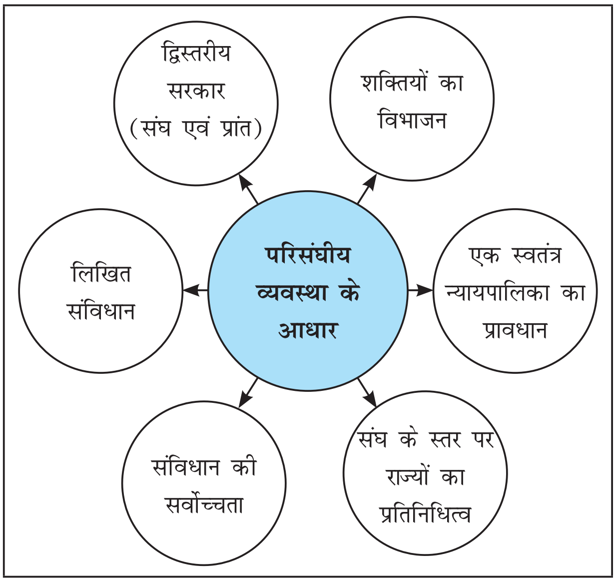

भारत सरकार अधिनियम, 1935 के कुछ प्रावधानों ने एक परिसंघीय संविधान का प्रारूप निर्धारण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो निम्नलिखित है–

- द्विस्तरीय सरकार का प्रावधान- (1) प्रांतीय स्तर, (1) केंद्र स्तर
- कार्यों के निष्पादन को सुविधाजनक बनाने हेतु एक लिखित संविधान जिसमें 321 अनुच्छेद-10 अनुसूचियाँ, हस्तांतरित एवं संरक्षित विषयों का समावेश किया गया।
- प्रांतों को स्वायत्तता, पृथक् पहचान, विधि बनाने का दायित्व एवं उसको लागू करने का अधिकार
- प्रांतीय विषयों का संचालन मंत्रियों के द्वारा जो मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते थे तथा विधानमंडल के प्रति जवाबदेह थे।
- एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना
- शक्तियों का बँटवारा- केंद्र सूची (59), राज्य सूची (54) तथा समवर्ती सूची (36)
- भारत शासन अधिनियम, 1935 के प्रावधान संघीय व्यवस्था के विपरीत भी थे।
- संघीय न्यायपालिका के ऊपर प्रिवी कौंसिल में अपील की जा सकती थी।
- संविधान संशोधन की शक्ति ब्रिटिश संसद में निहित थी।
- गवर्नर जनरल केंद्र में समस्त संविधान का केंद्र बिंदु था, उसे अनुदान की मांग में कटौती करने, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर रोक लगाने, विभिन्न विषयों पर अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ थीं।
- संघीय बजट का लगभग 80% भाग ऐसा था,जिस पर विधानमंडल मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था।

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 में अप्रत्यक्ष रूप से तो परिसंघीय संविधान की अवधारणा को निरूपित कर दिया, लेकिन गवर्नर जनरल की भूमिका एवं ब्रिटिश हितों की प्रमुखता के कारण अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आ पाया।

प्रश्न: संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद-149 से व्युत्पन्न है। चर्चा कीजिये कि क्या सरकार के नीति कार्यान्वयन की लेखा परीक्षा करना अपने स्वयं (नियंत्रक और महालेखापरीक्षक) की अधिकारिता का अतिक्रमण करना होगा या कि नहीं। (200 शब्द, 12½ अंक)

Exercise of CAG's powers in relation to the accounts of the Union and the States is derived from Article 149 of the Indian Constitution. Discuss whether audit of the Government's policy implementation could amount to overstepping its own (CAG) jurisdiction.

उत्तर: नियंत्रक और महालेखापरीक्षक CAG का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद-148 के तहत किया गया। इसके गठन का उद्देश्य लोकधन के उचित उपयोग का मूल्यांकन करते हुए कार्यपालिका को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना है। डॉ. अंबेडकर के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद-149 के तहत संसद ने महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 तथा 1976 में संशोधन के माध्यम से कर्त्तव्यों का निर्धारण किया।

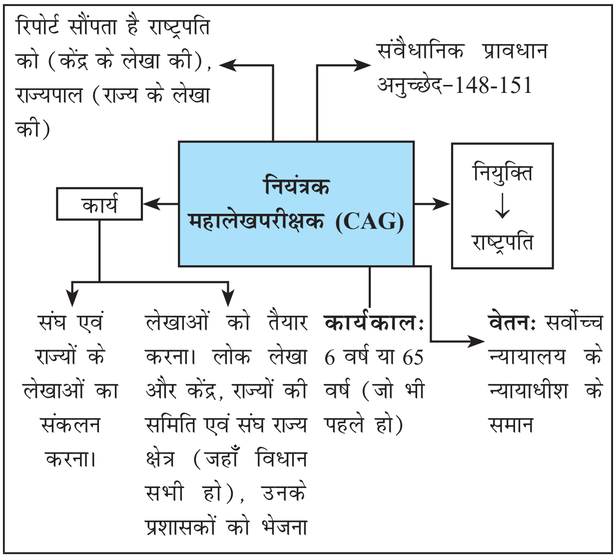

- संघ और प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा से किये गए सभी व्ययों की जाँच और उन पर रिपोर्ट देना।
- संघ और प्रत्येक राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी निकायों (लोक उपक्रमों) की आय और व्यय की जाँच तथा उस पर रिपोर्ट देना।
- संघ एवं प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों/आय की जाँच और उस पर रिपोर्ट देना।

उपर्युक्त कार्यों को तीन परीक्षण विधियों के अंतर्गत रखा गया है:

- ❑ नियामकीय या वैधानिक लेखा परीक्षण
- ❑ औचित्य/मितव्ययता लेखा परीक्षण
- ❑ निष्पादन/उपलब्धि लेखा परीक्षण

2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, कोल ब्लॉक आवंटन आदि मामलों में CAG के कार्यों को लेकर आपत्ति उठी है। CAG कार्यपालिका के नीति क्रियान्वयन में हस्तक्षेप कर रहा है। प्रथम दृष्टि में ये आरोप उचित ही लगते हैं तथा यहाँ शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन भी दिखता है, परंतु यदि हम CAG के कर्त्तव्यों के भावों तथा CAG की शपथ को साथ मिलाकर देखें तो CAG अपनी अधिकारिता का उल्लंघन नहीं कर रहा।

- नीति अगर गलत बनी हो अथवा किसी विशेष शक्ति/समूह को लाभ पहुँचाती हो या उद्देश्यों में खामी हो तो इससे भारत की संचित निधि पर प्रभाव पड़ेगा ही। ऐसे में नीति क्रियान्वयन पर रिपोर्ट देना ताकि लोक लेखा समिति को सही मार्गदर्शन मिल सके, CAG के कार्यों का ही हिस्सा है।

कार्यपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति को CAG के रूप में नियुक्त कर सके। यह विश्व में प्रचलित तरीकों के साथ मेल नहीं खाता। अत: यह कहना उचित नहीं होगा कि CAG इन कार्यों को पूर्ण कर अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। CAG ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का सफलतापूर्वक ऑडिट किया जिसमें विविध जटिल कार्य शामिल थे। यह भारत के CAG की विश्वसनीयता को दर्शाता है।

प्रश्न: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिसके साथ हाशिया नोट "जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध" लगा हुआ है, किस सीमा तक यह अस्थायी है? भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा करें। (200 शब्द, 12½ अंक)

To what extent is Article 370 of the Indian Constitution, bearing marginal note "Temporary provision with respect to the state of Jammu and Kashmir", temporary? Discuss the future prospects of this provision in the context of Indian polity.

उत्तर: भारतीय संविधान का अनुच्छेद-370 एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करता था। संविधान के भाग 21 में 'अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान परिचयात्मक बात कही गई थी जिसके कारण भारतीय संविधान के सभी उपबंध (केवल अनुच्छेद-1 और अनुच्छेद-370 को छोड़कर) जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होते थे।

परंतु जम्मू-कश्मीर की इस विशेष स्थिति का प्रावधान अंतरिम या अस्थायी है, न कि स्थायी जिसके लिये निम्न कारण ज़िम्मेदार थे-

- इंस्ट्रूमेंट आफ एक्सेस के तहत भारत को इस रियासत पर प्रतिरक्षा, विदेशी कार्य और संचार संबंधी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया।
- गोपालास्वामी आयंगर जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन दीवान के अनुसार कश्मीर में शांति स्थापित होने तक यह अस्थायी व्यवस्था बनी रहे।
- अनुच्छेद-370 को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किया जा सकता है, किंतु जम्मू-कश्मीर के संविधान की सिफारिश के आधार पर।

अगस्त 2019 से पहले अनुच्छेद-370 का अवलोकन करने पर पता चला कि यह 1950 वाली स्थिति में नहीं था बल्कि J&K की संविधान सभा एवं विधानसभा की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से काफी परिवर्तन किये जा चुके थे, जैसे-

- 1952 के आदेश संके तहत घ की अधिकारिता जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा लंबित रहने तक राज्य पर होगी।
- 1954 के आदेश के तहत संसद की अधिकारिता को प्रतिरक्षा, विदेशी कार्य एवं संचार से आगे अन्य मामलों तक विस्तृत कर दिया।

ऐसे ही आदेशों के माध्यम से अनुच्छेद-370 की शक्ति को कम किया गया तथा संसद की शक्ति को विस्तार दिया गया।

परंतु कुछ विषय मौजूद थे, जो J&K के विशेषाधिकार का संरक्षण करते थे, जैसे-

- संसाद बिना विधानसभा की अनुमति के जम्मू-कश्मीर के नाम, क्षेत्र, निवास एवं वहाँ के लोगों के मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती थी।
- अनुच्छेद-365 का प्रयोग J&K में नहीं किया जा सकता था।
- संघ को अनुच्छेद-360 के अधीन वित्तीय आपात की उद्घोषणा का अधिकार नहीं था।
- पहले राज्यपाल शासन एवं उसके पश्चात् राष्ट्रपति शासन लागू करने की विशेष स्थिति।

भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में

- अनुच्छेद-370 का स्थायित्व भारत की राष्ट्रीय एकता व अखंडता के संदर्भ में खतरनाक था, क्योंकि इसे आधार बनाकर नक्सलवाद व उग्रवाद प्रभावित राज्यों में भी स्वायत्तता की मांग की जा सकती थी।
- उत्तर-पूर्व के राज्य भी इसी धारा के आधार पर स्वायत्तता की मांग कर सकते हैं, जो कि धारा 371 A, B, C से अधिक स्वतंत्रता व स्वायत्तता प्रदान करती है।

- संघवाद की भावना के विपरीत असर हो सकता था व केंद्र-राज्य संबंध भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते थे।

अतः संसद ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पारित कर अनुच्छेद-370 के खंड (i) के सिवाय इस अनुच्छेद के सारे खंडों को हटा दिया है और राज्य का विभाजन कर दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर (विधानसभा सहित) एवं लद्दाख (बिना विधानसभा) का गठन कर दिया गया।

प्रश्न: 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के उन आवश्यक तत्त्वों और विशेषताओं, यदि कोई हो पर चर्चा कीजिये, जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उप-राज्यपाल के बीच हाल में समाचारों में आए मतभेदों को पैदा कर दिया। क्या आपके विचार में इससे भारतीय परिसंघीय राजनीति के प्रकार्यण में एक नई प्रकृति का उदय होगा?

(200 शब्द, 12½ अंक)

Discuss the essentials of the 69th constitutional Amendment Act and anomalies, if any, that have led to recent reported conflicts between the elected representatives and the institution of the Lieutenant Governor in the administration of Delhi. Do you think that this will give rise to a new trend in the functioning of the Indian federal politics?

उत्तर: वर्ष 1991 में 63वें संविधान संशोधन के माध्यम से संघ शासित प्रदेश 'दिल्ली' का नाम बदलकर 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' किया गया, साथ ही दिल्ली को विधानसभा तथा मंत्रिमंडल की व्यवस्था प्रदान की गई।

इस संशोधन के पश्चात् दिल्ली में शासन की दोनों संस्थाओं उपराज्यपाल (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त) तथा निर्वाचित सरकार की शक्तियों एवं कार्यक्षेत्र को निम्न स्रोतों से परिभाषित किया गया।

अनुच्छेद-239 AA, जिसे 69वें संशोधन के अंतर्गत अधिसूचित किया गया। इसके अंतर्गत भूमि, पुलिस तथा लोक-व्यवस्था को छोड़कर राज्य सूची एवं

↓

समवर्ती सूची के सभी विषयों पर दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार

'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून, 1991' जो इस संशोधन के फलस्वरूप अस्तित्व में आया

↓

ट्रांजेक्शन ऑफ बिज़नेस रूल्स, 1993, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून, 1991 की धारा-44 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया

इन स्रोतों में कई जगहों पर अस्पष्टता की स्थिति बनी रही जिसने निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवादों को जन्म दिया। उदाहरणस्वरूप, अनुच्छेद-239AA में वर्णित है कि उपराज्यपाल को प्रशासनिक कार्यों में मंत्रिमंडल सलाह एवं सहायता देगा। यह सलाह बाध्यकारी होगी अथवा नहीं, इसमें अस्पष्टता की स्थिति बनी रही।

निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं उप-राज्यपाल के बीच मतभेद

- दोनों के बीच कई अवसरों पर विवाद हुआ है, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिविल सेवा और बिजली बोर्ड, नियुक्ति के मुद्दे जैसी एजेंसियों पर नियंत्रण शामिल है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में हुआ। 2021 का संशोधन एवं 2023 का अध्यादेश बताता है कि संघर्ष की संभावना खत्म नहीं हुई है।
- साथ ही अनुच्छेद-239AA के अनुसार उपराज्यपाल के पास मंत्रिपरिषद के निर्णय को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की विशेष शक्तियाँ हैं।
- इस प्रकार उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच इस दोहरे नियंत्रण से सत्ता-संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है।

इस मामले में न्यायपालिका की राय

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रशासित प्रदेश के रूप में दिल्ली की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के पक्ष में निर्णय किया है। हालाँकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों से संबंधित कानून के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर फैसला करने हेतु मामले में संबंधित पीठ को संदर्भित कर दिया था।
- NCT or UOI Care, 2018 मामले में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने NCT के प्रशासन में एक न्यायशास्त्रीय अध्याय के मार्ग को प्रशस्त किया।

उद्देश्यपूर्ण निर्माण का नियम

↓

(69वाँ संशोधन) अधिनियम के पीछे उद्देश्य अनुच्छेद-239AA की व्याख्या का मार्गदर्शन करना है।

अर्थात्

अनुच्छेद-1239 AA में संघवाद और लोकतंत्र के सिद्धांत शामिल हैं जिससे अन्य केंद्रशासित प्रदेशों से भिन्न स्थिति प्रदान करने की संसदीय मंशा का पता चलता है।

उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिये, सिवाय इसके कि वह किसी मामले को अंतिम निर्णय के लिये राष्ट्रपति को संदर्भित करे।

- **हर मामले में लागू नहीं:** किसी भी मामले को राष्ट्रपति को संदर्भित करने के लिये उपराज्यपाल की शक्ति को SC ने स्पष्ट किया कि 'किसी भी मामले' का अर्थ हर मामले से नहीं लगाया जा सकता है और ऐसा संदर्भ केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उत्पन्न होगा।
- **सहायक के रूप में उपराज्यपाल :** उपराज्यपाल स्वयं को निर्वाचित मंत्रिपषिद के विरोधी के रूप में प्रस्तुत करने की बजाय एक सूत्रधार के रूप में कार्य करेगा।
- साथ ही न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को संवैधानिक योजना के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

भारतीय परिसंघीय राज्यनीति के प्रकार्य पर प्रभाव

- भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वस्थ कार्यान्वयन के लिये उपराज्यपाल तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है अन्यथा अन्य राज्यों में भी विवाद हो सकता है। निष्कर्षत: निर्वाचित सरकार को अपने कार्यों को करने की पर्याप्त छूट होनी चाहिये एवं संवैधानिक विश्वास के माध्यम से कार्य करना चाहिये।

2015

प्रश्न: हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। विद्यमान संरचना में असुविधाओं और सहकारी परिसंघवाद किस सीमा तक इन असुविधाओं का हल निकाल लेगा, इस पर प्रकाश डालिये।
(200 शब्द, 12½ अंक)

The concept of cooperative federalism has been increasingly emphasized in recent years. Highlight the drawbacks in the existing structure and the extent to which cooperative federalism would answer the shortcomings.

उत्तर: सहकारी संघवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें केंद्र व राज्यों के बीच, राज्यों-राज्यों के बीच तथा राज्य-पंचायतों/नगरपालिकाओं के बीच भारत के विकास हेतु संयुक्त प्रतिस्पर्द्धा देखी जाती है। भारत में 1990 के पश्चात् केंद्र में गठबंधन व विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारों के गठन से 'सहकारी परिसंघवाद' को प्रमुख बल मिला।

वर्तमान में भारत की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के बेहतर समाधान हेतु 'सहकारी परिसंघवाद' की दिशा में विभिन्न सार्थक पहलें की जा रही हैं-

- **'योजना आयोग' की समाप्ति**
  - अब नीति निर्माण व उसके कार्यान्वयन में राज्यों को अधिक स्वायत्तता होगी
- **'नीति आयोग' की शासी परिषद का गठन**
  - इसकी बैठकों से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के बीच 'टीम इंडिया' की भावना को प्रोत्साहन मिलता है।
- **'GST परिषद' की स्थापना**
  - इससे 'वित्तीय संघवाद' को बढ़ावा मिलता है।
- **'वित्त आयोग' की सिफारिशें**
  - इस संदर्भ में 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की भागीदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी।

उपर्युक्त विभिन्न सुधारों के बावजूद भी सहकारी संघवाद की दिशा में निम्नलिखित समस्याएँ देखी जा सकती हैं-

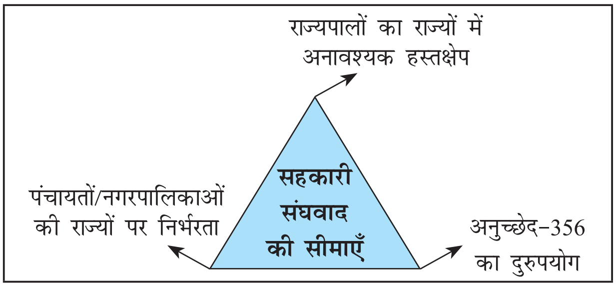

वोट की राजनीति व राजनीतिक विद्वेष की भावना से बाहर निकलकर एवं **सरकारिया व पुंछी आयोग** की सिफारिश को लागू कर 'सहकारी परिसंघवाद' की दिशा में और बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं।

प्रश्न: चर्चा कीजिये कि वे कौन-से संभावित कारक हैं, जो भारत को अपने नागरिकों के राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में प्रदत्त समान सिविल संहिता को अभिनियमित करने से रोकते हैं?
(200 शब्द, 12½ अंक)

Discuss the possible factors that inhibit India from enacting for its citizens a uniform civil code as provided for in the Directive Principles of State Policy.

उत्तर: भारतीय संविधान के **भाग IV** (राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व) के **अनुच्छेद 44** के तहत **'समान नागरिक संहिता'** का समान उल्लेख किया गया है। समान नागरिक संहिता से तात्पर्य-विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मामलों पर सभी नगारिकों हेतु एकसमान कानून की व्यवस्था करना है। भारत में **'गोवा'** एकमात्र राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है और **उत्तराखंड** ने इसे लागू करने हेतु एक समिति का गठन किया है।

भारतीय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र के तत्कालीन हालात और समाज में उत्पन्न अलगाव को देखते हुए समान नागरिक संहिता को लागू करने का दायित्व भविष्य की पीढ़ी को सौंपा और अनुच्छेद-44 को DPSP में शामिल किया। किंतु अभी तक समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया जा सका जिसके पीछे निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं-

1. समान नागरिक संहिता का स्वरूप क्या होगा?
   क्या यह सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों का मिश्रण होगा या कोई अलग कानून होगा?
2. अनुच्छेद-44 का मूल अधिकार की तरह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होना।
3. धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से अनुच्छेद-44 का टकराव।
4. भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता।
   इस कारण विभिन्न समुदायों में एक राय नहीं बन पाती।
5. अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों (हिंदू) के कानून लादे जाने का भय।
6. वोट बैंक की राजनीति।

उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद भी यदि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो निम्नलिखित लाभ देखने को मिल सकते हैं-

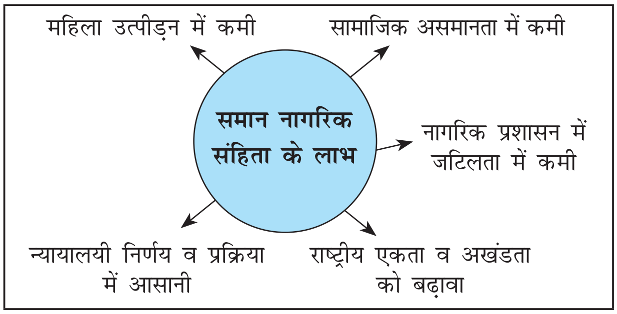

अतः यह कहा जा सकता है कि **'जेंडर जस्टिस'** की अवधारणा तथा अंधविश्वास के स्थान पर **तर्कशीलता** की भावना को सुदृढ़ करने हेतु समान नागरिक संहिता एक प्रभावी कदम साबित हो सकता है, किंतु इससे पहले हमें विभिन्न धार्मिक पंथों को विश्वास में लेते हुए एक आम राय बनानी होगी।

प्रश्नः सुशिक्षित और व्यवस्थित स्थानीय स्तर शासन-व्यवस्था की अनुपस्थिति में 'पंचायतें' और 'समितियाँ' मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएँ बन रही हैं, न कि शासन के प्रभावी उपकरण। समालोचनापूर्वक चर्चा कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

In absence of a well-educated and organized local level government system, 'Panchayats' and 'Samitis' have remained mainly political institutions and not effective instruments of governance. Critically discuss.

उत्तर: **बलवंतराय मेहता समिति** की सिफारिश पर DPSP के **अनुच्छेद-40** को मूर्त रूप देने हेतु **'73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992'** द्वारा भारतीय संविधान के **भाग-IX** में त्रि-स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई **11वीं अनुसूची** जोड़ी जिसमें पंचायतों को **29 विषय** दिये गए।

इन व्यवस्थाओं के बावजूद भी पंचायत चुनाव में भाग लेने हेतु शिक्षा के किसी न्यूनतम मानदंड के अभाव ने निम्नलिखित समस्याओं को जन्म दिया है-

- प्रॉक्सी प्रतिनिधि का उभरना।
- कागजी सहायता हेतु एक व्यक्ति को साथ रखना पड़ता है।
- जानकारी एवं समझ का अभाव।
- भ्रष्टाचार एवं गबन को बढ़ावा मिलता है।
- ग्रामसभा तथा पंचायत की कार्यवाही के संचालन में समस्या।
- विकास अधिकारियों तथा पंचायत प्रतिनिधियों के बीच समन्वय का अभाव।

उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद भी स्थानीय शासन व्यवस्था में शिक्षा के एक न्यूनतम मापदंड की स्थापना करने से निम्नलिखित समस्याएँ जन्म लेंगी-

1. महिलाएँ, अनुसूचित जाति एवं जनजाति जैसे एक बड़े वर्ग की स्थानीय शासन में भागीदारी प्रभावित होगी।
2. कई अशिक्षित प्रतिनिधियों ने भी पंचायती व्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बेहतर कार्य किया है। इसलिये शिक्षा एकमात्र कारक नहीं हो सकती।

वर्तमान जटिल होते आर्थिक एवं तकनीकी पक्षों को देखते हुए शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था पंचायतों की कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता को निश्चित रूप से बढ़ाएगी, परंतु हमें कुछ अन्य उपाय भी करने होंगे जैसे-

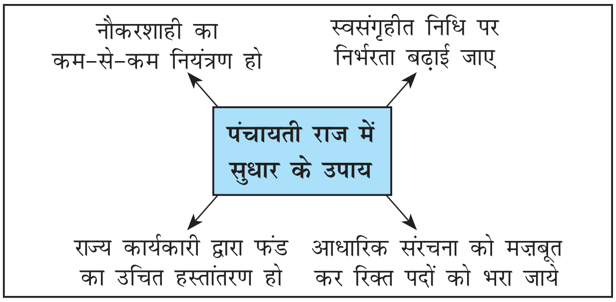

शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु अन्य कारकों के अलावा शिक्षा की महत्ता देखते हुए इसे एक मानक के रूप में सिर्फ **पंचायतों** तक ही सीमित नहीं रखना चाहिये बल्कि **लोकसभा, विधानसभा** के सदस्यों के चुनाव में भी इसे लागू करना चाहिये। सबसे बढ़कर **'एजुकेशन फॉर ऑल'** जैसे कार्यक्रमों का संचालन तीव्र गति से करना चाहिये।

प्रश्नः "वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये यह आवश्यक है कि विनियामक संस्थाएँ स्वतंत्र और स्वायत्त बनी रहें।" पिछले कुछ समय में हुए अनुभवों के प्रकाश में चर्चा कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

"For achieving the desired objectives, it is necessary to ensure that the regulatory institutions remain independent and autonomous." Discuss in the light of the experiences in recent past.

उत्तर: विनियामक निकाय एक सार्वजनिक प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी होती है जो मानव गतिविधियों के कुछ क्षेत्रों पर स्वायत्त प्राधिकरण हेतु उत्तरदायी होते हैं। नियामक निकायों का गठन आमतौर पर मानकों एवं सुरक्षा को लागू करने या सार्वजनिक वस्तुओं के प्रयोग को देखने और वाणिज्य का नियमन करने के लिये किया जाता है। RBI, SEBI, TRAI, IRDA आदि विनियामक संस्थाओं के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं।

भारत में विनियामक संस्थाओं को निम्नलिखित कारणों से स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता प्रदान की गई है-

(i) सभी भागीदारों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने हेतु।

(ii) पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन की अनिवार्यता।

(iii) देश के सिस्टम पर लोगों का भरोसा कायम रहे।

यद्यपि इन निकायों को काफी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, फिर भी वर्तमान में इनकी स्वायत्तता पर सरकारी नियंत्रण के निम्नलिखित मामले देखे गए हैं-

(i) RBI के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के अनुसार सरकार RBI की मौद्रिक नीति में हस्तक्षेप कर रही है। जैसे- बैंकों के रीकैपिटलाइज़ेशन के प्रयास।

(ii) वायदा बाज़ार आयोग के SEBI में विलय की पृष्ठभूमि का मामला।

(iii) ULIP प्रोग्राम से संबंधित SEBI व IRDA के बीच विवाद में सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप।

हालाँकि, गौर किया जाए तो सत्ताधारी सरकार व स्वायत्त संस्थाओं के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है, किंतु फिर भी केंद्र सरकार का गैर-ज़रूरी दखल लोकतांत्रिक प्रणाली में रक्तवाहिनियों का काम करने वाली स्वायत्त संस्थाओं को कमज़ोर कर रहा है।

आगे की राह

(i) उच्च संस्थाओं के प्रमुखों और सदस्यों की नियुक्ति के प्रावधानों को और मज़बूत तथा पारदर्शी बनाया जाए।

(ii) प्रत्येक संस्थान को प्रशासनिक और वित्तीय आज़ादी दी जाए।

प्रश्न: अध्यादेशों का आश्रय लेने से हमेशा ही 'शक्तियों के प्रथक्करण सिद्धांत' की भावना के उल्लंघन पर चिंता जागृत की है। अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति के तर्काधार को नोट करते हुए विश्लेषण कीजिये कि क्या इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों ने इस शक्ति का आश्रय लेने को और सुगम बना दिया है? क्या अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति का निरसन कर दिया जाना चाहिये?

(200 शब्द, 12½ अंक)

Resorting to ordinances has always raised concern on violation of the spirit of separation of powers doctrine. While noting the rationales justifying the power to promulgate ordinances, analyze whether the decisions of the Supreme Court on the issue have further facilitated resorting to this power? Should the power to promulgate ordinances be repealed?

उत्तर: संविधान के अनुच्छेद-123 के तहत राष्ट्रपति एवं अनुच्छेद-213 के तहत राज्यपाल को सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियाँ सदन द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती हैं, परंतु प्रकृति से ये अल्पकालीन होते हैं।

एक अध्यादेश तभी लाया जा सकता है, जब-

(i) संसद के दोनों या दोनों में से किसी भी एक सदन का सत्र न चल रहा हो।

(ii) राष्ट्रपति/राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति में तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है।

एक अध्यादेश की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं-

(i) अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर विधायिका कानून बना सकती है।

(ii) संसद/विधानमंडल की पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर इसका विधायिका द्वारा पारित होना आवश्यक है अन्यथा यह शून्य घोषित हो जाएगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि कानून बनाना विधायिका का कार्य है, इसे लागू करना कार्यपालिका का कार्य है, परंतु कार्यपालिका अध्यादेशों के अत्यधिक प्रयोग से 'शक्ति पृथक्करण' के इस सिद्धांत का उल्लंघन कर रही है। इस कारण से यह मुद्दा कई बार न्यायपालिका के समक्ष जा चुका है।

आर.सी. कूपर केस, 1970	**डी.सी. वाधवा केस, 1987**
↓	↓
राष्ट्रपति/राज्यपाल की संतुष्टि की असद्भाव के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है	अध्यादेश राज्य विधायिका की विधायी शक्ति का विकल्प नहीं हो सकता

लोकतंत्र को सुरक्षित एवं मज़बूत बनाने की दिशा में न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय मील का पत्थर साबित होंगे। दुरुपयोग से बचने हेतु अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति का निरसन करने की अपेक्षा संवैधानिक दायरे में सीमित रूप से इस शक्ति का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर होगा।

प्रश्न: क्या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दीवाली के दौरान पटाखे जलाने पर विधिक विनियमन भी शामिल हैं? इस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के और इस संबंध में शीर्ष न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में चर्चा कीजिये।

(200 शब्द, 12½ अंक)

Does the right to clean environment entail legal-regulations on burning crackers during Diwali? Discuss in the light of Article 21 of the Indian Constitution and Judgement (s) of the Apex Court in this regard.

उत्तर: भारतीय संविधान का अनुच्छेद-21 हमें 'प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता' का अधिकार प्रदान करता है जिसे सिर्फ शारीरिक बधनों में नहीं बांधा गया है। मेनका गांधी वाद, **1978** के अनुसार जीवन के अधिकार में गरिमामयपूर्ण जीवन का अधिकार भी शामिल है, जिसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी एक पहलू है।

फोरम, प्रिवेंशन ऑफ एन्वायरनमेंटल एंड साउंड पॉल्यूशन कम **2005** में सर्वोच्च न्यायालय ने दीवाली में पटाखों के प्रयोग को लेकर निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये थे-

(i) पटाखों को दो श्रेणी में बाँटा जाए- आवाज़ वाले पटाखे, रोशनी वाले पटाखे।

(ii) आवाज़ उत्पन्न करने वाले पटाखों के जलाने पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा, वहीं रोशनी वाले पटाखे प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

(iii) पटाखा निर्माता पैकेट पर पटाखों में प्रयोग होने वाले रसायनों का विवरण अवश्य दें।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उपर्युक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन का गंभीर मामला माना जाएगा।

परंतु अक्सर लोगों द्वारा इस धार्मिक स्वतंत्रता को न्यायालय का हस्तक्षेप माना जाता है और वे इसे अनुच्छेद **25** का उल्लंघन मानते हैं, जिसके तहत व्यक्ति को धर्म के अबाध पालन एवं प्रचार की स्वतंत्रता दी गई।

उपर्युक्त आरोपों के संदर्भ में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं-

(i) समाज, देश, पर्यावरण आदि के हितों को ध्यान में रखकर सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 25 पर प्रतिबंध लगा सकता है।

(ii) पटाखा जलाना दीवाली का अनिवार्य अंग नहीं है, क्योंकि जब से यह त्योहार मनाना शुरू हुआ तब बारूद का आविष्कार भी नहीं हुआ था।

किंतु दीवाली में पटाखा जलाने का मामला सिर्फ ध्वनि प्रदूषण का मामला नहीं है वरन् वायु प्रदूषण से भी जुड़ा है। साथ ही एक धार्मिक मुद्दा होने के नाते यह मामले को और जटिल बना देता है। इसलिये पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाली एक याचिका को खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समाज में जागरूकता फैलाकर समाज द्वारा स्वयं ही इस मुद्दे का बेहतर समाधान किया जा सकता है।

प्रश्न: खाप पंचायतें संविधानेत्तर प्राधिकरणों के तौर पर प्रकार्य करने, अक्सर मानवाधिकार उल्लंघनों की कोटि में आने वाले निर्णयों को देने के कारण खबरों में बनी रही हैं। इस संबंध में स्थिति को ठीक करने के लिये विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा की गई कार्रवाइयों पर समालोचनात्मक चर्चा करें। (200 शब्द, 12½ अंक)

Khap Panchayats have been in the news for functioning as extra-constitutional authorities, often delivering pronouncements amounting to human rights violations. Discuss critically the actions taken by the legislative, executive and the judiciary to set the things right in this regard.

उत्तर: खाप पंचायतें वास्तव में प्राचीन भारत की ग्रामीण न्यायिक संरचना का हिस्सा हैं। इन पंचायतों में गांव या गांवों के समूह के कुछ चयनित वृद्ध लोगों की सहायता से गांव की परंपराओं, मान्यताओं आदि से संबंधित नियम-कानून बनाए जाते हैं, उनका पालन किया जाता है तथा उनके उल्लंघनकर्त्ताओं को सजा सुनाई जाती है। ऐसी पंचायतें आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्थान, हरियाणा आदि में विद्यमान हैं, जिन्हें 'खाप' नाम से जाना जाता है।

परंतु ये आजाद भारत में संविधान एवं कानून के दृष्टिकोण से वैधानिक नहीं रह गईं। साथ ही अपने निम्नलिखित निर्णयों के कारण ये विवादित हैं-

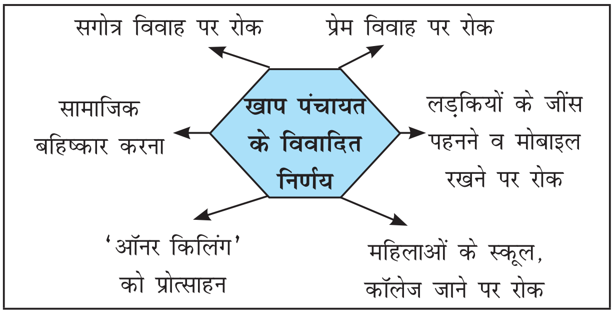

उपर्युक्त कारणों से ये खाप पंचायतें विवादित व अलोकप्रिय हो गईं। इनके गैर-कानूनी निर्णयों पर रोक लगाने के लिये न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए-

सुप्रीम कोर्ट	विधि आयोग	सरकार
राज्य सरकारों से ऑनर किलिंग रोकने के उपायों की सूचना मांगी अरुसुगम सरवाई मामले में खाप पंचायत गैर-कानूनी घोषित	2011 में एक संबंधित बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था। उदा. Prohibition of Unlawful Assembly (Interference with freedom of matrimonial Alliances) Bill 2011	महाराष्ट्र सरकार मेरा 'बहिष्कृत व्यक्ति संरक्षण विधेयक 2016' लाया गया जिला प्रशासन ने खाप पंचायतों पर रोक लगाने हेतु कई प्रावधान किये

उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद भी खाप पंचायतों की गतिविधियों में कमी नहीं आ पाई है। इसके निम्नलिखित कारण हैं-

(i) वोट बैंक की राजनीति के कारण राजनीतिक उदासीनता

(ii) खाप पंचायतों में प्रभावशाली लोगों की उपस्थिति के कारण पुलिस निष्क्रियता

(iii) पुरुषवादी मानसिकता के कारण लोगों का खाप व्यवस्था में विश्वास व डर

खाप पंचायत जैसे संविधानेत्तर प्राधिकरणों को समाप्त करने के लिये हमें पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूत कर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना होगा। पुलिस प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए विधायिकाओं को वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकलकर कठोर कानून बनाने होंगे।

2014

प्रश्न: आप 'वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य' की संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है? भारत में फिल्मों की अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं? चर्चा कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

What do you understand by the concept 'freedom of speech and expression'? Does it cover hate speech also? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression? Discuss.

उत्तर: भारतीय संविधान के 19(1)A में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। जिसके लिये वे लिखित, मौखिक, सांकेतिक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यह आज़ादी अनियंत्रित नहीं है, इस पर निम्न आधार पर युक्तिपूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं-

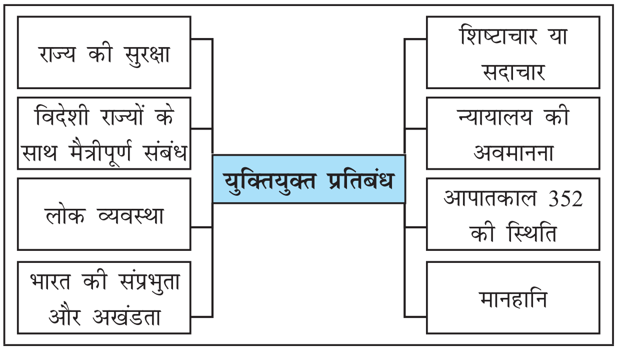

घृणा वाक् की परिधि

जहाँ तक घृणा वाक् का सवाल है तो निश्चित रूप से आज़ादी का हिस्सा नहीं है। इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंद्ध/निर्बंधन लगाए जा सकते हैं।

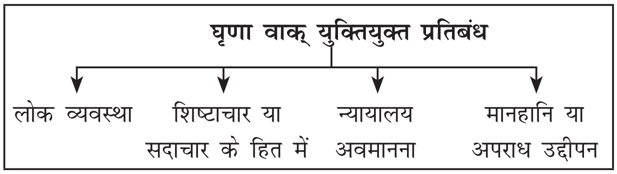

- कुछ मामलों में भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराध माना गया है।
- IT एक्ट में भी इसका उल्लेख अपराध फैलाने वाले कार्य के तहत किया गया है, परंतु घृणा वाक् की उचित परिभाषा के अभाव में यह विवाद का विषय बना रहता है।

सिनेमा अभिव्यक्ति का एक माध्यम

- 19(1)A के तहत सिनेमा को समान अधिकार प्राप्त हैं। अपने श्रव्य एवं दृश्य क्षमता के दोहरे उपयोग एवं जनता तक आसान पहुँच के कारण इसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है।

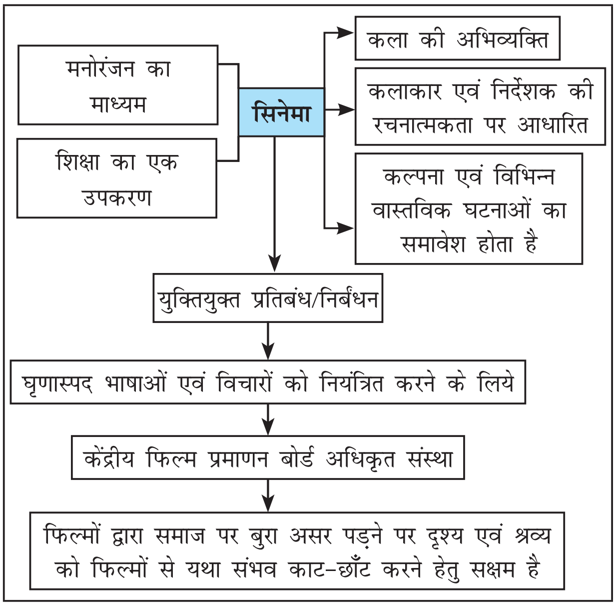

फिल्मों में दिखाए गए द्वेषपूर्ण भाषण को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से नहीं जोड़ा जा सकता है। उदाहरण पी.के. फिल्म पर दायर याचिका की सुनवाई पर SC ने कहा कि भारतीय समाज के मूल्यों एवं संस्कृति से देश का प्रत्येक नागरिक अच्छी तरह से परिचित है, फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिये होती हैं। परंतु यदि फिल्में अपने कथानक, फिल्मांकन इत्यादि के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक शांति आदि की समस्याएँ उत्पन्न करें या करने की आशंका हो तो उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है।

प्रश्न: 'आधारित संरचना' के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि भारत को एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करें, एक उच्चत: अग्रलक्षी (प्रोएक्टिव) भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिये, हाल के समय में 'न्यायिक सक्रियतावाद' द्वारा भूमिका का मूल्यांकन कीजिये।

(200 शब्द, 12½ अंक)

Starting from inventing the 'basic structure' doctrine, the judicary has played a highly proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy. In light of the statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy.

उत्तर: भारतीय राजव्यवस्था में 'शक्ति पृथक्करण सिद्धांत' को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका; तीनों की अलग-अलग शक्तियों का उल्लेख संविधान में किया गया है, परंतु जब कार्यपालिका एवं विधायिका अपने कार्यों एवं दायित्वों का पालन करने में असफल रहती है तो न्यायपालिका द्वारा उनके कार्यों के निष्पादन एवं संचालन हेतु निर्देशित करना ही 'न्यायिक सक्रियता' कहलाता है।

- अनुच्छेद 13(2) के अनुसार किसी भी विधि द्वारा यदि मूल अधिकारों की कटौती अथवा शून्य करने का प्रयत्न किया गया तो यह विधि SC द्वारा अवैध कर दी जाएगी।
- शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ एवं केशवानंद भारती इससे जुड़े प्रमुखवाद हैं।
- केशवानंद भारती वाद में SC ने अनुच्छेद 368 के तहत विधायिका को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार तो दे दिया, परंतु साथ ही साथ संविधान की आधारभूत संरचना की अवधारणा का उल्लेख करते हुए संविधान का संरक्षण किया।
- हाल ही में समान नागरिक संहिता, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु लोढ़ा समिति का गठन, गंगा की सफाई से संबंधित मामलों में स्वत: संज्ञान लेना न्यायिक सक्रियवाद का महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।
- अनुच्छेद 21 की उदार व्याख्या तथा इससे जुड़े पर्यावरण, जल, खाद्यान्न, शिक्षा आदि से संबंधित निर्देशों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा की।

न्यायिक सक्रियतावाद की आलोचना

- यदि सक्रियतावाद जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NIAC) का मामला इत्यादि।
- इसके साथ ही न्यायिक सक्रियता के दिन-प्रतिदिन उपयोग ने न्यायिक संयम को जन्म दिया।

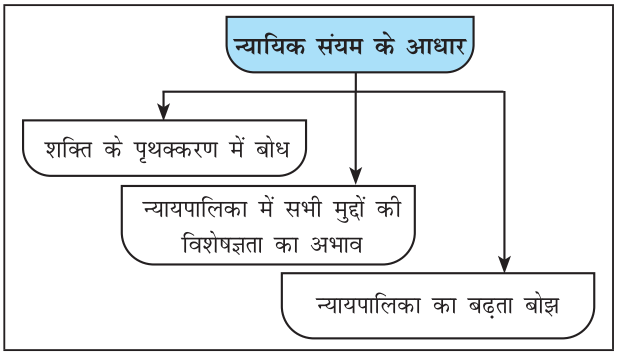

निष्कर्ष: न्यायिक सक्रियतावाद कुछ विशेष मुद्दों पर तो सही है, लेकिन हर मुद्दों पर नहीं। वस्तुत: कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका तीनों ही लोकतंत्र के स्तंभ हैं। इनके कार्यों के बीच सामंजस्य और संतुलन ही भारतीय लोकतंत्र को मज़बूती प्रदान कर सकता है।

प्रश्न: यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और वह सिद्धांत संविधान के आधारित अभिलक्षणों में से एक है, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद (फैडरलिज़्म) सशक्त केंद्र के पक्ष में झुका हुआ

है। यह एक ऐसा लक्षण जो प्रबल परिसंघवाद की संकल्पना के विरोध में है। चर्चा कीजिये। (200 शब्द, 10 अंक)

Though the federal principle is dominant in our Constitution and that principle is one of its basic features, but it is equally true that federalism under the Indian Constitution leans in favour of a strong Center, a feature that militates against the concept of strong federalism. Discuss.

उत्तर: भारतीय सविधान के अनुच्छेद (1) में भारत को राज्यों का संघ (Union) कहा गया है। केशवानंद भारतीय वाद तथा एस.आर. बोम्मईवाद में उच्चतम न्यायालय ने इस संघीय व्यवस्था को संविधान की आधारित संरचना का हिस्सा माना है।

भारत के संघवाद के प्रमुख लक्षण

- → दो स्तरीय सरकार
- → लिखित संविधान
- → दोनों स्तर पर कार्यों एवं शक्तियों का बँटवारा
- → संघ में विवाद होने तथा उनके समाधान हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था
- → साथ ही राज्यों का संघ की विद्यायिका में प्रतिनिधित्व मौजूद है, पर यह संघीय व्यवस्था केंद्र के पक्ष में अधिक झुकी हुई है।

सशक्त केंद्र के पक्ष में झुकाव

- केंद्र के पास राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्ति है, जैसे विधायी तथा वित्तीय शक्तियाँ।
- केंद्र की तरफ से नियुक्त नौकरशाही
- समवर्ती सूची के विषय पर संघ कानून का प्राथमिकता
- अनुच्छेद– 352. 356, 360, 365 आदि के माध्यम से केंद्र को विशेष शक्ति इत्यादि।

भारत में अर्द्धसंघीय व्यवस्था अपनाने के कारण

- ऐतिहासिक कारक के साथ-साथ भारत की राजनीति संरचना
- विस्तृत भूगोल
- सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता
- विघटनकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाना
- सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन लाना
- देश की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का समाधान करना आदि बातें शामिल है।

परिसंघवाद की ओर अग्रसर

संघवाद **की सहयोगी प्रवृति के मज़बूत लक्षण**

- आजादी के इतने वर्षों बाद अब विखंडनकारी प्रवृत्तियाँ लगभग समाप्त हो चुकी हैं।
- अब राज्य अधिक से अधिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं, ताकि विकास संबंधित जनता की बढ़ती आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके।, वैश्वीकरण का लाभ सब तक पहुँच सके तथा पर्यावरण की समस्याओं से लड़ा जा सके।

निष्कर्षत: बदलते वक्त के साथ देश के विकास पथ की ओर अग्रसर होने की दिशा में केंद्र की भूमिका एक समन्वयकारी की हो तो बेहतर है। योजना आयोग की समाप्ति, नीति आयोग का गठन, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश का लागू होना भारत में संघवाद की सहयोगी प्रवृत्ति की मज़बूती के लक्षण हैं।

प्रश्न: संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (इम्युनिटीज़), जैसे कि वे संविधान की धारा 105 में परिकल्पित है, अनेकों असंहितावाद (अन-कोडिफाइड) और अ-परिगणित विशेषाधिकारों के जारी रहने का स्थान खाली छोड़ देते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों के विधिक संहिता करण की अनुपस्थिति के कारणों का आकलन कीजिये। इस समस्या का क्या समाधान निकाला जा सकता है। (200 शब्द, 10 अंक)

The 'Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its members' as envisaged in Article 105 of the Constitution leave room for a large number of un-codified and un-enumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the 'parliamentary privileges'. How can this problem be addressed?

उत्तर: संसदीय विशेषाधिकार मूलत: ऐसे विशेष अधिकार हैं जो प्रत्येक सदन को सामूहिक और सदन के सभी सदयों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हैं, ताकि वे अपनी बात राय से संसद को अवगत करा सके तथा किसी बात पर बिना कार्यपालिका के डर के अपनी सहमति दे सकें। ये अधिकार संसद के अनिवार्य अंग के रूप में होते हैं। इन विशेषाधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 (संसद) और 194 (राजविधान मंडल) में परिभाषित किया गया है।

ये अधिकार उन व्यक्तियों को भी प्राप्त है, जो संसद के दोनों सदनों या इसकी किसी भी समिति में बोलते तथा हिस्सा लेते हैं।

संसदीय विशेषाधिकार का वर्गीकरण

व्यक्तिगत रूप से	**सामूहिक रूप से**
सत्र आरंभ होने के 40 दिन पहले और समाप्ति के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों की गिरफ्तारी से उन्मुक्ति	सदन की रिपोर्ट, वाद-विवाद कार्यवाहियों आदि मामले में अन्य के प्रकाश पर रोक इत्यादि।

- विशेषाधिकारों का दावा तभी किया जाता है जब व्यक्ति सदन का सदस्य हो।
- संसदीय विशेषाधिकार पाँच स्रोतों पर आधारित हैं–

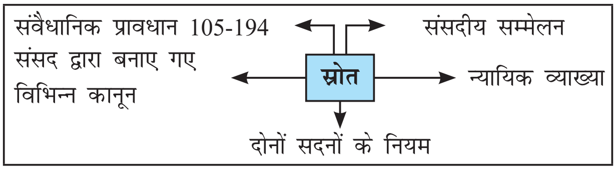

- अनुच्छेद 105 में दिये गए विशेषाधिकारों का कई बार दुरुपयोग हो चुका है। इससे संसद की गरिमा का ह्रास हुआ।

संसदीय विशेषाधिकारों के विधिक संहिता की अनुपस्थिति के कारण

- संसद सदस्यों को लोगों की समस्याएँ व्यक्त करनी होती है और लोक महत्त्व के विभिन्न मामले उठाने होते हैं। संसद के सदनों और समितियों में सदस्य अपने कृत्यों का निर्वहन किसी मद या पक्षपात का कर सकें, इसके लिये वाक् स्वातंत्र्य पूर्णतया आवश्यक है।
- संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार और संसद के नियमों एवं प्रक्रियाओं के अधीन होनी चाहिये।
- इन अधिकारों का उद्देश्य संसद के सदनों, समितियों और सदस्यों को अपने कर्त्तव्यों के क्षमतापूर्ण एवं प्रभावी तरीके से निर्वहन है।
- वास्तव में संसद का एक महत्त्वपूर्ण विशेषाधिकार यह है कि विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध न किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

- केरल राज्य बनाम के अजीज और अन्य (2021) मामले में न्यायालय ने कहा, "विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति देश के सामान्य कानून से छूट का दावा करने के लिये प्रवेश द्वार नहीं है।

क्योंकि जिस देश (ब्रिटेन) से हमने यहा व्यवस्था ग्रहण की है, अब वहाँ भी इस तरह बिना संहिता के विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों की छूट नहीं है।

प्रश्न: मंत्रिमंडल का आकार उतना होना चाहिये जितना सरकारी कार्य सही ठहराता हो और उसको उतना बड़ा होना चाहिये कि जितने को प्रधानमंत्री एक टीम के रूप में संचालन कर सकता हो। उसके बाद सरकार की दक्षता किस सीमा तक मंत्रिमंडल के आकार से प्रतिलोमतः संबंधित है? चर्चा करें। (150 शब्द, 10 अंक)

The size of the cabinet should be as big as governmental work justifies and as big as the Prime Minister can manage as a team. How far is the efficacy of a government then inversely related to the size of the cabinet? Discuss.

उत्तर: संविधान का अनुच्छेद 74 जो मंत्रिपरिषद से संबंधित है, इसमें मंत्रिपरिषद की कोई निश्चित संख्या या आकार का उल्लेख नहीं है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को 15 प्रतिशत तक निश्चित कर दिया गया।

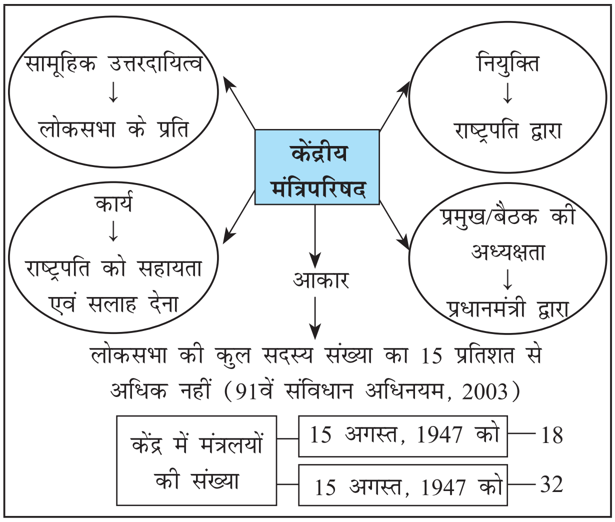

- 1974 में बने प्रथम मंत्रिमंडल में, जहाँ 25 से भी कम मंत्री शामिल थे, वहीं वर्तमान सरकार में 70 से भी अधिक मंत्री हैं। सरकार का स्वरूप, गठबंधन का स्वरूप, सरकार के कार्य, कार्य की विविधता आदि प्रमुख कारण हैं।

सामान्य से बड़े मंत्रिमंडल के दोष

- सरकार के प्रमुख को विभिन्न मंत्रियों के मध्य समन्वय स्थापित करने की समस्या
- कार्यों का फीडबैक मांगने की समस्या
- राजस्व व्यय में वृद्धि तथा प्रशासनिक शिथिलता
- अधिक मंत्रालय, कार्यों में दोहराव की स्थिति, आपसी द्वंद्व
- कार्यों के निष्पादन की निष्पक्ष ज़िम्मेदारी तय नहीं हो पाती है

सामान्य से छोटे मंत्रिमंडल के दोष

- सरकार की कार्यशैली प्रभावित होती है
- संपादित होने वाले कार्यों पर दबाव
- कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित
- सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व न होना
- सामाजिक न्याय की अवधारणा को चोट
- एक ही व्यक्ति के ऊपर कई मंत्रालयों का भार
- कार्य विशेषज्ञता का अभाव

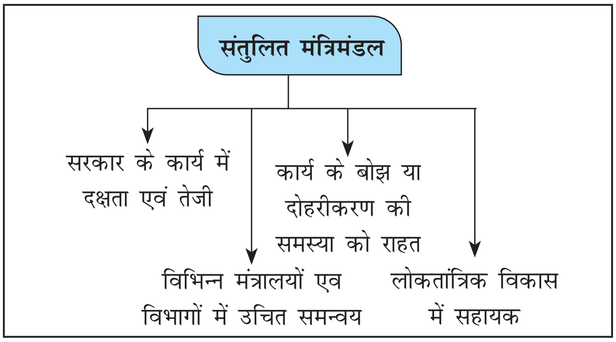

अत: सरकार को अपने कार्यों की गुणवत्तापूर्ण एवं सफल संचालन के लिये संतुलित मंत्रिमंडल का निर्माण करना चाहिये।

प्रश्न: मृत्युदंड देशों के लघुकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण, न्याय प्रत्याख्यान (डिनायल) के रूप में लोक वाद-विवाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने, अस्वीकार करने के लिये एक समय सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये? विश्लेषण कीजिये।

(200 शब्द, 12½ अंक)

Instances of President's delay in commuting death sentences has come under public debate as denial of justice. Should there be a time limit specified for the President to accept/reject such petitions ? Analyse.

उत्तर: मृत्युदंड से संबंधित दया याचिका के क्रियान्वयन में देशों को लेकर नागरिक समूह, सरकार तथा न्यायपालिका के मध्य एक द्वंद्व देखने को मिल रहा है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को 'मृत्युदंड से पूर्ण क्षमादान शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति का प्रयोग संघ सरकार (मंत्रिमंडल) की सिफारिश पर करता है।

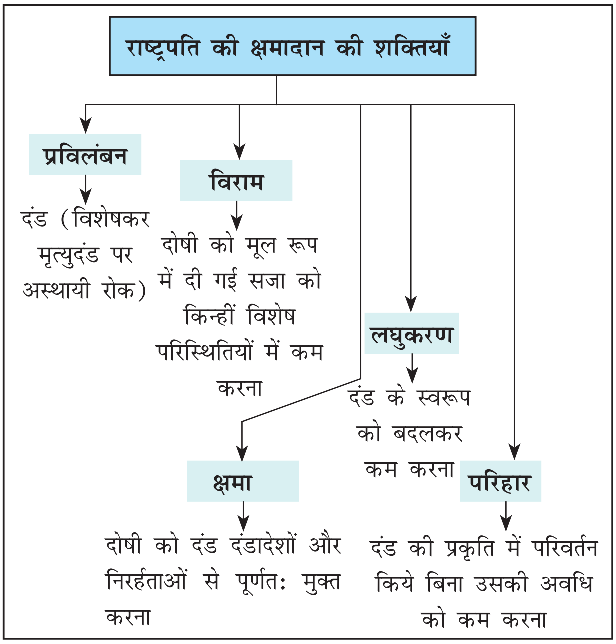

समय सीमा की आवश्यकता

- वर्तमान परिस्थिति में क्षमादान की यह शक्ति मौत की सज़ा प्राप्त व्यक्ति को यातना प्रदान करने के साथ-साथ अमानवीय बन गई है, क्योंकि मौत की सज़ा प्राप्त व्यक्ति द्वारा क्षमादान की मांग पर फैसला लेने का कोई निश्चित समय नहीं है, जिससे वह एवं उसका परिवार मानसिक पीड़ा वहन करते हैं।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा शत्रुघन चौहान मामले पर दिये गए अभिमत के अनुसार, 'मौत की सजा प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति की दया याचिका के नाम पर संशय में रखना उसके शारीरिक और स्वास्थ्य पद पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- SC ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए निर्णय दिया कि दया याचिकाओं को वर्षो तक लंबित रखना मानव जीवन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
- वर्ष 2005 से 2015 के मध्य केवल 3 लोगों को फाँसी दी गई, जबकि 400 लोग प्रतीक्षारत थे। विशेषज्ञों के अनुसार मौत की सज़ा प्राप्त व्यक्ति कीयाचिका में देशी मृत्युदंड से अधिक पीड़ादायक है।

SC सर्वाच्च न्यायालय के अन्य निर्णय

- लेकिन SC ने यह भी राय दी कि क्षमादान को निश्चित समय सीमा में पूर्ण करना उस मामले की प्रकृति एवं जाँच पर निर्भर करना है, क्योंकि क्षमादान की देरी का मुख्य कारण दया याचिका की विभिन्न चरणों में पुनर्परीक्षा और उसे स्वीकार और अस्वीकृत करने की प्रक्रिया मे लगातार विलंब होता है।
- हाल के एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सज़ा को कम कम करने के लिये सरकार को निर्देश देने से इनकार कर दिया।
- बलवंत सिंह राजोआना को वर्ष 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया था।

अत: इस संदर्भ में क्षमादान की शक्ति का राजनीतिकरण किये बिना अपराधी के साथ न्याय किया जाना चाहिये, साथ ही इससे मानवाधिकार की रक्षा भी हो सकेगी, जिसका उल्लंघन क्षमादान देने की प्रक्रिया में देर के क्रम में होता है।

प्रश्न: किरायों का विनियमन करने के लिये रेल प्रशुल्क प्राधिकरण की स्थापना, आमदनी-बंधे (कैश-स्ट्रैप्ड) भारतीय रेलवे को गैर-लाभकारी मार्गों और सेवाओं को चलाने के दायित्व के लिये सहायिकी (सब्सिडी) मांगने को मजबूर कर देगी। विद्युत क्षेत्रक के अनुभव को सामने रखते हुए, चर्चा कीजिये कि क्या प्रस्तावित सुधार से उपभोक्ताओं, भारतीय रेलवे या किसी निजी कंटेनर प्रचालकों को लाभ होने की आशा है।

(200 शब्द, 12½ अंक)

The setting up of a Rail Tariff Authority to regulate fares will subject the cash strapped Indian Railways to demand subsidy for obligation to operate non-profitable routes and services. Taking into account the experience in the power sector. Discuss if the proposed reform is expected to benefit the consumers, the Indian Railways or the private container operators.

उत्तर : रेल प्रशुल्क प्राधिकरण की स्थापना एक ऐसी संस्था के तौर पर की जा रहा है, जो यात्री किराया एवं माल-भाड़ा संबंधित कार्य प्रणाली विकसित करेगी एवं इससे जुड़े पहलुओं पर सरकार को सलाह देगी।

रेल प्रशुल्क प्राधिकरण की स्थापना की आवश्यकता के कारण

- सरकार के लोक-लुभावन नीति तथा राजनीतिक कारणों से आर्थिक सिद्धांत की अनदेखी, यात्री किराए में उचित वृद्धि नहीं की गई।
- रेलवे के राजस्व में निरंतर हो रही कमी तथा माल-भाड़े पर बढ़ते बोझ, जो कि यात्री किराए की प्रतिपूर्ति का साधन बना हुआ है- 'क्रॉस-सब्सिडी'
- केंद्रीय बजट से रेलवे के घाटे की पूर्ति की जा रही है, जिसके चलते राजकोषीय दबाब बढ़ता है।
- इन समस्यों से निपटने के लिये रेल मंत्रालय ने रेल प्रशुल्क प्राधिकरण की स्थापना 20 जनवरी, 2014 को की, जिससे रेलवे की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायता मिलेगी।
- रेल प्रशुल्क प्राधिकरण एकीकृत, पारदर्शी और गतिशील मूल्य निर्धारण तंत्र को विकसित करने का कार्य करेगा।
- देश की भौतिक विभिन्नता के कारण रेलवे सेवा का परिचालन लाभदायक नहीं है लेकिन सामरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादि कारणों के कारण यहाँ रेलवे का परिचालक होता है।
- वर्ष 2003 में विद्युत विनियामक आयोग का गठन किया गया, जिससे विद्युत क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। यद्यपि विद्युत वितरण कंपनियों पर अभी भी काफी बोझ है तथा सब्सिडी के माध्यम से उसकी पूर्ति के प्रयास किये जा रहे हैं। यह आयोग अपने मकसद में कामयाब रहा है।
- रेलवे में इस तरह की व्यवस्था यात्रियों को अल्पावधि के रूप में अधिक खर्च का कारण बनेगी, जिससे उन्हें नुकसान होने की संभावना है, किंतु कुछ समय के बाद रेलवे द्वारा प्रदान की गई बेहतर सुरक्षा और सेवाओं का लाभ यात्रियों को मिलेगा।
- निजी कंटेनर ऑपरेटरों को लाभ होने की संभावना है, क्योंकि क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाने के बाद, माल कंटेनर परिवहन लागत कम हो जाएगी।

सुझाव

रेल प्रशुल्क प्राधिकरण को टैरिफ प्रशुल्क के अतिरिक्त अन्य साधनों से रेलवे हेतु आय बढ़ाने के उपाय बताने की शक्ति भी प्रदान की जाए तो बेहतर स्थिति बन सकती है।

प्रश्न: भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही के सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिक तत्त्वों (मैकेनिज़्म) का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपर्युक्त टिप्पणी के प्रकाश में मानवाधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर NHRC की भूमिका का आकलन कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

National Human Rights Commission (NHRC) in India can be most effective when its tasks are adequately supported by other mechanisms that ensure the accountability of a government. In light of the above observation assess the role of NHRC as an effective complement to the judiciary and other institutions in promoting and protecting human rights standards.

उत्तर : मानवाधिकारों में मुख्यत: जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार मानवाधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किये बिना सभी को प्राप्त है।

- भारत में अधिकारों का रक्षा कार्य मानवाधिकार आयोग द्वारा किया जाता है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्तूबर, 1993 को की गई।

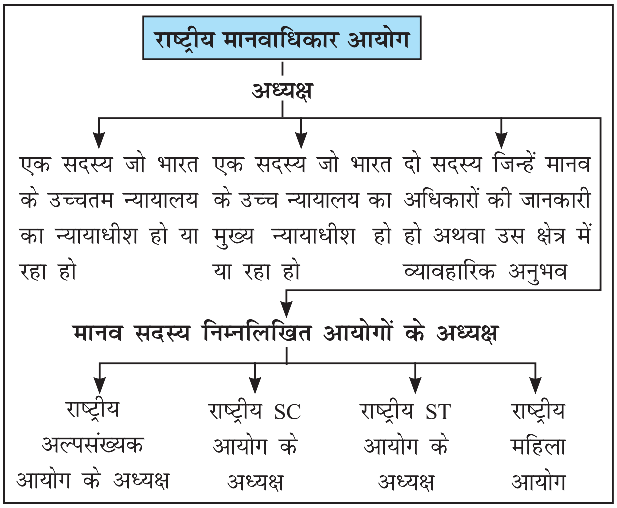

NHRC के कार्य और शक्तियाँ

- मानवाधिकार के हनन के मामलों की जाँच करना
- मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है।
- मानवाधिकार के संबंध में शोध करना तथा जागरूकता फैलाना
- मानवाधिकार संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने की सिफारिश करना।
- पुलिस से समस्त कार्रवाई के रिकॉर्ड की मांग कर सकता है।
- NHRC द्वारा कारागार, कारखानों का निरीक्षण किया जाता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ये शक्तियाँ तब तक निरर्थक हैं, जब तक मीडिया, पुलिस और न्यायपालिका के साथ-साथ आमजन का अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं होता। चूँकि मानवाधिकार आयोग की स्थिति अर्द्ध-न्यायिक निकाय की है।

NHRC का गठन जिस उम्मीद से किया गया था, इसे उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, जिसके लिये निम्न कारक ज़िम्मेदार हैं–

- NHRC की सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, न कि बाध्यकारी।
- साथ ही मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में न तो यह किसी को दंडित कर सकता है और न ही पीड़ित को मुआवज़ा दे सकता है।
- सैन्य बलों द्वारा मानवाधिकार हनन की जाँच का भी अधिकार नहीं।

NHRC के अधिकार में वृद्धि, मीडिया की मदद, न्यायालय द्वारा तीव्र कार्रवाई एवं जनता द्वारा मानवाधिकार के संबंध में उचित जागरूकता, NHRC को मज़बूत भी करेगी एवं सरकार को मानवाधिकार के संबंध में उत्तरदायी भी बनाएगी।

- जब कई सारे छोटे-छोटे राज्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किसी एक समझौते के आधार पर एक संघ बना लेते हैं, जिसमें एक सरकार के अधीन कानून का पालन किया जाता है।
- जब संप्रभु राज्य किसी संधि या समझौते के द्वारा एक बड़ा समूह बनाते हैं और उनकी शक्तियों पर केंद्र की सीमाएँ होती हैं तो वह 'परिसंघ' कहलाता है।
- जब दो या दो से अधिक राष्ट्र, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और वह किसी समझौते के अनुसार विश्व के अन्य देशों के साथ एक राष्ट्र के रूप में व्यवहार करे तो वह 'परिसंघ' कहलाता है।
- परिसंघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में, जिसे संविधान निश्चित करता है, सर्वोच्च होती हैं।

2013

प्रश्न: कुछ वर्षों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है, जिसके नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्राय: देखने को नहीं मिलती। दल परिवर्तन विरोधी कानून, जो भिन्न उद्देश्यों से बनाया गया था, को कहाँ तक इसके लिये उत्तरदायी माना जा सकता है? (200 शब्द, 10 अंक)

The role of individual MPs (Members of Parliament) has diminished over the years and as a result healthy constructive debates on policy issues are not usually witnessed. How far can this be attributed to the anti-defection law, which was legislated but with a different intention?

उत्तर: 'दसवीं-अनुसूची', जिसे दलबदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, को 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है। यह अनुसूची किसी अन्य राजनीतिक दल में दलबदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के लिये प्रावधान निर्धारित करती है।

दसवीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित आधारों पर कोई सांसद/विधायक निरर्ह/अयोग्य घोषित होगा –

(i) एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे।

(ii) यदि वह राजनीतिक दल या व्हिप के निर्देशन के विरुद्ध सदन में मतदान करे।

(iii) यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए।

(iv) यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए।

उपर्युक्त प्रावधानों का उद्देश्य अवसरवादिता को रोकना एवं राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना था, परंतु यह कानून जनप्रतिनिधियों को किसी मुद्दे पर असहमति एवं व्यक्तिगत मत की स्वतंत्रता से वंचित करता हुआ प्रतीत होता है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है–

(i) यह सांसदों को एक विचार, एक मत को मानने पर विवश करता है, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज जनप्रतिनिधियों को अपने स्वतंत्र विचार बहुत से बंधनों के अधीन होकर देने पड़ते हैं।

(ii) ऐसे में सदस्यता खोने के डर से जनप्रतिनिधि संसद या सार्वजनिक मंच पर व्यक्तिगत विचारों की तिलांजलि देते हैं।

हालाँकि दलबदल कानून के अतिरिक्त भी ऐसे अनेक कारण हैं, जिसके परिणामस्वरूप सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है। जैसे–

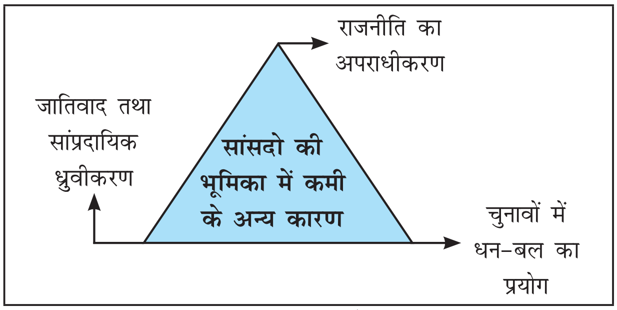

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नीतिगत मामलों में बहस अक्सर दलीय विचारधाराओं एवं क्षेत्रीय मुद्दों द्वारा प्रभावित होती है, न कि व्यक्तिगत विचारों से। इसलिये दलबदल विरोधी कानून सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका पर आंशिक प्रभाव ही डालता है, किंतु फिर भी दिनेश गोस्वामी समिति व विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को ध्यान में रखकर इस कानून को और प्रभावी बनाया जा सकता है।

प्रश्न: वित्तीय संस्थाओं व बीमा कंपनियों द्वारा की गई उत्पाद विविधता के फलस्वरूप उत्पादों व सेवाओं में उत्पन्न परस्पर व्यापन ने सेबी व इरडा नामक दो नियामक अभिकरणों के विलय के प्रकरण को प्रबल बनाया है। औचित्य सिद्ध कीजिये। (200 शब्द, 10 अंक)

The product diversification of financial institutions and insurance companies, resulting in overlapping of products and services strengthens the case for the merger of the two regulatory agencies, namely SEBI and IRDA. Justify.

उत्तर : SEBI और IRDA दोनों नियामक अभिकरण हैं। जहाँ सेबी की स्थापना प्रतिभूति बाज़ार में निवेशकों के हितों की रक्षा करने हेतु SEBI Act, 1992 द्वारा की गई तो वहीं IRDA की स्थापना बीमा उद्योग को विनियमित करने हेतु 'मल्होत्रा समिति' की सिफारिश पर वर्ष 1999 में की गई।

हाल ही में ULIP (Unit Linked Insurance Plan) के प्राधिकार को लेकर सेवी एवं इरडा के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। इस प्रश्न के उठने का मूल कारण यूलिप की प्रकृति है। यूलिप ग्राहक की पूंजी बाज़ार में मनचाही निवेश सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ बीमा सुविधा भी प्रदान करती है। इसके कारण विवाद के निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न हुए हैं–

(i) उपभोक्ता के हितों के संरक्षण की समस्या
(ii) व्यापार के कुशल संचालन की बाधाएँ
(iii) पुराने वित्तीय कानूनों में सुधार की आवश्यकता
(iv) इस तरह के विवाद निपटाने हेतु एक पंचाट (Arbitration) की आवश्यकता

उपर्युक्त बिंदुओं के संदर्भ मे दोनों विनियामक प्राधिकरणों के विलय की बात की जाने लगी, जिसके समाधान हेतु बी.एन. श्री कृष्ण समिति का गठन किया गया। इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं –

(i) **UFRA (Unified Financial Regulatory Agency) का गठन।**
यह संस्था बैंकिंग एवं पेमेंट को छोड़ सभी तरह के वित्तीय लेन-देन का विनियमन करेगी। इससे अधिकारों के अतिव्यापन की समस्या समाप्त हो जाएगी।

(ii) **FRA (Financial Redressal Agency) का गठन।**
यह संस्था वित्तीय सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान सरल, प्रभावी एवं पारदर्शी तरीके से करेगी।

उपर्युक्त सुधारों के माध्यम से सेबी एवं इरडा का विलय किये बिना भी अधिकारों के अधिव्यापन की समस्या का समाधान कर 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा दिया जा सकता है।

प्रश्न: राष्ट्रीय लोकपाल कितनी भी प्रबल क्यों न हो, सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है। विवेचना कीजिये। (200 शब्द, 10 अंक)
'A national Lokpal, however strong it may be, cannot resolve the problems of immorality in public affairs'. Discuss.

उत्तर : लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत वर्ष 1809 में स्वीडन से की गई थी। भारत में संवैधानिक ओम्बुड्समैन का विचार सर्वप्रथम कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने प्रस्तुत किया तो वहीं लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द एल.एम. सिंघवी ने दिये थे। भारत के केंद्र में 'लोकपाल' और राज्यों में 'लोकायुक्त' का प्रावधान 'लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013' द्वारा किया गया है।

इस अधिनियम द्वारा 'लोकपाल' को निम्नलिखित शक्तियाँ दी गईं–

(i) इसके क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ए.बी. सी.डी के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल।
(ii) लोकसेवकों तथा उनके आश्रितों की परिसंपत्तियों व देयताओं को लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की बाध्यता।
(iii) सी.बी.आई. की जाँच करने तथा उसे निर्देश देने का अधिकार।
(iv) सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त।
(v) भ्रष्टाचार से प्राप्त परिसंपत्तियों, आमदनी को जब्त करने का अधिकार।
(vi) भ्रष्टाचारी लोकसेवकों के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार।

उपर्युक्त शक्तियों के बावजूद सार्वजनिक मामलों में भ्रष्टाचार, सत्यनिष्ठा की कमी जैसी अनैतिकता की समस्याओं का पूर्णरूपेण समाधान सिर्फ लोकपाल द्वारा संभव नहीं है। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं–

(i) लोकपाल भ्रष्टाचारियों में भय तो पैदा कर सकता है, किंतु उनका नैतिक उत्थान नहीं कर सकता।
(ii) लोकपाल भ्रष्टाचारी तंत्र की संरचना पर नहीं बल्कि उस संरचना तंत्र के कुछ व्यक्तियों पर ही कार्यवाही कर सकता है।
(iii) स्वयं लोकपाल के भ्रष्ट होने पर तो यह सीमित कार्यवाही भी बाधित हो सकती है।

इस तरह लोकपाल की नियुक्ति से भ्रष्टाचार में निश्चित रूप से कमी आएगी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ समस्त जनता के अंदर नैतिक व राष्ट्रीय सेवा भाव जगाए बिना, सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्याओं का पूर्णरूपेण समाधान नहीं हो सकता। साथ ही लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिये।

प्रश्न: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(A) की इससे कथित संविधान के अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के संदर्भ में विवेचना कीजिये। (200 शब्द, 10 अंक)
Discuss Section 66A of IT Act, with reference to its alleged violation of Article 19 of the Constitution.

उत्तर : सूचना **प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** की **धारा 66A** के अनुसार– "कोई शख्स जो कंप्यूटर या संचार उपकरण के जरिये किसी को आपत्तिजनक सूचना भेजता है, वह कानून दंड का अधिकारी है।"

इसके अंतर्गत आने वाली सूचनाएँ निम्नलिखित हैं–

(i) चरित्र हनन से संबंधित आपत्तिजनक सूचना।
(ii) किसी शख्स को परेशान करने, अपमानित करने के लिये झूठी सूचना।
(iii) असुविधानजक या आहत करने वाली सूचना को मेल करना या संदेश भेजना।

यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे धारा-66A के तहत **गिरफ्तार** करने का प्रावधान है।

जहाँ एक ओर संविधान का **अनुच्छेद 19(1)** नागरिकों को 'वाक् एवं अभिव्यक्ति' की स्वतंत्रता प्रदान करता है तो वहीं **धारा 66(A)** इस पर कुछ निर्बंधन आरोपित करती है। हालाँकि संविधान का अनुच्छेद **19(2)** स्वयं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ तार्किक प्रतिबंध लगाता है, किंतु आई.टी. अधिनियम की धारा 66(A) ज़्यादा अतार्किक एवं अव्यावहारिक प्रतीत होती है एवं धारा 19(1) से टकराव भी प्रदर्शित करती है। जैसे–

(i) अपमानजक व असुविधानजक सामग्री का निर्धारण करना कठिन।

(ii) प्रसारित सामग्री के पीछे निहित वास्तविक उद्देश्यों का निर्धारण करना कठिन।

(iii) प्रभावशाली राजनीतिक दलों/लोगों द्वारा दुरुपयोग की संभावना।

उपर्युक्त टकराव को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्रेया सिंघल वाद, 2015** में आई.टी. एक्ट 200 की धारा 66 (A) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, किंतु वर्तमान में भी इसके तहत मुकदमे दर्ज किये जा रहे हैं, जो निश्चित ही एक चिंता का विषय है।

प्रश्न: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाल के निदेशों को नागाओं द्वारा उनके राज्य को मिली विशिष्ट स्थिति को रद्द करने के खतरे के रूप में देखा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A के आलोक में इसकी विवेचना करें। (200 शब्द, 10 अंक)

Recent directives from Ministry of Petroleum and Natural Gas are perceived by the `Nagas' as a threat to override the exceptional status enjoyed by the State. Discuss in light of Article 371A of the Indian Constitution.

उत्तर: **13वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1962** द्वारा भारतीय संविधान में **अनुच्छेद 371(A)** जोड़ा गया, जिसमें **नागालैंड** के प्रशासन के लिये कुछ विशेष प्रावधान कर 1 दिसंबर, 1936 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। अनुच्छेद 371 (A) नागालैंड में तब तक लागू नहीं होगा, जब तक नागालैंड की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है। ऐसा निम्नलिखित के संदर्भ में होगा–

(i) नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएँ

(ii) नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रियाएँ

(iii) सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन

(iv) भूमि और संपत्ति के स्रोतों का स्वामित्व और अंतरण

अनुच्छेद 371 (A) के आधार पर नागालैंड विधानसभा ने 2010 में संकल्प पारित कर स्पष्ट किया कि भूमि और संपत्ति के स्रोतों में खनिज, पेट्रोल व प्राकृतिक गैस इत्यादि भी शामिल है।

उपर्युक्त आधारों पर नागालैंड ने **'नागालैंड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमन 2012'** जारी किया था, जिसका टकराव पेट्रोलियम मंत्रालय की **'नई उत्खनन नीति'** से देखा गया, जिसके तहत नागालैंड में खनन ब्लॉकों का आवंटन किया गया था। इस टकराव में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क दिये–

तर्क

नागालैंड सरकार का तर्क
- यह अनुच्छेद 371(A) का उल्लंघन है
- यह केंद्र की अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति है

केंद्र सरकार का तर्क
- तेल एवं प्राकृतिक गैस संघीय सूची का विषय है

उपर्युक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन संपदाओं पर न ही राज्य का एकमात्र अधिकार तर्कसंगत प्रतीत होता है और न ही केंद्र द्वारा राज्य में प्रभाव विस्तार की नीति प्रासंगिक प्रतीत होती है। अतः प्रोफिट **शेयरिंग मॉडल** जैसी नीति को अपनाकर संघीय भावना के अनुकूल एक समाधान ढूंढ़ा जा सकता है।

प्रश्न: 'संविधान में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है।' समालोचनात्मक विवेचना कीजिये। (200 शब्द, 10 अंक)

'The Supreme Court of India keeps a check on arbitrary power of the Parliament in amending the Constitution.' Discuss critically.

उत्तर: भारतीय संविधान के **भाग-20** के **अनुच्छेद 368** में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान अथवा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है बल्कि दोनों का मिला-जुला रूप है। संसद द्वारा संविधान में संशोधन तीन प्रकार से हो सकता है–

(i) साधारण बहुमत द्वारा

(ii) विशेष बहुमत द्वारा

(iii) विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा

यद्यपि संविधान में संशोधन से संबंधित संसद के अधिकार एवं न्यायालय के अधिकारों के मध्य एक सामंजस्य बनाने का प्रयास हमारे संविधान में पहले से ही उपलब्ध है, किंतु फिर भी **अनुच्छेद 13** के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय संविधान संशोधन सहित किसी भी विधि को मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अमान्य घोषित कर सकता हैं।

संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति का विकासक्रम

केशवानंद भारती वाद, 1973 → सरकार संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किये बिना संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।

↓ सरकार की प्रतिक्रिया

42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 → संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

↓ न्यायपालिका की प्रतिक्रिया

मिनर्वा मिल्स वाद, 1980 → 42वें संशोधन अधिनियम की उक्त धारा को अमान्य घोषित किया।

अतः यह कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को अपने हाथ में नहीं लेता बल्कि **न्यायिक समीक्षा** एवं **मूलभूत ढांचे की संकल्पना** के आधार पर उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है और ऐसा वह संविधान के संरक्षक होने के नाते करता है।

प्रश्न: अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान करने में संवैधानिक प्रक्रियाएँ समस्याओं को संबोधित करने व हल करने में असफल रही हैं। क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है? विवेचना कीजिये। (200 शब्द, 10 अंक)

Constitutional mechanisms to resolve the inter-state water disputes have failed to address and solve the problems. Is the failure due to structural or process inadequacy or both? Discuss.

उत्तर: भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 262** के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में प्रावधान कर सकती है। संसद ने इस अनुच्छेद के आलोक में **'अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956'** को पारित किया है, जिसमें वर्ष 2002 में कुछ संशोधन किये गए हैं।

इस संदर्भ में विवाद निपटान हेतु संवैधानिक व विधिक प्रावधान निम्न हैं–

संवैधानिक प्रावधान	अधिनियम 1956 के प्रावधान
❑ अनुच्छेद 262(2)– संसद उच्चतम न्यायालय को इसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकती है।	❑ धारा-4 – पंचाट (Tribunal) का गठन गठन ↓ 1 वर्ष के अंदर निर्णय ↓ 3 वर्ष के अंदर
❑ राज्य सूची की प्रविष्टि 17 – जल 'राज्य सूची' का विषय है।	
❑ संघ सूची की प्रविष्टि 56 – अंतर्राज्यीय जल 'संघ सूची' का विषय है।	❑ धारा-11- उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।

उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद भी संबंधित विवादों में कमी नहीं आई है, जिसे हम 'महानदी जल विवाद', 'कावेरी नदी जल विवाद' के रूप में देख सकते हैं। इसके पीछे निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं–

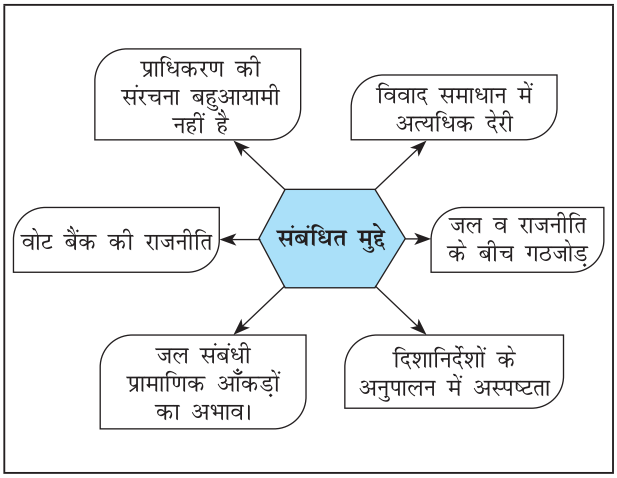

उपर्युक्त मुद्दों के समाधान हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते है–

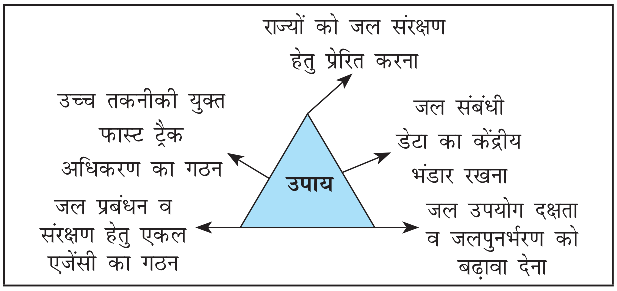

अत: हम कह सकते हैं कि अंतर्राज्यीय जल विवादों के निपटान हेतु केवल सांविधिक प्रावधान ही पर्याप्त नहीं है। इस संदर्भ में अंतर्राज्यीय जल विवादों को **अनुच्छेद 263** के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्मित **अंतर्राज्यीय परिषद** के तहत लाना भी एक बेहतर संघीय समाधान हो सकता है।